अधिसूचना दिनांक 01.01.2016

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016

अन्तिम विनियम

भोपाल, दिनांक 21.12.2015

क्रमांक–2267–मप्रविनिआ–2015–यतः मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 (जी–26, वर्ष 2005) की प्रथम नियंत्रण अवधि का समापन 31 मार्च, 2009 को हुआ, आयोग ने द्वितीय बहुवर्षीय टैरिफ नियंत्रण अवधि सिद्धांत तथा क्रियाविधियों को वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2011–12 तक विनिर्दिष्ट किये जाने के संबंध में इन विनियमों में प्रथम पुनरीक्षण {आरजी–26(1), वर्ष 2009} दिनांक 30 अप्रैल, 2009 द्वारा दिनांक 8 मई, 2009 को अधिसूचित किया था। आयोग द्वारा द्वितीय संशोधन दिनांक 24 फरवरी, 2012 द्वारा इस नियंत्रण अवधि को माह मार्च, 2013 तक बढ़ा दिया गया। आयोग द्वारा इन विनियमों का पुनरीक्षण {आरजी–26 (II), वर्ष 2012}, यथा, वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 तक तृतीय बहुवर्षीय टैरिफ नियंत्रण अवधि सिद्धान्त तथा क्रियाविधियों को दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को अधिसूचित किया गया । अतएव, आगामी नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु, विद्युत् उत्पादन की निबंधन तथा शर्तें विनिर्दिष्ट करने की दृष्टि से किया जाना आवश्यक हो गया है;

अतएव, विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181(2)(जेड) सहपठित धारा 61 तथा इस संबंध में प्रदत्त अन्य समस्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग एतदद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है :–

अध्याय – 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ :

1.1 इन विनियमों का संक्षिप्त नाम **"मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015 {आरजी–26 (III), वर्ष 2015}, वर्ष 2015** है ।

1.2 इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा ।

1.3 ये विनियम दिनांक 1.4.2016 से प्रभावशील होंगे तथा जब तक आयोग द्वारा इनकी पूर्व में किसी प्रकार की समीक्षा न की जाए अथवा समयावधि का विस्तार न किया जाए, ये विनियम इनके प्रवृत्त

होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 31.3.2019 तक प्रभावशील रहेंगे :

परन्तु जहां कहीं एक परियोजना अथवा उसके किसी भाग को इन विनियमों के प्रवृत्त होने की दिनांक से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित कर दिया गया हो तथा जिसकी विद्युत्–दर (टैरिफ) उक्त तिथि तक आयोग द्वारा अन्तिम रुप से अवधारित नहीं की गयी हो, ऐसी परियोजना अथवा उसके किसी भाग के प्रकरण में, जैसा कि लागू हो, विद्युत्–दर (टैरिफ) का अवधारण दिनांक 31.03.2016 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन एवं शर्तें), विनियम, 2012 एवं समय–समय पर जारी किये गये उनके संशोधनों के अनुसार ही अवधारित किया जाएगा ।

2. विस्तार तथा लागू किये जाने की सीमाः

2.1 ये विनियम विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 62 सहपठित धारा 86 के अन्तर्गत किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत् के वितरण हेतु किसी विद्युत् उत्पादक केन्द्र या उसकी किसी इकाई के संबंध में (नवकरणीय ऊर्जा आधारित स्त्रोतों को छोड़कर) उत्पादन टैरिफ अवधारण के समस्त प्रकरणों पर लागू होंगें परन्तु ऐसे विद्युत् उत्पादक केन्द्रों हेतु लागू न होंगे जहां विद्युत्–दर (टैरिफ) विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 63 के उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा– निर्देशों के अनुरूप प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त की गई हो जैसा कि इन्हें आयोग द्वारा अपनाया गया हो ।

3. मानदण्डों का परिसीमन उच्चतम होना :

3.1 इन विनियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मानदण्डों का परिसीमन उच्चतम होगा तथा विद्युत् उत्पादक कंपनी तथा उसके हितग्राहियों को प्रोन्नत मानदण्डों को अपनाये जाने पर सहमति से प्रतिबाधित नहीं करेगा तथा ऐसे प्रकरण में जहां विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण हेतु ऐसे प्रोन्नत मानदण्ड हेतु सहमति व्यक्त की जाती हो तो ऐसे प्रोन्नत मानदण्ड लागू होंगे ।

4. परिभाषाएं :

4.1 इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) **'अधिनियम'** से अभिप्रेत है, विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36);

(ख) **'अतिरिक्त पूंजीकरण'** से अभिप्रेत है वास्तविक रुप से किया गया पूंजीगत व्यय अथवा ऐसा व्यय जिसे परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो तथा आयोग द्वारा युक्तियुक्त परीक्षण उपरान्त इन विनियमों के विनियम 20 के उपबन्धों के अनुसार स्वीकार किया गया हो;

(ग) **'सहायक ऊर्जा खपत'** से किसी अवधि के संदर्भ में अभिप्रेत है विद्युत् उत्पादक केन्द्र के सहायक उपकरण जैसे कि विद्युत् उत्पादक केन्द्र के परिचालन संयंत्र तथा मशीनरी, स्विचयार्ड को शामिल करते हुए, के प्रयोजन हेतु खपत की गई ऊर्जा की मात्रा एवं विद्युत् उत्पादक केन्द्र के अंतर्गत ट्रांसफार्मर हानियां जिन्हें उत्पादक केन्द्र की समस्त इकाईयों द्वारा उत्पादक स्टेशन के छोर (टर्मिनल) पर सकल उत्पादित ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाएगा :

परन्तु सहायक ऊर्जा खपत में विद्युत् उत्पादक केन्द्र से संबद्ध आवासीय परिसर तथा अन्य सुविधाओं हेतु खपत की गई ऊर्जा तथा उत्पादक केन्द्र के निर्माण कार्यों पर खपत की गई ऊर्जा को शामिल नहीं किया जाएगा;

(घ) **'अंकेक्षक'** से अभिप्रेत है कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 224, 233बी तथा 619, जैसा कि इसे समय–समय पर संशोधित किया गया हो अथवा कम्पनी अधिनियम 2013 (क्रमांक 18, वर्ष 2013) के उपबंधों अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी प्रभावशील विधि के अंतर्गत विद्युत् उत्पादक कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया कोई अंकेक्षक;

(ड.) **'बैंक दर'** से अभिप्रेत है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट की गई आधार ब्याज दर या तत्समय प्रवृत्त इसका कोई प्रतिस्थापन, 350 आधार बिन्दुओं को जोड़कर;

(च) **'हितग्राही'** से अधिनियम की धारा 86 की उपधारा 1 के खण्ड (क) तथा (ख) के अन्तर्गत किसी विद्युत् उत्पादक केन्द्र के संबंध में अभिप्रेत है एक विद्युत् वितरण अनुज्ञप्तिधारी जो ऐसे किसी विद्युत् उत्पादक केन्द्र द्वारा उत्पादित विद्युत् का क्रय किसी विद्युत् क्रय अनुबंध के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से या फिर किसी व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से स्थाई प्रभारों के भुगतान द्वारा तथा ग्रिड द्वारा निर्धारित अनुसूची के अनुसार कर रहा हो:

परन्तु जहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत् की अधिप्राप्ति किसी व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से कर रहा हो, वहां यह व्यवस्था सहयोजित विद्युत् क्रय अनुबंध तथा विद्युत् विक्रय अनुबंध के माध्यम से की जानी चाहिए;

(छ) संयुक्त चक्र ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्र के संबंध में खण्ड से अभिप्रेत है व उसमें सम्मिलित है ज्वलन टरबाईन विद्युत् उत्पादन संयंत्र, सहयोगी अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति वाष्पयन्त्र, संयोजित वाष्प टरबाईन–विद्युत् उत्पादन संयंत्र तथा सहायक इकाईयां ;

(ज) **'पूंजीगत लागत '** से अभिप्रेत है पूंजीगत लागत जैसा कि इसे इन विनियमों के विनियम **15** द्वारा अवधारित किया हो;

(झ) **'कानून में परिवर्तन'** से अभिप्रेत निम्न में से किसी भी घटना का होना:

(एक) किसी नवीन भारतीय कानून का अधिनियमन, इसको प्रभावशील किया जाना या प्रवर्तित किया जाना; अथवा

(दो) किसी विद्यमान भारतीय कानून को अपनाना, उसमें संशोधन करना, संपरिर्वतन करना, निरस्त करना या उसे फिर से अधिनियमित करना; अथवा

(तीन) किसी ऐसे सक्षम न्यायालय, न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल), अथवा भारतीय सरकार के किसी माध्यम द्वारा जिसे ऐसी व्याख्या हेतु कानून के अन्तर्गत अन्तिम प्राधिकार प्राप्त हो, किसी भारतीय कानून के निर्वचन या अनुप्रयोग में परिवर्तन किया जाना; अथवा

(चार) किसी सक्षम वैधानिक प्राधिकारी द्वारा किसी परियोजना हेतु किसी सम्मति, या स्वीकृति या अनुमोदन या उपलब्ध अथवा प्राप्त की गई अनुज्ञप्ति के बारे में किसी शर्त या समझौते में परिवर्तन किया जाना; अथवा

(पांच) इन विनिमों के अधीन विनियमित विद्युत् उत्पादन केन्द्र से संबंधित, भारत सरकार तथा किसी अन्य सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न सरकार के मध्य किसी द्विपक्षी अथवा पक्षीय अनुबंध/संधि का लागू होना या उसमें कोई संपरिवर्तन ।

(ञ) **'आयोग '** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग;

(ट) **'प्रतिस्पर्धी बोली'** से अभिप्रेत है उपकरणों की अधिप्राप्ति, सेवाओं तथा कार्यों के निष्पादन हेतु पारदर्शी प्रक्रियां जिसके अन्तर्गत परियोजना विकासक द्वारा खुले विज्ञापन के माध्यम से परियोजना हेतु उपकरण का विस्तार क्षेत्र तथा विशिष्टताओं, सेवाओं तथा वांछित कार्यों बाबत् बोलियां आमंत्रित की जाती हैं तथा प्रस्तावित अनुबंध के निबंधन तथा शर्तें तथा वे मानदण्ड जिनके द्वारा प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन किया जाता है, शामिल की जाती हैं तथा इस प्रक्रिया में स्वदेशी प्रतिस्पर्धी बोलियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलियों को भी आमंत्रित किया जाता है;

(ठ) **'पृथक्कृत तिथि'** से वर्ष की 31 मार्च अभिप्रेत है जो सम्पूर्ण परियोजना या उसके आंशिक भाग के वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष के दो वर्षों के उपरांत समाप्त होती है तथा ऐसे प्रकरण में, जहां सम्पूर्ण परियोजना या उसके आंशिक भाग को वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत किसी वर्ष के अन्तिम त्रैमास में घोषित किया गया हो, वहां पृथक्कृत तिथि, वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष के तीन वर्षों के बाद, समापन वर्ष की 31 मार्च होगी:

परन्तु यदि लिखित साक्ष्य के आधार पर परियोजना विकासक द्वारा यह सिद्ध कर दिया जाए कि पृथक्कृत तिथि के भीतर ऐसी परिस्थितियों के कारण जो उसके नियंत्रण से बाहर थी उसके द्वारा पूंजीकरण किया जाना संभव न था तो आयोग द्वारा पृथक्कृत तिथि में विस्तार भी किया जा सकेगा;

(ड) **'वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि'** – किसी विद्युत् उत्पादक केन्द्र या उसकी किसी इकाईयां खण्ड हेतु वाणिज्यिक प्रचालन तिथि का अवधारण निम्नानुसार किया जाएगा :

(1) किसी ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्र की विद्युत् उत्पादक इकाईयां उसके खण्ड के प्रकरण में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि का तात्पर्य विद्युत् उत्पादक कम्पनी द्वारा घोषित की गई उक्त तिथि से होगा जैसा कि इसे उसके द्वारा, हितग्राहियों को नोटिस प्रदान किए जाने के उपरान्त, यदि कोई हो, एक सफल निष्पादन परीक्षण के माध्यम से उच्चतम निर्धारित क्षमता अथवा स्थापित क्षमता द्वारा प्रदर्शित किया जाए तथा पूर्णरूपेण एक विद्युत् उत्पादक केन्द्र के

संबंध में यह उत्पादक केन्द्र की अन्तिम इकाई अथवा खण्ड की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि होगी :

परन्तु,

(एक) जहां हितग्राही विद्युत् उत्पादक केन्द्र से विद्युत् क्रय करने बाबत सहबद्ध किए गये हों वहां निष्पादन परीक्षण विद्युत् उत्पादक कम्पनी द्वारा हितग्राहियों को प्रदत्त सात दिवस की नोटिस अवधि के बाद प्रारंभ होगा तथा अनुसूचीकरण निष्पादन परीक्षण के पूर्ण होने के पश्चात 00:00 बजे से प्रारंभ होगाः

(दो) विद्युत् उत्पादक कम्पनी को इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी करना होगा कि विद्युत् उत्पादक केन्द्र केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट विनियम यथा, Central Electricity Authority (Technical Standards for Construction of Electrical plants and Electric lines) Regulations, 2010 तथा ग्रिड संहिता के तकनीकी मानकों के मुख्य प्रावधानों की अर्हताओं की पूर्ति करता हैः

(तीन) उपरोक्त प्रमाण–पत्र परिशिष्ट–तीन में संलग्न प्ररूप के अनुसार कम्पनी के संचालक मण्डल के अनुमोदन पश्चात् कम्पनी के अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रबंध संचालक द्वारा हस्ताक्षरित कर जारी किया जाएगा तथा वाणिज्यिक प्रचालन तिथि घोषित करने के पूर्व प्रमाण–पत्र की एक प्रति राज्य भार प्रेषण केन्द्र को भी प्रस्तुत की जाएगी;

(2) किसी जल विद्युत् उत्पादक केन्द्र की इकाई के संबंध में, उद्वाहक संग्रहण जल विद्युत् उत्पादक केन्द्र को शामिल करते हुए, वाणिज्यिक प्रचालन तिथि का तात्पर्य विद्युत् उत्पादक कम्पनी द्वारा मप्र विद्युत् ग्रिड संहिता के अनुसार अनुसूचीकरण प्रक्रिया के पूर्ण क्रियान्वयन उपरान्त 00:00 बजे से घोषित की गई तिथि से होगा तथा समग्र रूप से एक विद्युत् उत्पादक स्टेशन के संबंध में यह विद्युत् उत्पादक कम्पनी द्वारा विद्युत् उत्पादक केन्द्र की स्थापित क्षमता से तत्संबंधी सफल निष्पादन परीक्षण के माध्यम से शीर्ष क्षमता के प्रदर्शन उपरान्त घोषित की गई तिथि से होगाः

परन्तु,

(एक) जहां हितग्राही विद्युत् उत्पादक स्टेशन से विद्युत् क्रय करने बाबत सहबद्ध किए गए हैं वहां विद्युत् उत्पादक कम्पनी की उत्पादन इकाई द्वारा अनुसूचीकरण प्रक्रिया के पूर्ण क्रियान्वयन उपरान्त विद्युत् उत्पादक केन्द्र की स्थापित क्षमता से तत्संबंधी सफल निष्पादन परीक्षण द्वारा शीर्ष क्षमता के प्रदर्शन उपरान्त विद्युत् उत्पादक कम्पनी द्वारा हितग्राहियों को जारी किए गए नोटिस के सात दिवस उपरान्त प्रारम्भ होगा तथा अनुसूचीकरण प्रक्रिया निष्पादन परीक्षण पूर्ण होने के बाद 00:00 बजे से प्रारंभ होगीः

(दो) विद्युत् उत्पादक कम्पनी को इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी करना होगा कि

विद्युत् उत्पादक केन्द्र केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट विनियम यथा, Central Electricity Authority (Technical Standards for Construction of Electrical plants and Electric lines) Regulations, 2010 तथा ग्रिड संहिता के तकनीकी मानकों के मुख्य प्रावधानों की अर्हताओं की पूर्ति करता है:

(तीन) उपरोक्त प्रमाण–पत्र संलग्न प्ररूप **(परिशिष्ट–तीन)** के अनुसार कम्पनी के संचालक मण्डल के अनुमोदन पश्चात् कम्पनी के अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रबंध संचालक द्वारा हस्ताक्षरित कर जारी किया जाएगा तथा वाणिज्यिक प्रचालन तिथि घोषित करने के पूर्व प्रमाण–पत्र की एक प्रति राज्य भार प्रेषण केन्द्र को भी प्रस्तुत की जाएगी:

(चार) ऐसे प्रकरण में जहां जल विद्युत् उत्पादक स्टेशन मय जलाशय या संग्रहण के स्थापित क्षमता तत्संबंधी शीर्ष क्षमता प्रदर्शित करने हेतु अपर्याप्त संग्रहण या अपर्याप्त जलाशय स्तर के कारण ऐसा किया जाना संभव न हो वहां विद्युत् उत्पादक केन्द्र की अन्तिम इकाई की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि को विद्युत् उत्पादक केन्द्र हेतु समग्र रूप से माना जाएगा तथा ऐसे जल विद्युत् उत्पादक केन्द्र के लिए स्थापित क्षमता के बराबर विद्युत् उत्पादक इकाई या विद्युत् उत्पादक केन्द्र के लिए शीर्ष क्षमता प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा, जैसे ही ऐसे जलाशय/तालाब का स्तर प्राप्त हो जाए:

(पांच) यदि अपर्याप्त जल अन्तर्प्रवाह के कारण शीर्ष क्षमता के प्रदर्शन हेतु नदी बहाब जल विद्युत् उत्पादक स्टेशन या उसकी विद्युत् उत्पादक इकाई को वाणिज्यिक प्रचालन से कमतर घोषित कर दिया जाए तो ऐसे जल विद्युत् उत्पादक स्टेशन के लिए यह अनिवार्य होगा कि जैसे ही उसे पर्याप्त जल अन्तर्प्रवाह उपलब्ध हो जाए तो उसके द्वारा स्थापित क्षमता के बराबर शीर्ष क्षमता प्रदर्शित की जाए;

(ढ) **'दिवस'** से अभिप्रेत है, 24 घंटों की निरंतर अवधि जो 00:00 बजे से प्रारंभ होती है**;**

(ण) **'घोषित क्षमता'** से किसी विद्युत् उत्पादक केन्द्र के संबंध में अभिप्रेत है, ऐसे उत्पादक केन्द्र द्वारा दिवस के समय–खण्ड अथवा सम्पूर्ण दिवस हेतु मेगावाट में एक्स–बस विद्युत् प्रदाय करने की योग्यता जिसके अन्तर्गत ईंधन अथवा जल की उपलब्धता पर यथोचित विचार किया जाएगा तथा यह और सुसंगत विनियम के अन्तर्गत आगे अर्हता के अध्यधीन होगी;

(त) **'अपूंजीकरण'** से विद्युत्–दर (टैरिफ) के प्रयोजन हेतु, इन विनियमों के अन्तर्गत अभिप्रेत है, परियोजना की सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में कमी किया जाना, जो परिसम्पत्तियों को हटाये जाने/विलोपन से तत्संबंधी है; जैसा कि आयोग द्वारा इन्हें स्वीकार किया जाए;

(थ) **'अक्रियाशील करना'** से अभिप्रेत केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण या अन्य किसी प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रमाणित किये जाने के पश्चात् उसके द्वारा स्वयं या फिर परियोजना विकासक द्वारा या हितग्राहियों

अथवा दोनों द्वारा इस आशय की सूचना प्रेषित करने के बाद कि परियोजना का संचालन प्रौद्योगिक अप्रचलन या अलाभकर परिचालन या फिर इन कारकों के संयोजन के कारण भी परिसम्पत्तियों के अनिष्पादन के कारण किया जाना संभव नहीं है, किसी विद्युत् उत्पादक केन्द्र या उसकी किसी इकाई को सेवा से हटाए जाने से है;

(द) **'रुपांकित ऊर्जा'** से अभिप्रेत है ऊर्जा की मात्रा जो 90 प्रतिशत निर्भरता वाले वर्ष में 95 प्रतिशत स्थापित क्षमता के आधार पर जल विद्युत् उत्पादक केन्द्र द्वारा उत्पादित की जा सकती है;

(ध) **'विद्यमान परियोजना'** से ऐसी परियोजना अभिप्रेत है जिसे दिनांक 01.04.2016 से पूर्व किसी तिथि से वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया जा चुका हो;

(न) **'किया गया व्यय'** से अभिप्रेत है कोई निधि, भले ही वह पूंजी अथवा ऋण अथवा दोनों हों, जिस हेतु उपयोगी परिसम्पत्तियों के सृजन अथवा अधिग्रहण हेतु, वास्तविक रुप से रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य भुगतान किया गया है तथा इनमें वे वचनबद्धताएं अथवा दायित्व शामिल न होंगे, जिनके लिये कोई राशि जारी न की गई हो;

(प) **'विस्तारित जीवन काल'** से अभिप्रेत है किसी विद्युत् उत्पादक केन्द्र या उसकी किसी इकाई के उपयोगी जीवन काल के बाद का जीवनकाल जैसा कि आयोग द्वारा प्रकरण–दर–प्रकरण उसके गुण–दोष के आधार पर अवधारित किया जाए;

(फ) **'विशेष आकस्मिक परिस्थिति'** इन विनियमों के प्रयोजन के लिए विशेष आकस्मिक परिस्थिति से तात्पर्य किसी घटना या परिस्थिति या घटनाओं या परिस्थितियों के संयोजन से है जिनमें नीचे दर्शाई गई घटना व परिस्थिति भी शामिल है जो विद्युत् उत्पादक कम्पनी को आंशिक रूप से या फिर पूर्णतया किसी परियोजना को पूंजी निवेश अनुमोदन में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करने में बाधित करती हो तथा यह भी कि ऐसी परिस्थितियां तथा घटनाएं विद्युत् उत्पादक कम्पनी के नियंत्रण में न हों तथा टाला नहीं जा सकता हो, भले ही विद्युत् उत्पादक कम्पनी द्वारा युक्तियुक्त सावधानी बरती गई हो या फिर उसके द्वारा युक्तियुक्त उपयोगिता से संव्यवहारों को अपनाया गया होः

(क) दैवी घटना जिनमें शामिल हैं तड़ित, सूखा, अग्निकाण्ड तथा विस्फोट, भूकम्प, ज्वालामुखी उद्भेदन भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, प्रचण्ड तूफान, भूगर्भीय विस्मयकारी घटनाएं या फिर अपवादस्वरूप विपरीत मौसमी परिस्थितियां जो पिछले सौ वर्षों के सांख्यिकी आंकड़ों से अधिक हों; अथवा

(ख) युद्ध की कोई घटना, हमला, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु की कार्यवाही, नाका बन्दी, नौका–अवरोध, क्रान्ति, दंगा, विद्रोह या कोई सैनिक कार्यवाही; अथवा

(ग) व्यापक औद्योगिक हड़तालों तथा श्रमिक अशान्ति की घटनाएं जिनका भारत में व्यापक तौर पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो;

(ब) **'विद्युत् उत्पादक कंपनी'** से अभिप्रेत है कोई कंपनी या निगम निकाय या संघ या व्यक्तियों का निकाय चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति हो जो किसी विद्युत् उत्पादक

केन्द्र का स्वामी हो या उसे प्रचालित कर रहा हो या उसका संधारण कर रहा हो;

(भ) **'विद्युत् उत्पादक केन्द्र'** से अभिप्रेत है विद्युत् का उत्पादन करने वाले किसी केन्द्र (स्टेशन) से है, जिसमें कोई भवन तथा संयंत्र मय स्टेप–अप ट्रांसफार्मर, स्विच–गियर, स्विच यार्ड, केबलें या अन्य आनुषंगिक उपकरण, यदि कोई हों, जिनका उपयोग उक्त प्रयोजन से किया जाता हो तथा सम्बद्ध कार्य स्थल शामिल है; कार्यस्थल का उपयोग किसी विद्युत् उत्पादक केन्द्र के प्रयोजन से किया जाता हो तथा किसी भवन का उपयोग विद्युत् उत्पादक केन्द्र में कार्यरत् विद्युत् परिचालन पदाधिकारियों की बैठक व्यवस्था हेतु किया जाता है तथा विद्युत् उत्पादक केन्द्र जहां विद्युत् का उत्पादन जल–शक्ति द्वारा किया जाता है, में जल कपाट, शीर्ष तथा पुच्छल कार्य, मुख्य तथा नियंत्रक जलाशय, बांध तथा अन्य द्रवचालित कार्य शामिल हैं, परन्तु किसी भी परिस्थिति में इसमें कोई विद्युत् उप–केन्द्र शामिल नहीं है;

(म) **''विद्युत् उत्पादक इकाई'** किसी ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्र, {संयुक्त चक्रताप विद्युत् उत्पादक केन्द्र को छोड़कर} के संबंध में विद्युत् उत्प्रेरक इकाई से अभिप्रेत है वाष्प विद्युत् उत्पादक, टरबाईन विद्युत् उत्पादक तथा इसकी सहायक इकाईयों से अथवा किसी संयुक्त चक्र ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्र के संबंध में अभिप्रेत टरबाईन–विद्युत् उत्पादक तथा इसकी सहायक इकाईयां तथा जल विद्युत् उत्पादक केन्द्र के संबंध में अभिप्रेत है टरबाईन विद्युत् उत्पादक तथा इसकी सहायक इकाईयों;

(य) **'सकल ऊष्मीय मान'** किसी ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्र के संबंध में 'सकल ऊष्मीय मान' से अभिप्रेत है एक किलोग्राम ठोस ईंधन अथवा एक लीटर तरल ईंधन अथवा एक मानक घन मीटर गैस ईंधन, जैसा कि लागू हो, के सम्पूर्ण प्रज्वलन द्वारा किलो कैलोरी में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा;

(यक) **'सकल स्टेशन ऊष्मा दर'** से अभिप्रेत है किसी ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्र (स्टेशन) में ऊष्मा शक्ति का किलो कैलोरी में निवेश जिसके द्वारा उसके उत्पादक छोरों पर एक किलोवाट ऑवर विद्युत् ऊर्जा का उत्पादन हो सके;

(यख) **'अस्थाई विद्युत्'** से अभिप्रेत है किसी विद्युत् उत्पादक केन्द्र की इकाई अथवा खण्ड द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन से पूर्व ग्रिड में अन्तःक्षेप की गई विद्युत् की मात्रा;

(यग) **'स्थापित क्षमता'** से अभिप्रेत है विद्युत् उत्पादक केन्द्र की समस्त इकाईयों की नामपटिट्का पर दर्शाई गई क्षमताओं का योग अथवा विद्युत् उत्पादक केन्द्र के उत्पादक छोर पर की गई गणनानुसार क्षमता, जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किया जाए;

(यघ) **'पूंजी निवेश अनुमोदन'** से अभिप्रेत है विद्युत् उत्पादक कम्पनी के संचालक मण्डल या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के सम्प्रेषण से है जिसमें परियोजना को निधियों की व्यवस्था तथा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित समय–सीमा भी शामिल हैं :

परन्तु यह कि पूंजी निवेश अनुमोदन की तिथि की गणना संचालक मण्डल/सक्षम प्राधिकारी द्वारा संकल्प/कार्यवाही विवरण का अनुमोदन जारी होने की तिथि से की जाएगी;

(यड.) **'किलोवाट ऑवर'** अभिप्रेत है विद्युत् ऊर्जा की इकाई (यूनिट) जिसका मापन एक घंटे की अवधि के दौरान विद्युत् के एक किलोवाट अथवा एक हजार वाट मापन द्वारा उत्पादन या खपत के रूप में

किया जाता है;

(यच) **'अनुज्ञप्तिधारी'** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसे अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो;

(यछ) **'उच्चतम निरंतर गुणवत्ता श्रेणी** किसी ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्र की इकाई के संबंध में अभिप्रेत है ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्र के किसी उत्पादक के छोरों पर उच्चतम निरंतर विद्युत् उत्पादन, जिसे निर्माता कंपनी द्वारा गुणवत्ता श्रेणी के मानदण्डों अनुसार प्रत्याभूत (गारंटी) किया गया हो तथा संयुक्त चक्र ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्र के खण्ड के संबंध में अभिप्रेत है उत्पादक छोर पर उच्चतम निरंतर उत्पादन जिसे निर्माता द्वारा जल अथवा वाष्प अन्तःक्षेपण (लागू होने की दशा में) द्वारा 50 हर्ट्ज तक शोधित ग्रिड आवृत्ति (फ्रिक्वेंसी) तथा विनिर्दिष्ट स्थल परिस्थितियों के अनुसार प्रत्याभूत किया गया हो;

(यज) **'नवीन परियोजना'** से अभिप्रेत ऐसी परियोजना से है जिसके द्वारा दिनांक 1.4.2016 को या तत्पश्चात वाणिज्यिक प्रचालन तिथि प्राप्त की जाए या जिसका प्राप्त किया जाना प्रत्याशित हो;

(यझ) **'मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक'** किसी विद्युत् उत्पादक केन्द्र के संबंध में, 'मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक' से अभिप्रेत है, उपलब्धता कारक जैसा कि इसे ताप–विद्युत् उत्पादक स्टेशन तथा जल–विद्युत् उत्पादक केन्द्र हेतु इन विनियमों में क्रमशः विनियम 39 और विनियम 40 में निर्दिष्ट किया गया है;

(यञ) **'प्रचालन तथा संधारण व्यय'** से अभिप्रेत है परियोजना अथवा उसके किसी भाग के प्रचालन तथा संधारण पर किया गया कोई व्यय तथा इसमें सम्मिलित होंगे जनशक्ति, मरम्मत, संधारण कल–पुर्जो, उपभोज्य सामग्रियों, बीमा तथा उपरिव्यय पर किये गये व्यय परन्तु इनमें ईंधन व्यय तथा जल प्रभार शामिल नहीं होंगे;

(यट) **'मूल परियोजना लागत्'** से अभिप्रेत है विद्युत् उत्पादक कंपनी द्वारा पृथक्कृत दिनांक तक परियोजना के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किया गया पूंजीगत व्यय, जैसा कि इसे आयोग द्वारा स्वीकार किया गया हो;

(यठ) **'संयंत्र उपलब्धता कारक'** से किसी ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्र के संबंध में अवधि हेतु से अभिप्रेत है उक्त अवधि हेतु समस्त दिवसों के लिये दैनिक घोषित क्षमताओं का औसत जिसमें से मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत (मेगावॉट में) को घटाकर इसे स्थापित क्षमता के प्रतिशत में व्यक्त किया जाएगा;

(यड) **'संयंत्र भार कारक'** से किसी ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्र या किसी इकाई (यूनिट) के संबंध में किसी प्रदत्त अवधि से अभिप्रेत है, उक्त अवधि के दौरान अनुसूचित विद्युत् उत्पादन से तत्संबंधी प्रेषित की गई कुल ऊर्जा की मात्रा जिसे उक्त अवधि के दौरान स्थापित क्षमता से तत्संबंधी प्रेषित ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा इसकी गणना निम्न सूत्र के अनुसार की

जाएगी :

$$PLF = 10000 \times \sum_{i=1}^{N} SGi / \{N \times IC \times (100 - AUXn)\}\%$$

जहां

IC = विद्युत् उत्पादक केन्द्र या इकाई की मेगावाट में व्यक्त की गई स्थापित क्षमता,

SGi = अवधि के iवें समय खण्ड हेतु मेगावाट में व्यक्त अनुसूचित विद्युत् उत्पादन,

N = अवधि के दौरान समय खण्डों की संख्या तथा

AUXn = मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत, सकल ऊर्जा उत्पादन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है;

(यढ) **'परियोजना'** से अभिप्रेत है कोई विद्युत् उत्पादक केन्द्र तथा किसी जल–विद्युत् उत्पादक केन्द्र की दशा में उसमें सम्मिलित है, योजना से संबंधित विद्युत् उत्पादन सुविधा संबंधी समस्त घटक, जैसे कि योजना से जुड़े बांध, अंतर्ग्रहण जल–परिचालन प्रणाली, विद्युत् उत्पादक केन्द्र तथा विद्युत् उत्पादक इकाईयां जैसा कि वे विद्युत् उत्पादन गतिविधि में अभिभाजित है तथा ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्रों के बारे में खदान की गतिविधि शामिल नहीं होगी यदि वह खदान मुख परियोजना है तथा समर्पित कैप्टिव कोयला खदान है;

(यण) **'युक्तियुक्त होने संबंधी परीक्षण'** से अभिप्रेत है किये गये पूंजीगत व्यय या किए जाने के लिए व्यय प्रस्तावित वित्तीय प्रबंध योजना, दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, लागत तथा समय आधिक्य तथा ऐसे अन्य कारकों का, जिन्हें आयोग द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण बाबत् उपयुक्त माना जाए, तर्कसंगत होने संबंधी सूक्ष्म परीक्षण । युक्तियुक्त होने संबंधी परीक्षण करते समय आयोग द्वारा इस तथ्य की भी जांच–पड़ताल की जाएगी कि क्या विद्युत् उत्पादक कम्पनी द्वारा परियोजना के निष्पादन के दौरान अपने मूल्यांकनों तथा निर्णयों में सावधानी बरती गई है;

(यत) **'उद्वहन संग्रहण जल विद्युत् उत्पादक केन्द्र'** से अभिप्रेत है कोई ऐसा जल विद्युत् केन्द्र जिसके द्वारा विद्युत् का उत्पादन जल ऊर्जा के रूप में संग्रहीत ऊर्जा के माध्यम से किसी निम्न स्तर पर स्थित जलाशय से उच्च स्तर पर स्थित जलाशय की ओर जल के उद्वहन द्वारा किया जाता है;

(यथ) **'नदी–बहाव आधारित विद्युत् उत्पादक केन्द्र (स्टेशन)'** से अभिप्रेत है जल विद्युत् उत्पादक केन्द्र जिस पर नदी के बहाव की प्रतिकूल दिशा की ओर कोई जलाशय निर्मित नहीं किया गया है;

(यद) **'नदी–बहाव पर जलाशय आधारित विद्युत् उत्पादक केन्द्र'** से अभिप्रेत है जल–विद्युत् उत्पादक स्टेशन जिस पर पर्याप्त क्षमता का जलाशय निर्मित किया गया है जिसके माध्यम से ऊर्जा मांग की दैनिक परिवर्तनीय मांग की पूर्ति की जा सके;

(यध) **'अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि'** से अभिप्रेत है किसी विद्युत् उत्पादक केन्द्र अथवा उसकी

विद्युत् उत्पादक इकाई या खण्ड (ब्लाक), की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि(यां), जैसा कि इसके बारे में पूंजी निवेश अनुमोदन में दर्शाया गया हो या फिर विद्युत् क्रय अनुबंध में सहमति व्यक्त की गई हो, इनमें से जो भी पूर्वतर हों;

(यन) **'अनुसूचित ऊर्जा'** से अभिप्रेत है संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किसी कालावधि हेतु अनुसूचित की जाने वाली विद्युत् उत्पादक केन्द्र से ग्रिड में अन्तःक्षेप की जाने वाली विद्युत् ऊर्जा की मात्रा;

(यप) **'अनुसूचित विद्युत् उत्पादन''** का किसी समय पर या किसी अवधि या किसी समय–खण्ड हेतु अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रदत्त एक्स–बस से उत्पादन की अनुसूची मेगावाट में अथवा मेगावाट ऑवर में;

(यफ) **'प्रारंभ तिथि या शून्य तिथि'** से अभिप्रेत है परियोजना के क्रियान्वयन के प्रारंभ हेतु पूंजी निवेश अनुमोदन में दर्शाई गई तिथि तथा जहां कोई भी तिथि दर्शाई न गई हो वहां पूंजी निवेश अनुमोदन की तिथि को प्रारंभ तिथि या शून्य तिथि माना जाएगा;

(यब) **'संग्रहण प्रकार का विद्युत् उत्पादक केन्द्र'** से अभिप्रेत है जल विद्युत् ऊर्जा उत्पादक केन्द्र जो एक वृहद् जल संग्रहण क्षमता से संबद्ध है तथा परिवर्तनीय विद्युत् मांग के अनुरुप ऊर्जा उत्पादन में सक्षम है;

(यभ) **''ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्र'** से अभिप्रेत है कोई विद्युत् उत्पादक केन्द्र या उससे संबंद्ध इकाई जिसके द्वारा विद्युत् का उत्पादन प्राथमिक स्त्रोत के रूप में ऊर्जा के जीवाष्म ईंधन, जैसे कि कोयला, गैस, तरल ईंधन या इनके किसी संयोजन के उपयोग द्वारा किया जाता है;

(यम) **'निष्पादन परीक्षण' या 'प्रचालन परीक्षण'** किसी विद्युत् उत्पादक स्टेशन अथवा इससे संबद्ध इकाई के संबंध में निष्पादन परीक्षण से अभिप्रेत है विद्युत् उत्पादक इकाई या इससे संबद्ध इकाई के सफलतापूर्वक परिचालन से इसके उच्चतम निरन्तर गुणवत्ता श्रेणी या स्थापित क्षमता हेतु ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्र की किसी इकाई हेतु इसके निरन्तर 72 घंटे की अवधि के सफल संचालन से जबकि किसी जल विद्युत् उत्पादक केन्द्र या इससे संबंद्ध किसी इकाई की दशा में निरन्तर 12 घंटे की अवधि :

परन्तु यह कि जहां हितग्राहियों को विद्युत् उत्पादक केन्द्र से विद्युत् क्रय हेतु सहबद्ध किया गया हो वहां निष्पादन परीक्षण विद्युत् उत्पादक कम्पनी द्वारा हितग्राहियों को सात दिवस की सूचना अवधि के उपरान्त प्रारम्भ होगा;

(यय) **'उपयोगी जीवनकाल'** किसी विद्युत् उत्पादक स्टेशन की इकाई के इसकी वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के संबंध में उपयोगी जीवनकाल से निम्नानुसार अभिप्रेत है, अर्थात्:–

1.	कोयला आधारित ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्र	25 वर्ष
2.	जल–विद्युत् उत्पादक केन्द्र उद्वहन संग्रहण जल विद्युत् उत्पादक केन्द्रों को सम्मिलित करते हुए	35 वर्ष

परन्तु यह भी कि परियोजनाओं के उपयोगी जीवनकाल पूर्ण होने के पश्चात् इनके जीवनकाल में वृद्धि संबंधी निर्णय आयोग द्वारा लिया जाएगा;

(ययक) **'वर्ष'** से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष।

4.2 उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं किन्तु जो अधिनियम अथवा आयोग के किसी अन्य विनियमों में परिभाषित किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम अथवा उपयोग के किन्हीं विनियमों में उनके लिए दिए गए हैं।

अध्याय – 2

विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण की प्रक्रिया

5. **विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारणः**

5.1 किसी विद्युत् उत्पादक केन्द्र के बारे में विद्युत–दर अवधारण सम्पूर्ण विद्युत् उत्पादक केन्द्र या विद्युत् उत्पादक केन्द्र के किसी चरण या विद्युत् उत्पादक इकाई या खण्ड के लिये किया जा सकेगा।

परन्तु –

(एक) जहां किसी विद्युत् उत्पादक केन्द्र के किसी चरण से संबंधित समस्त विद्युत् उत्पादक इकाईयों को 1.4.2016 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया जा चुका हो वहां विद्युत् उत्पादक कम्पनी समग्र विद्युत् उत्पादक केन्द्र के बारे में वर्ष 2016–17 से वर्ष 2018–19 हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण के प्रयोजन से समेकित याचिका दायर करेगी।

(दो) ऐसी दशा में, जहां विद्युत् उत्पादक केन्द्र का वाणिज्यिक प्रचालन दिनांक 1.4.2016 को या तत्पश्चात् हो वहां विद्युत् उत्पादक कम्पनी विद्युत् उत्पादक केन्द्र की ऐसी समस्त इकाईयों को संयोजित करते हुए एक समेकित याचिका दायर करेगी या फिर ऐसी इकाइयों के बारे में समुचित याचिका दायर करेगी जिनकी आवेदन तिथि से आगामी चार माह की अवधि के भीतर क्रियाशील किये जाने की संभावनाएं हैं ।

5.2 विद्युत् दर (टैरिफ) के अवधारण के प्रयोजन से परियोजना की पूंजीगत लागत को चरणों, खण्डों, इकाईयों में विखण्डित किया जा सकेगा, यदि ऐसा किया जाना आवश्यक हो :

परन्तु जहां परियोजना की पूंजीगत लागत का विघटन इसके विभिन्न चरणों या इकाईयों या खण्डों हेतु उपलब्ध न हो तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं की दशा में, साझी सुविधाओं को इकाई की स्थापित क्षमता के आधार पर संविभाजित किया जाएगा ।

5.3 किसी बहुउद्देश्यीय जल विद्युत् उत्पादन योजना की दशा में जहां सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण तथा विद्युत् उत्पादन घटकों का समावेश हो वहां योजना के केवल विद्युत् उत्पादन से संबद्ध अदेय पूंजीगत लागत पर ही टैरिफ निर्धारण हेतु विचार किया जाएगा ।

5.4 जहां विद्युत् उत्पादक केन्द्र की आंशिक विद्युत् उत्पादन क्षमता हितग्राहियों को दीर्घ–अवधि विद्युत् क्रय अनुबंध के माध्यम से विद्युत् प्रदाय हेतु आबद्ध की गई हो तथा विद्युत् उत्पादन क्षमता के शेष भाग को हितग्राहियों को विद्युत् प्रदाय हेतु आबद्ध न किया गया हो वहां विद्युत् उत्पादन केन्द्र की विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण सम्पूर्ण परियोजना की पूंजीगत लागत के संदर्भ में किया जाएगा परन्तु इस प्रकार अवधारित की गई विद्युत–दर हितग्राहियों को विद्युत् प्रदाय हेतु अनुबंधित क्षमता के संबंध में ही प्रयोज्य होगी ।

6. विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण के सिद्धांत:

6.1 आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण के निबन्धन एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करते समय अधिनियम की धारा 61 में निहित सिद्धांतों के मार्गदर्शन का अनुसरण किया गया है ।

6.2 इन विनियमों का आशय विद्युत् उत्पादक कंपनी को सुस्थित वाणिज्यिक सिद्धांतों पर प्रचालन हेतु प्रोत्साहित करना हैं। उत्पादक कंपनी द्वारा पूंजी (इक्विटी) से अनुज्ञेय योग्य प्रतिलाभ आयोग द्वारा नियत प्रचालन तथा लागत मानदण्डों के विनिर्दिष्ट स्तरों के अनुसार किये गये निष्पादन पर निर्भर करेगा। परिसम्पत्ति आधार में सम्मिलित किये जाने हेतु केवल युक्तियुक्त पूंजीगत व्यय को ही मान्य किया जाएगा।

6.3 इन विनियमों में विनिर्दिष्ट बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा, वाणिज्यिक सिद्धांतों को अपनाया जाना तथा विद्युत् उत्पादक कंपनी हेतु दक्षतापूर्ण कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित करना है तथा ये केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग के सिद्धांतों पर आधारित हैं। टैरिफ अवधि हेतु प्रचालन तथा लागत मानदण्ड पूर्व अवधि में किये गये निष्पादन, इन्हीं के अनुरुप स्थापित की गई इकाईयों के निष्पादन, ईंधन, उपकरणों की गुणवत्ता, प्रचालन की प्रकृति तथा पूर्व वर्षों के निष्पादन को दृष्टिगत रखते हए उपार्जन की योग्यता पर यथोचित विचार करते हुए निर्दिष्ट किये गये हैं। अनुज्ञेय योग्य विद्युत–दरों (टैरिफ) का अवधारण इन मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा। उत्पादक कंपनी को इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों से बेहतर प्रदर्शन दर्शाये जाने पर बचत को स्वयं के पास पुरस्कार स्वरुप धारित रखने हेतु अनुज्ञेय किया गया है। इससे उत्पादक कंपनी से दक्ष निष्पादन तथा संसाधनों के मितव्ययी उपयोग हेतु प्रोत्साहित होने की अपेक्षा की जाती है। हितग्राही भी उत्पादक कंपनी के दक्ष निष्पादन तथा संशोधनों के मितव्ययी उपयोग द्वारा विद्युत–दरों (टैरिफ) में कमी एवं उत्पादक स्टेशनों की उपलब्धता तथा संयंत्र भार कारक में सुधार द्वारा लाभान्वित होंगे।

6.4 इन विनियमों में विनिर्दिष्ट निबंधन तथा शर्तें केवल पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों हेतु ही लागू होंगी ।

7. विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण हेतु आवेदन प्रस्तुति की प्रक्रिया:

7.1 विद्युत् उत्पादक कंपनी नवीन विद्युत् उत्पादक केन्द्रों के विद्युत् दर (टैरिफ) के अवधारण के बारे में एक आवेदन वाणिज्यिक प्रचालन की निर्धारित तिथि से चार माह के भीतर, परिशिष्ट–चार में दर्शायें गए प्रपत्रों के अनुसार समस्त सुसंगत दस्तावेजों तथा भरे जाने वाले विवरणों के साथ दाखिल कर सकेगी ।

7.2 आयोग को सदैव, उत्पादक कंपनी की किसी स्वविवेक याचिका की प्रस्तुति द्वारा अथवा किसी अभिरुचि रखने वाले या प्रभावित पक्षकार द्वारा दायर याचिका पर, टैरिफ तथा उसके निबंधन तथा शर्तों के अवधारण का अधिकार होगा तथा आयोग द्वारा ऐसी अवधारण प्रक्रिया के संबंध में जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, पहल की जा सकेगीः

परन्तु ऐसे विद्युत–दर (टैरिफ) के साथ संबंधित निबंधन तथा शर्तों की अवधारण संबंधी कार्रवाई को समय–समय पर यथासंशोधित कार्य संचालन विनियमों में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा।

7.3 विद्युत् उत्पादक कंपनी आयोग को आवेदन के एक भाग के रुप में ऐसे प्रपत्रों में जैसा कि वे आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये जाएं, विस्तृत विवरण हार्ड तथा सॉफ्ट प्रतियों में प्रस्तुत करेगी। उत्पादक कंपनी आवश्यक रुप से इकाईवार तथा केन्द्र (स्टेशन)–वार विवरण जैसा कि वे प्रपत्रों में विनिर्दिष्ट किये गये हों, प्रस्तुत करेगी जिससे आयोग को विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण करने में सुविधा हो ।

7.4 विद्युत् उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण के संबंध में एक आवेदन जो अंकेक्षकों द्वारा यथाप्रमाणित पूंजीगत व्यय पर आधारित होगा अथवा जिसे वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक उपगत किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो तथा अंकेक्षकों द्वारा यथाप्रमाणित उपगत किया गया अतिरिक्त पूंजीगत व्यय अथवा जिसे विद्युत् उत्पादक केन्द्र विद्युत–दर की अवधि के दौरान उपगत किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो, इन विनियमों के अनुसार दाखिल किया जाएगा

विद्युत् उत्पादक कंपनी को आवेदन को प्रक्रियाबद्ध किये जाने के प्रयोजन से कतिपय अतिरिक्त जानकारी अथवा विवरण अथवा अभिलेख, जो आवेदन पर यथोचित कार्रवाई के प्रयोजन से अनिवार्य समझे जाएं, प्रस्तुत करने होंगेः

परन्तु किसी विद्यमान परियोजना के प्रकरण में, आवेदन स्वीकृत पूंजीगत लागत मय किसी अतिरिक्त पूंजीकरण के, जिसे दिनांक 31.03.2016 तक स्वीकृत किया जा चुका हो तथा विद्युत–दर अवधि वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु तत्संबंधी वर्षों के अनुमानित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय पर आधारित होगाः

परन्तु यह और कि आवेदन में प्रक्षेपित पूंजीगत लागत तथा अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, जहां यह लागू हो, के संबंध में अन्तर्निहित पूर्वधारणाओं के विवरण भी सम्मिलित किये जाएंगे।

7.5 समस्त वांछित जानकारी, विवरण एवं अभिलेख जो अर्हताओं के परिपालनार्थ आवश्यक हों, सम्पूर्ण आवेदन के साथ प्राप्त होने की दशा में ही आवेदन को प्राप्त किया गया माना जाएगा तथा आयोग अथवा सचिव अथवा आयोग द्वार इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट अधिकारी

आवेदन को संक्षेप में तथा ऐसी रीति में, जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए, यह सूचित करेंगे कि आवेदन प्रकाशन हेतु तैयार है, {कृपया देखें मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कम्पनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 समय–समय पर यथासंशोधित} । विद्युत् उत्पादक कम्पनी द्वारा आयोग को प्रस्तुत की गई अपनी याचिका के समस्त विवरण आयोग द्वारा उसे स्वीकार किये जाने की तिथि से सात कार्यकारी दिवस के भीतर अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करने होंगे।

7.6 विद्युत् उत्पादक कंपनी आयोग को ऐसी समस्त पुस्तकें तथा अभिलेख (अथवा उनकी प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां) लेखांकन विवरण–पत्र, परिचालन तथा लागत आंकड़े जो कि आयोग द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु अपेक्षित किए जाएं, प्रस्तुत करेगी।

7.7 आयोग, यदि उचित समझे, तो वह किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को ऐसी जानकारी जो उत्पादक कंपनी ने आयोग को प्रस्तुत की है, ऐसी पुस्तकों तथा अभिलेखों की संक्षेपिका सहित (अथवा उनकी प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियों के) उपलब्ध करा सकेगाः

परन्तु आयोग कतिपय आदेश जारी कर, यह निर्देशित कर सकेगा कि आयोग द्वारा संधारित की जाने वाली ऐसी जानकारी, अभिलेख व पत्र/सामग्रियां गोपनीय अथवा विशेषाधिकारयुक्त होंगी जो निरीक्षण हेतु अथवा प्रमाणित प्रतिलिपियों के रुप में उपलब्ध न कराई जा सकेंगी तथा आयोग यह भी निर्देशित कर सकेगा कि ऐसे अभिलेख, पत्र अथवा सामग्री को किसी ऐसी रीति द्वारा उपयोग न किया जा सकेगा, सिवाय जैसा कि आयोग द्वारा विशिष्ट रुप में इस बाबत् प्राधिकृत किया जाए।

7.8 यदि याचिका में प्रस्तुत की गई जानकारी इन विनियमों की अर्हताओं के अन्तर्गत किसी भी प्रकार से अपर्याप्त हो, तो आयोग द्वारा जैसा कि आयोग के पदाधिकारियों द्वारा पाई गई कमियों में सुधार किये जाने बाबत् निर्दिष्ट किया गया हो, याचिका को विद्युत् उत्पादक कम्पनी को एक माह के भीतर पुनः प्रस्तुत करने हेतु वापस कर दिया जाएगा ।

7.9 यदि याचिका में प्रस्तुत की गई जानकारी विनियमों के अनुसार हो तथा दावों के युक्तियुक्त परीक्षण हेतु पर्याप्त हो तो आयोग प्रतिवादियों से याचिका दायर करने की तिथि से एक माह (अथवा आयोग द्वारा निर्दिष्ट की गई समयावधि) के भीतर तथा अन्य कोई व्यक्ति, उपभोक्ता अथवा उपभोक्ता संघों को शामिल करते हुए, प्राप्त किए गए सुझाव तथा आपत्तियां, यदि कोई हों, पर विचार करेगा । आयोग याचिकाकर्ता, प्रतिवादियों तथा किसी अन्य व्यक्ति से, जिसे आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमति प्रदान की गई हो, की सुनवाई के बाद विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश जारी करेगा ।

7.10 नवीन परियोजनाओं की दशा में, आयोग द्वारा विद्युत् उत्पादक कम्पनी को इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से प्रक्षेपित पूंजीगत व्यय के आधार पर विद्युत–दर (टैरिफ) अनुज्ञेय की जा सकेगीः

परन्तु :

(एक) अन्तिम टैरिफ आदेश जारी होने के पश्चात् इन विनियमों के विनियम 8.15 के अनुसर समायोजन के अध्यधीन रहते हुए, आयोग द्वारा परियोजना की वार्षिक स्थाई लागत की 90 प्रतिशत तक की राशि को विद्युत–दर (टैरिफ) के रूप में स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी जिसके अनुसार आयोग द्वारा परियोजना की लागत का अवधारण युक्तियुक्त परीक्षण के बाद किया गया हो ।

(दो) यदि वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि में इन विनियमों के विनियम 7.9 के अनुरूप टैरिफ आदेश जारी होने की तिथि से 180 दिवस से अधिक का विलंब हो जाए तो स्वीकृत विद्युत–दर (टैरिफ) को निरस्त माना जाएगा तथा विद्युत् उत्पादक कम्पनी को टैरिफ अवधारण हेतु परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के बाद एक नवीन आवेदन प्रस्तुत करना होगा :

(तीन) जहां आयोग द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) में पूंजीगत लागत वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की स्थिति में प्रक्षेपित पूंजीगत लागत के आधार पर मानी गई हो या फिर प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की गई वास्तवित पूंजीगत लागत से वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 5 प्रतिशत से अधिक हो, वहां विद्युत् उत्पादक कम्पनी हितग्राहियों से अधिक पूंजीगत लागत से तत्संबंधी वसूल की गई अधिक विद्युत–दर (टैरिफ) का प्रत्यर्पण, जैसा कि इसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए, ब्याज की राशि के साथ, जो तत्संबंधी वर्ष की प्रथम अप्रैल को प्रचलित बैंक दर का 1.20 गुना होगी, करेगी ।

(चार) जहां आयोग द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) में पूंजीगत लागत वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की स्थिति में प्रक्षेपित पूंजीगत लागत के आधार पर मानी गई हो या फिर प्रक्षेपित अतिक्ति पूंजीगत व्यय, की गई वास्तविक पूंजीगत लागत से वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 5 प्रतिशत से कम हो, वहां विद्युत् उत्पादक कम्पनी हितग्राहियों से कम पूंजीगत लागत से तत्संबंधी राशि की वसूली, जैसा कि इसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए, ब्याज की राशि के साथ, जो तत्संबंधी वर्ष की प्रथम अप्रैल को प्रचलित बैंक दर का 0.8 गुना होगी, करेगी।

7.11 विद्यमान परियोजनाओं की दशा में, आयोग द्वारा विद्युत् उत्पादक कम्पनी को टैरिफ अवधि वर्ष 2016–17 से वर्ष 2018–19 हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) दिनांक 1.4.2016 की स्थिति में स्वीकृत पूंजीगत लागत तथा प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के अनुसार अनुज्ञेय किया जा सकेगा;

परन्तु :

(एक) विद्युत् उत्पादक कम्पनी हितग्राहियों को इन विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2016 की स्थिति में लागू अनुमोदित विद्युत–दर (टैरिफ) के अनुसार दिनांक 1.4.2016 को प्रारंभ होने वाली अवधि से आयोग द्वारा विद्युत–दर का अनुमोदन किए जाने तक, बिल किया जाना जारी रखेगी ।

(दो) उपरोक्त परन्तुक (एक) के अनुसार अवधारित विद्युत–दर (टैरिफ) तथा इन विनियमों के अन्तर्गत अवधारित विद्युत–दर की अन्तर बिलिंग राशि की वसूली या प्रत्यर्पण विद्युत् उत्पादक

कम्पनी द्वारा मय साधारण ब्याज के तत्संबंधी वर्ष की प्रथम अप्रैल की तिथि की स्थिति में बैंक दर के बराबर दर पर आयोग द्वारा जारी किये गये टैरिफ आदेश की तिथि से छह माह के भीतर किया जाएगा ।

(तीन) जहां आयोग द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) में पूंजीगत लागत वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की स्थिति में प्रक्षेपित पूंजीगत लागत के आधार पर मानी गई हो या फिर प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की गई वास्तविक पूंजीगत लागत से वर्ष–दर वर्ष आधार पर 5 प्रतिशत से अधिक हो, वहां विद्युत् उत्पादक कम्पनी हितग्राहियों से अधिक पूंजीगत लागत से तत्संबंधी वसूल की गई अधिक विद्युत–दर का प्रत्यर्पण, जैसा कि इसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए, ब्याज की राशि के साथ जो तत्संबंधी वर्ष की प्रथम अप्रैल को प्रचलित बैंक दर का 1.2 गुना होगी, आयोग द्वारा जारी किये गये टैरिफ आदेश की तिथि से छह माह के भीतर करेगी।

(चार) जहां आयोग द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) में पूंजीगत लागत वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की स्थिति में प्रक्षेपित पूंजीगत लागत के आधार पर मानी गई हो या फिर प्रक्षेपित अतिक्ति पूंजीगत व्यय, की गई वास्तविक पूंजीगत लागत से वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 5 प्रतिशत से कम हो, वहां विद्युत् उत्पादक कम्पनी हितग्राहियों से कम पूंजीगत लागत से तत्संबंधी विद्युत–दर की वसूली, जैसा कि इसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए, ब्याज की राशि के साथ, जो तत्संबंधी वर्ष की प्रथम अप्रैल को प्रचलित बैंक दर का 0.8 गुना होगी, आयोग द्वारा जारी किये गये टैरिफ आदेश की तिथि से छह माह के भीतर करेगी।

8. विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण की विधि तथा सत्यापनः

8.1 आयोग, विद्युत् उत्पादक कंपनी की विद्युत–दर (टैरिफ) अवधियों का समय–समय पर निर्धारण करेगा। टैरिफ अवधारण के सिद्धान्त विद्युत–दर अवधि के दौरान ही प्रयोज्य होंगे। इन विनियमों के अन्तर्गत विद्युत–दर अवधारण के मार्गदर्शी सिद्धांत आगामी विद्युत–दर हेतु दिनांक प्रथम अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2019 की अवधि तक वैध रहेंगे।

8.2 इन विनियमों के अन्तर्गत, विद्युत् उत्पादक कंपनी से संबंधित विद्युत–दर (टैरिफ) इकाई (यूनिट)–वार अथवा इकाईयों के समूह हेतु अवधारित की जाएगी। तथापि, जब कभी भी किसी नवीन विद्युत् उत्पादक इकाई की दिनांक 1.4.2016 के उपरान्त अभिवृद्धि की जाए तो आयोग द्वारा ऐसी नवीन इकाई(यों) हेतु पृथक् से विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारित की जाएगी। विद्युत् उत्पादक कंपनी प्रत्येक विद्युत् उत्पादक केन्द्र हेतु दिनांक 1.4.2016 से पूर्व की इकाईयों हेतु, तथा इसके तत्पश्चात् संयोजित की गई इकाईयों हेतु पृथक् से विभाजन दर्शाते हुए, गणनाएं प्रस्तुत करेगी ।

8.3 विद्युत–दर (टैरिफ) के प्रयोजन हेतु परियोजना की पूंजीगत लागत को प्रक्रम–वार तथा परियोजना की विशिष्ट इकाईयों द्वारा पृथक्–पृथक् किया जाएगा। जहां परियोजना की पूंजीगत लागत का प्रक्रमवार व इकाईवार विवरण का ब्यौरा उपलब्ध न हो तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं

के प्रकरणों में भी संयुक्त सुविधाओं को इकाईयों की क्षमता के आधार पर आनुपातिक रुप से विभाजित किया जाएगा । सिंचाई, बाढ़–नियंत्रण तथा ऊर्जा उत्पादन से संबंधित बहुउद्देशीय जल–विद्युत् परियोजनाओं के प्रकरणों में केवल परियोजना के ऊर्जा उत्पादन से संबंधित घटक पर ही विद्युत–दर अवधारण हेतु विचार किया जाएगा।

व्याख्याः ''परियोजना'' में सम्मिलित है विद्युत् उत्पादक केन्द्र ।

8.4 विद्युत् उत्पादक कंपनी विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि के आरंभ में एक याचिका दायर करेगी। आयोग द्वारा उस वर्ष के दौरान जिस हेतु सत्यापन किये जाने संबंधी अनुरोध किया जा रहा है, किये गये पूंजीगत व्यय तथा वास्तविक रुप से किये गये अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के आंकड़ों का सूक्ष्म परीक्षण तथा उसका सत्यापन करने हेतु, समीक्षा की जाएगी। विद्युत् उत्पादक कम्पनी, सत्यापन के प्रयोजन हेतु, अवधि दिनांक 1.4.2016 से दिनांक 31.3.2019 तक उपगत किये गये पूंजीगत व्यय तथा अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, अंकेक्षकों द्वारा यथाअंकेक्षित तथा प्रमाणित किये गये अनुसार प्रस्तुत करेगी ।

8.5 विद्यमान विद्युत् उत्पादक केन्द्रों हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) याचिका हार्ड तथा सॉफ्ट प्रतियों में इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से 60 दिवस के भीतर दाखिल की जाएगी।

8.6 कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी, जिसके पास एक विद्युत् उत्पादक केन्द्र का स्वामित्व तथा उसके परिचालन का दायित्व हो, वह उसके उत्पादन व्यवसाय, अनुज्ञप्त व्यवसाय तथा अन्य व्यवसायों के पृथक्–पृथक् लेखे संधारित करेगा तथा प्रस्तुत करेगा ।

8.7 विद्युत् उत्पादक कम्पनी द्वारा उसकी विद्युत–दर का सत्यापन निम्न नियंत्रणीय मानदण्डों के निष्पादन के आधार पर कराया जाएगा :

(एक) स्टेशन ऊष्मा दर;

(दो) द्वितीयक ईंधन तेल की खपत; तथा

(तीन) सहायक ऊर्जा खपत;

8.8 आयोग द्वारा विद्युत् उत्पादक केन्द्र की विद्युत–दर का सत्यापन निम्न अनियंत्रणीय मानदण्डों के निष्पादन के आधार पर कराया जाएगा :

(एक) विशेष आकस्मिक परिस्थिति;

(दो) कानून में परिवर्तन; तथा

(तीन) प्राथमिक ईंधन लागत

8.9 किसी विद्युत् उत्पादक कम्पनी द्वारा नियंत्रणीय मानदण्डों के कारण होने वाले वित्तीय लाभ का बंटवारा विद्युत् उत्पादन कम्पनी तथा हितग्राहियों के मध्य मासिक आधार पर लेखे का वार्षिक मिलान किये जाने पर किया जाएगा । विद्युत् उत्पादक केन्द्र के प्रकरण में परिचालन मानदण्डों के कारण वित्तीय लाभों की गणना जैसा कि इसे इस विनियम की कण्डिका 8.7 (एक) से (तीन) में दर्शाया गया है, निम्न सूत्रों के अनुसार विद्युत् उत्पादक केन्द्र तथा हितग्राहियों के मध्य 2:1 के अनुपात में

विभाजित की जाएगी ।

शुद्ध लाभ = (ECRN - ECRA) X अनुसूचित विद्युत् उत्पादन

जहां,

ECRN – मानदण्डीय ऊर्जा प्रभार दर जिसकी गणना माह हेतु स्टेशन ऊष्मा दर, सहायक खपत तथा द्वितीयक ईंधन तेल खपत के आधार पर की जाएगी ।

ECRA – वास्तविक ऊर्जा प्रभार दर जिसकी गणना वास्तविक स्टेशन ऊष्मा दर, सहायत खपत तथा माह हेतु द्वितीयक ईंधन तेल खपत के आधार पर की जाएगी :

परन्तु यह कि जल विद्युत् उत्पादक स्टेशन की दशा में, यदि अनुसूचित विद्युत् उत्पादन विक्रय योग्य रूपांकित ऊर्जा से अधिक हो तो अनुसूचित विद्युत् उत्पादन के स्थान पर विक्रय योग्य रूपांकित ऊर्जा पर ही विचार किया जाएगा ।

8.10 नियंत्रणीय मानदण्डों के कारण विद्युत् उत्पादक कम्पनी के वित्तीय लाभों तथा हानियों को हितग्राहियों को अन्तरित किया जाएगा ।

8.11 विद्युत् उत्पादक कम्पनी विद्युत् उत्पादक केन्द्र या इससे संबद्ध किसी इकाई या खण्ड के बारे में प्रत्येक वर्ष हेतु, इन विनियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार हार्ड तथा साफ्ट प्रति में उन्हीं प्ररूपों में प्रतिवर्ष दिनांक 15 नवम्बर तक सत्यापन अभ्यास के क्रियान्वयन हेतु एक आवेदन प्रस्तुत करेगी ।

8.12 विद्युत् उत्पादक कम्पनी 1.4.2016 से 31.3.2019 की अवधि हेतु सत्यापन के प्रयोजन हेतु किए गए वास्तविक पूंजीगत व्यय तथा अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के विस्तृत विवरण अंकेक्षक द्वारा विधिवत् अंकेक्षण तथा प्रमाणित कराने के पश्चात् प्रस्तुत करेगी ।

8.13 जहां सत्यापन के बाद, वसूल की गयी विद्युत–दर (टैरिफ) आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत अनुमोदित विद्युत–दर (टैरिफ) से अधिक हो, वहां विद्युत् उत्पादक कम्पनी वसूल की गई अधिक राशि का प्रत्यर्पण हितधारकों को इस विनियम के खण्ड 8.15 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार करेगी ।

8.14 जहां सत्यापन के बाद, वसूल की गयी विद्युत–दर (टैरिफ) आयोग द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत अनुमोदित विद्युत–दर (टैरिफ) से कम हो, वहां विद्युत् उत्पादक कम्पनी हितधारकों से कम वसूल की गई राशि की वसूली इस विनियम के खण्ड 8.15 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार करेगी ।

8.15 विद्युत् उत्पादक कम्पनी द्वारा कम वसूल की गई राशि तथा अधिक वसूल की गई राशि को मय साधारण ब्याज के तत्संबंधी वर्ष की प्रथम अप्रैल को लागू बैंक दर के बराबर राशि की वसूली या प्रत्यर्पण को आयोग द्वारा जारी किये गये विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश की तिथि से छह माह के भीतर किया जाएगा ।

9. वार्षिक लेखे, प्रतिवेदनों आदि का प्रस्तुतिकरण:

9.1 विद्युत् उत्पादक कंपनी को लेखों के वार्षिक विवरण–पत्र तथा ऐसी अन्य जानकारी जैसी कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत करनी होंगी । वार्षिक लेखों की प्रस्तुति के अतिरिक्त,

उत्पादक कंपनी को आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित विभिन्न विनियमों तथा संहिताओं को अपेक्षित जानकारियों का अनुपालन करना होगा।

9.2 विद्युत् उत्पादक कंपनी द्वारा वांछित जानकारी की प्रस्तुति के अभाव में, आयोग कतिपय स्व–विवेक याचिका द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर सकेगा।

10. विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण में अन्तराल:

10.1 किसी भी वित्तीय वर्ष में विद्युत–दर (टैरिफ) अथवा विद्युत–दर का कोई भी अंश सामान्यतः एक से अधिक बार के अन्तराल में संशोधित नहीं किया जा सकेगा, केवल ऐसी परिस्थितियों को छोड़ कर जहां विनियमों के निबन्धनों में विनिर्दिष्टानुसार किसी परिवर्तन के संबंध में अनुमति प्रदान की जा चुकी हो। आयोग, स्वयं का समाधन हो जाने पर ही, जिस हेतु उसके द्वारा कारण लिखित में अभिलिखित किए जाएंगे, विद्युत–दर (टैरिफ) में अन्य पुनरीक्षण अनुज्ञेय कर सकेगा।

10.2 इन विनियमों के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन, किसी वर्ष हेतु स्वीकृत किये गये व्ययों की वसूली, किसी अनुवर्ती अवधि हेतु स्वीकृत अवधारित विद्युत–दर (टैरिफ) में समायोजन के अध्यधीन होगी, यदि आयोग इस बारे में सन्तुष्ट हो कि किसी राशि आधिक्य अथवा कमी जो उसके वास्तविक अथवा किये गये व्ययों से संबंधित है, का समायोजन अपरिहार्य है एवं वह किसी विशिष्ट कारण से विद्युत् उत्पादक कम्पनी के नियंत्रण में न होने के कारणवश है।

11. सुनवाई:

11.1 विद्युत–दर (टैरिफ) आवेदन पर सुनवाई संबंधी प्रक्रिया मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004, समय–समय पर यथासंशोधित, में विनिर्दिष्ट अनुसार की जाएगी।

12. आयोग के आदेश:

12.1 किसी याचिका के दायर किये जाने पर, आयोग विद्युत् उत्पादक कंपनी से किसी अतिरिक्त जानकारी, विवरण, दस्तावेज, सार्वजनिक अभिलेख आदि, जैसा कि आयोग उचित समझे, की मांग कर सकेगा ताकि आयोग याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत गणनाओं, अनुमानों एवं अभिकथनों का मूल्यांकन कर सके।

12.2 जानकारी प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा, आयोग समय समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 के उपबन्धों के अनुरुप समुचित आदेश जारी कर सकेगा।

13. **अनुमोत विद्युत–दर (टैरिफ) से भिन्न दर प्रभारित करना:**

13.1 किसी विद्युत् उत्पादक कंपनी के सम्बन्ध में, जिसे हितग्राही से आयोग द्वारा अनुमोदित से भिन्न विद्युत–दर (टैरिफ) प्रभारित करते हुये पाया जाएगा, यह माना जाएगा कि उसके द्वारा आयोग के आदेशों का परिपालन नहीं किया गया है, उसे अधिनियम की धारा 142 के अन्तर्गत तथा अधिनियम के अन्य उपबंधों के अन्तर्गत उत्पादक कंपनी द्वारा देय अन्य किसी दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी दण्डित किये जाने की पात्रता होगी। ऐसे प्रकरण में जहां वसूल की गई राशि, आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई राशि से अधिक हो तो इस प्रकार अधिक वसूल की गई राशि को हितग्राहियों को, जिनके द्वारा अधिक राशि का भुगतान किया गया है, मय उक्त अवधि के साधारण ब्याज के साथ जिसकी दर तत्संबंधी वर्ष की प्रथम अप्रैल की स्थिति में बैंक दर के बराबर होगी, आयोग द्वारा अधिरोपित अन्य किसी शास्ति के अलावा, प्रत्यर्पण की जाएगी।

14. **विद्युत् उत्पादक कंपनी की वार्षिक समीक्षा:**

14.1 विद्युत् उत्पादक कंपनी नियतकालिक विवरणिकाएं जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए जिनमें परिचालन तथा लागत आंकड़े दर्शाये गये हों, आयोग को उसके आदेश के परिपालन को सुनिश्चित बनाये जाने संबंधी अनुश्रवण (मानिटरिंग) हेतु प्रस्तुत करेगी।

14.2 विद्युत् उत्पादक कम्पनी आयोग को उसके निष्पादन के वार्षिक विवरण–पत्र तथा लेखा मय अंकेक्षित लेखे के अन्तिम प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करेगी।

अध्याय – 3

पूंजीगत लागत तथा पूंजीगत संरचना की संगणना:

15. पूंजीगत लागत :

15.1 पूंजीगत लागत, जैसा कि इसका अवधारण आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार युक्तियुक्त परीक्षण के बाद किया जाएगा, विद्यमान तथा नवीन परियोजनाओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण का आधार बनेगी ।

15.2 किसी नवीन परियोजना की पूंजीगत लागत में निम्न लागत/व्यय शामिल होंगे :

(क) परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक किया गया कोई व्यय या वह व्यय जिसे उपगत किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो;

(ख) निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज तथा वित्तीय प्रबंधन प्रभार, ऋणों पर (एक) लगाई गई 70 प्रतिशत निधि के बराबर, ऐसे प्रकरणों में जहां वास्तविक पूंजी लगाई गई निधि से 30 प्रतिशत अधिक हो, वहां आधिक्य पूंजी को मानदण्डीय ऋण माना जाएगा, अथवा (दो) लगाई गई निधि के 30 प्रतिशत से कम लगाई गई निधि के प्रकरण में, ऋण की वास्तविक राशि के बराबर होगा;

निर्माण अवधि के दौरान प्राप्त ऋण के संबंध में विदेश विनिमय जोखिम विषमता के कारण प्राप्त किया गया कोई लाभ या वहन की गई कोई हानि पूंजीगत लागत का भाग बनेंगे;

(ग) संविदा संवेष्टनों की लागत में वृद्धि, जैसा कि आयोग द्वारा इसे अनुमोदित किया जाए;

(घ) निर्माण अवधि के दौरान ब्याज तथा निर्माणाधीन अवधि के दौरान आनुषंगिक व्यय, जैसा कि इसकी गणना इन विनियमों के विनियम **17** के अनुसार की जाए;

(ङ) पूंजीगत प्रारंभिक कलपुर्जों की लागत, जो इन विनियमों के विनियम **19** में निर्दिष्ट उच्चतम दरों के अध्यधीन होंगे;

(च) अतिरिक्त पूंजीकरण तथा अपूंजीकरण के कारण किया गया व्यय जैसा कि इसे इन विनियमों के विनियम **20** के अनुसार अवधारित किया जाए;

(छ) वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से पूर्व अस्थाई विद्युत् के विक्रय के कारण राजस्व में समायोजन द्वारा जैसा कि इसे इन विनियमों के विनियम **24** में निर्दिष्ट किया गया है।

15.3 किसी विद्यमान परियोजना की पूंजीगत लागत में निम्न लागत/व्यय शामिल होंगे :

(क) आयोग द्वारा दिनांक 1.4.2016 से पूर्व स्वीकृत की गई पूंजीगत लागत जिसे विधिवत रूप से

सत्यापित किया गया हो, परन्तु इसमें दिनांक 1.4.2016 की स्थिति में किसी प्रकार के दायित्व को शामिल नहीं किया जाएगा;

(ख) तत्संबंधी वर्ष हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) से संबद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण तथा अपूंजीकरण जैसा कि इसे विनियम **20** के अनुसार अवधारित किया जाए;

(ग) नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के कारण कोई व्यय जिसे आयोग द्वारा विनियम **21** के अनुसार स्वीकृत किया जाए ।

15.4 विद्यमान/नवीन जल विद्युत् उत्पादक केन्द्र के प्रकरण में पूंजीगत लागत में निम्न लागतों को भी शामिल किया जाएगा :

(क) राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन नीति तथा पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन समुच्चय के अनुरूप परियोजना की अनुमोदित पुनर्वास तथा पुनर्व्यस्थापन योजना लागत; तथा

(ख) प्रभावित क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना परियोजना हेतु परियोजना विकासक का 10 प्रतिशत अंशदान;

15.5 ताप विद्युत् उत्पादक स्टेशन के बारे में पूंजीगत लागत, उपगत की गई या जिसे भारत सरकार की निष्पादन, अर्जन तथा व्यापार से संबंधित योजना (स्कीम) के कारण उपगत किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो, पर आयोग द्वारा प्रकरण दर–प्रकरण उसके गुण–दोष के आधार पर विचार किया जाएगा तथा इसमें निम्न को शामिल किया जाएगा :

(क) विकासक द्वारा 'PAT' योजना के मानदण्डों के अनुरूप प्रस्तावित योजना की लागत; तथा

(ख) 'PAT' योजना के कारण प्राप्त होने वाले लाभों का परस्पर विभाजन ।

15.6 विद्यमान तथा नवीन परियोजनाओं की पूंजीगत लागत में से निम्न पहलुओं को या तो शामिल नहीं किया जाएगा या फिर हटा लिया जाएगा :

(क) ऐसी परिसम्पत्तियां जो परियोजना का भाग तो हैं परन्तु जिन्हें उपयोग में नहीं लाया जा रहा है;

(ख) परिसम्पत्ति का अपूंजीकरण;

(ग) किसी जल विद्युत् उत्पादक केन्द्र के प्रकरण में परियोजना विकासक द्वारा राज्य सरकार द्वारा परियोजना स्थल के आवंटन के संबंध में द्वि–चरण बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसरण में किया गया कोई व्यय या जिसे उपगत किये जाने बाबत् आबद्ध किया गया हो;

(घ) भूमि की आनुपातिक लागत जिसका उपयोग नवकरणीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत् उत्पादक केन्द्र से विद्युत् के उत्पादन हेतु किया जा रहा हो :

परन्तु केन्द्र या राज्य सरकार अथवा कोई सांविधिक निकाय अथवा प्राधिकरण से परियोजना के निष्पादन हेतु प्राप्त किये गये किसी अनुदान को, जिसमें अदायगी के दायित्व को शामिल न किया गया हो, पूंजीगत लागत पर ऋण, पूंजी पर प्रतिलाभ तथा मूल्यह्रास पर ब्याज की गणना के प्रयोजन हेतु शामिल नहीं किया जाएगा ।

16. **पूंजीगत व्यय का युक्तियुक्त परीक्षण :**

विद्यमान तथा प्रस्तावित परियोजनाओं की पूंजीगत लागत के युक्तियुक्त परीक्षण के संबंध में निम्न सिद्धान्त अपनाए जाएंगे :

16.1 किसी ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्र के प्रकरण में, पूंजीगत लागत का युक्तियुक्त परीक्षण केन्द्रीय आयोग द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किये गये/भविष्य में निर्दिष्ट किए जाने वाले मार्गदर्शी मानदण्डों पर विचार करते हुए किया जाएगा :

परन्तु यह कि ऐसे प्रकरणों में जहां केन्द्रीय आयोग द्वारा मार्गदर्शी मानदण्डों का अनुप्रयोग न किया गया हो, वहां युक्तियुक्त परीक्षण में पूंजीगत व्यय का सूक्ष्म परीक्षण, वित्त प्रबंधन योजना, निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज, निर्माण अवधि के दौरान किया गया आनुषंगिक व्यय उसके युक्तियुक्त होने बाबत, दक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग, आधिक्य लागत तथा आधिक्य समय, सामग्री की अधिप्राप्ति के बारे में प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया का परिपालन तथा इसी प्रकार के अन्य विषय सम्मिलित किये जाएंगे, जैसा कि ये आयोग द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु समुचित समझे जाएं:

परन्तु ऐसे प्रकरणों में जहां केन्द्रीय आयोग द्वारा मार्गदर्शी मानदण्ड निर्दिष्ट किये गये हों वहां विद्युत् उत्पादक कम्पनी द्वारा आयोग की तुष्टि हेतु मार्गदर्शी मानदण्डों के अनुसार पूंजीगत लागत में हुई किसी वृद्धि बाबत् कारण प्रस्तुत किये जाएंगे ताकि मार्गदर्शी मानदण्डों से अधिक लागत को अनुज्ञेय किये जाने हेतु विचार किया जा सके ।

16.2 आयोग द्वारा किसी स्वतंत्र संस्था अथवा विशेषज्ञ द्वारा जल–विद्युत् परियोजनाओं की पूंजीगत लागत के सूक्ष्म परीक्षण हेतु नवीन दिशा–निर्देश जारी किये जा सकेंगे तथा ऐसी संस्था अथवा विशेषज्ञ द्वारा किये गये पूंजीगत लागत के सूक्ष्म परीक्षण के निष्कर्षों पर आयोग द्वारा जल–विद्युत् परियोजनाओं की विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण करते समय विचार किया जा सकेगा ।

16.3 आयोग द्वारा नवीन दिशा–निर्देशों को अपनाया जा सकेगा या फिर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत समय–समय पर जारी की गई टैरिफ नीति के अनुसार केन्द्रीय आयोग द्वारा पुनरीक्षित दिशा–निर्देशों को क्रियाशील किए जाने संबंधी कार्यक्रम के सूक्ष्म परीक्षण तथा अनुमोदन बाबत अपनाया जा सकेगा जिसके आधार पर प्रकरण के संबंध में युक्तियुक्त परीक्षण किए जाने बावत विचार किया जाएगा ।

16.4 जहां विद्युत् उत्पादक कंपनी तथा हितग्राहियों के मध्य निष्पादित किया गया विद्युत् क्रय अनुबंध वास्तविक पूंजीगत व्यय हेतु उच्चतम सीमा का प्रावधान करता हो, वहां आयोग द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण के संबंध में युक्तियुक्त परीक्षण हेतु अनुज्ञेय किये गये पूंजीगत व्यय पर ऐसी उच्चतम सीमा पर विचार किया जाएगा ।

17. निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज, निर्माणाधीन अवधि के दौरान आनुषंगिक व्यय

(क) निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज

17.1 निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज की गणना ऋण से तत्संबंधी ऋण निधि की संयोजन तिथि से तथा अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक निधि की युक्तियुक्त चरणबद्धता को ध्यान में रखकर

की जाएगी ।

17.2 अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की प्राप्ति में विलम्ब के कारण निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज की अतिरिक्त लागतों के प्रकरण में विद्युत् उत्पादन कम्पनी को इस प्रकार के विलंब हेतु विस्तृत औचित्य मय सहायक अभिलेखों के निधि की चरणबद्धता को शामिल करते हुए प्रस्तुत करने होंगे :

परन्तु यदि विलंब विद्युत् उत्पादक कम्पनी को आरोप्य न हो तथा ऐसा इन विनियमों के विनियम **18** में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अनियंत्रणीय कारकों के कारण हो, तो निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज को यथोचित युक्तिसंगत परीक्षण के बाद अनुज्ञेय किया जा सकेगाः

परन्तु यह और कि वास्तविक ब्याज पर केवल निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज को अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से परे विलम्ब उक्त सीमा तक अनुज्ञेय किया जा सकेगा जैसा कि यह विद्युत् उत्पादन कम्पनी के नियंत्रण से बाहर पाया जाए, जिसके बारे में निधि की युक्तियुक्त चरणबद्धता को ध्यान में रखकर यथोचित जांच–पड़ताल पूर्व में की गई हो।

(ख) **निर्माणाधीन अवधि के दौरान आनुषंगिक व्यय**

17.3 निर्माणाधीन अवधि के दौरान आनुषंगिक व्यय की गणना शून्य तिथि तथा अनुसूचित वाणिज्यिक तिथि तक पूर्व–परिचालन व्ययों को ध्यान में रखकर की जाएगी :

परन्तु निर्माणाधीन अवधि के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक तिथि तक की अवधि तक निक्षेप राशियों को अथवा अग्रिम राशियों को या फिर अन्य प्राप्तियों के कारण अर्जित राजस्व के बारे में निर्माणाधीन अवधि के दौरान आनुषंगिक व्यय में कमी किये जाने हेतु ध्यान में रखा जाएगा ।

17.4 अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की प्राप्ति में निर्माणाधीन अवधि के दौरान विलंब के कारण आनुषंगिक व्ययों की अतिरिक्त लागतों के प्रकरण में, विद्युत् उत्पादक कम्पनी को ऐसी विलम्ब अवधि के दौरान तथा विलंब से तत्संबंधी परिनिर्धारित क्षति जिनकी वसूली की गई हो या फिर जिनकी वसूली की जाना अपेक्षित हो, विस्तृत औचित्य दर्शाते हुए मय सहायक, अभिलेखों के, आनुषंगिक व्यय के विवरणों को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत करने होंगे :

परन्तु यदि विलंब विद्युत् उत्पादक कम्पनी को आरोप्य न हो तथा ऐसा इन विनियमों के विनियम **18** में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अनियंत्रणीय कारकों के कारण हो, तो निर्माणाधीन अवधि के दौरान आनुषंगिक व्यय को यथोचित युक्तिसंगत परीक्षण के बाद अनुज्ञेय किया जा सकेगाः

परन्तु यह और कि जहां विलंब विद्युत् उत्पादक कम्पनी द्वारा नियोजित किसी अभिकरण (एजेन्सी) या ठेकेदार या सामग्री प्रदायक को आरोप्य हो वहां ऐसे अभिकरण (एजेन्सी) या ठेकेदार या सामग्री प्रदायक से परिनिर्धारित क्षति बाबत की गई वसूली को

पूंजीगत लागत की गणना हेतु विचार में लिया जाएगा ।

17.5 ऐसी दशा में जहां अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के परे समयाधिक्य यथोचित रूप से युक्तियुक्त होने के बाद अनुज्ञेय न हो वहां लागत में परिवर्तन के कारण समयाधिक्य से तत्संबंधी समय वृद्धि के कारण पूंजीगत लागत में वृद्धि को विद्युत् उत्पादक कम्पनी के प्रदायक या ठेकेदार के साथ सम्पन्न अनुबंधों में परिवर्तन संबंधी प्रावधान से असंबद्ध पूंजीकरण से अपवर्तित किया जा सकेगा ।

18. **नियंत्रणीय तथा अनियंत्रणीय कारक :**

नीचे दर्शाए गए कारकों को नियंत्रणीय तथा अनियंणीय कारक के रूप में निरूपित किया जाएगा जो परियोजना के संविदा मूल्यों, निर्माण कार्य के दौरान ब्याज तथा निर्माणाधीन अवधि के दौरान आनुषंगिक व्यय को प्रभावित करने की ओर अग्रसर होते हों:

18.1 ''नियंत्रणीय कारकों'' में निम्न कारक शामिल होंगे जो केवल निम्न तक ही सीमित न होंगे :

(क) भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों के कारण समय और/या लागत में वृद्धि के कारण पूंजीगत व्यय में विषमताएं;

(ख) परियोजना के क्रियान्वयन में दक्षता जहां ऐसी परियोजना के विस्तार क्षेत्र में अनुमोदित परिवर्तन, वैधानिक उद्ग्रहण या आकस्मिक विशेष घटनाओं में परिवर्तन सन्निहित न हो; तथा

(ग) विद्युत् उत्पादक कम्पनी के ठेकेदार, सामग्री प्रदायक या अभिकरण के कारण परियोजना के निष्पादन में विलंब ।

18.2 ''अनियंत्रणीय कारकों'' में निम्न कारक शामिल किए जाएंगे जो केवल निम्न तक ही सीमित न होंगे:

(एक) आकस्मिक विशेष घटनाएं; तथा

(दो) कानून में परिवर्तन :

परन्तु अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि द्वारा विद्युत् उत्पादक स्टेशन अथवा सम्बद्ध पारेषण प्रणाली के अक्रियाशील होने के कारण समय में वृद्धि अथवा मूल्य में वृद्धि के संबंध में किसी भी अतिरिक्त प्रभाव को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा क्योंकि इसकी वसूली विद्युत् उत्पादन कम्पनी तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य क्रियान्वयन अनुबंध के माध्यम से की जानी चाहिए :

परन्तु यह और कि यदि विद्युत् उत्पादक केन्द्र को संबद्ध पारेषण प्रणाली की अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि को क्रियाशील नहीं किया जाता है तो विद्युत् उत्पादक कम्पनी को निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज तथा निर्माणाधीन अवधि के दौरान आनुषंगिक व्ययों को अथवा पारेषण प्रभारों को वहन करना होगा यदि आयोग द्वारा इन विनियमों के विनियम 4.1 (एम) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार प्रचालन के अन्तर्गत घोषित कर दिया गया हो जब तक विद्युत् उत्पादक स्टेशन को क्रियाशील नहीं कर दिया जाए । इस प्रकार की निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज तथा निर्माणाधीन अवधि के दौरान

आनुषंगिक व्यय या फिर पारेषण प्रभार यदि कोई हों, जिनका भुगतान विद्युत् उत्पादन कम्पनी द्वारा उपरोक्त उल्लेखित परिस्थितियों के अन्तर्गत किया गया हो, को विद्युत् उत्पादक केन्द्रों की पूंजीगत लागत में अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि यदि पारेषण प्रणाली को विद्युत् उत्पादक केन्द्र की अनुसूचित प्रचालन तिथि को क्रियाशील नहीं किया जाता हो तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत् उत्पादक केन्द्र पर स्वयं की व्यवस्था के माध्यम से तथा लागत पर निष्क्रमण की व्यवस्था करेगा जब तक सम्बद्ध पारेषण प्रणाली को क्रियाशील न कर दिया जाए ।

19. **प्रारंभिक कलपुर्जे :**

प्रारंभिक कलपुर्जों का पूंजीकरण संयंत्र तथा मशीनरी की लागत के प्रतिशत के रूप में पृथक्कृत तिथि तक निम्न उच्चतम मानदण्डों के अध्यधीन किया जाएगा :

(क) कोयला–आधारित ताप विद्युत् उत्पादन केन्द्र – 4.0%

(ख) जल विद्युत् उत्पादक केन्द्र – 4.0%

परन्तु :

(एक) जहां प्रारंभिक कलपुर्जों के लिए मापदण्डीय मानदण्ड केन्द्रीय आयोग द्वारा पूंजीगत लागत हेतु मापदण्डीय मानदण्डों के भाग के रूप में प्रकाशित किए जाते हों वहां ऐसे मानदण्ड उपरोक्त निर्दिष्ट किए गए मानदण्डों के अपवर्जन हेतु लागू होंगे :

(दो) जहां विद्युत् उत्पादक केन्द्र द्वारा किसी पारेषण उपकरण को विद्युत् उत्पादन परियोजना के रूप में धारित किया गया हो वहां ऐसे उपकरण के बारे में प्रारंभिक कलपुर्जों हेतु उच्चतम मानदण्ड मप्रविनिआ (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2015 के अन्तर्गत पारेषण प्रणाली हेतु निर्दिष्ट मानदण्डों के अनुरूप होंगे:

(तीन) प्रारंभिक कलपुर्जों की लागत की गणना के प्रयोजन हेतु, संयंत्र तथा मशीनरी की लागत को पृथक्कृत तिथि की स्थिति में परियोजना लागत के रूप में, निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज, निर्माणाधीन अवधि के दौरान आनुषंगिक व्यय, भूमि के मूल्य तथा सिविल कार्यों की लागत को छोड़कर, माना जाएगा ।

20. **अतिरिक्त पूंजीकरण तथा अपूंजीकरण:**

20.1 कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत, नवीन परियोजनाओं या फिर किसी विद्यमान परियोजना के बारे में निम्न कारणों से वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के उपरान्त पृथक्कृत तिथि तक किया गया पूंजीगत व्यय, अथवा जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो, को आयोग द्वारा निम्न मदों के अन्तर्गत अपने विवेकानुसार युक्तियुक्त जांच–पड़ताल के अध्यधीन स्वीकार किया जा सकेगा:

(एक) अनिष्पादित दायित्व जिन्हें किसी भविष्यगामी तिथि को भुगतान किया जाना मान्य किया गया हो;

(दो) वे कार्य जिन्हें निष्पादन हेतु स्थगित रखा गया हो,

(तीन) कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत विनियम 19 के उपबन्धों के अध्यधीन प्रारंभिक पूंजीगत कलपुर्जो की अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) हेतुः

(चार) माध्यस्थम प्रकरण में पारित अधिनिर्णय के परिपालन में अथवा किसी आदेश के परिपालन में अथवा न्यायालय द्वारा आदेशित डिक्री के परिपालन में दायित्व; तथा

(पांच) कानून में परिवर्तन के कारण अथवा किसी प्रचलित कानून के परिपालन में :

परन्तु कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत परिसम्पत्तिवार कार्यों/कार्यवार सम्मिलित किये गये कार्यों के विवरण मय, व्यय के, प्राक्कलनों के अनिष्पादित दायित्व तथा निष्पादन हेतु स्थगित रखे गये कार्यों की सूची विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

20.2 पृथक्कृत तिथि के उपरान्त, किसी नवीन परियोजना हेतु निम्न कारणों से किया गया अथवा जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो, से संबंधित पूंजीगत व्यय आयोग द्वारा युक्तियुक्त परीक्षण के अध्यधीन, आयोग द्वारा अनुज्ञेय किया जा सकेगाः

(एक) माध्यस्थम प्रकरण में पारित अधिनिर्णय के परिपालन में अथवा किसी आदेश के परिपालन में अथवा न्यायालय द्वारा आदेशित डिक्री के परिपालन में दायित्वों के निर्वहन हेतु;

(दो) कानून में परिवर्तन अथवा किसी प्रचलित कानून के परिपालन हेतु;

(तीन) कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत राखड़ तालाब अथवा राखड़ हथालन प्रणाली से संबंधित विलंबित कार्य; तथा

(चार) किसी पृथक्कृत तिथि से पूर्व निष्पादित कार्यों के बारे में दायित्व ऐसे किन्हीं अनिष्पादित दायित्वों के विवरण के युक्तियुक्त परीक्षण तथा जांच–पड़ताल के उपरान्त संवेष्टन (पैकेज) की कुल अनुमानित लागत, ऐसे किसी भुगतान को रोकने के बारे में कारण दर्शाना तथा ऐसे भुगतानों को मुक्त करना, आदि ।

20.3 किसी विद्यमान विद्युत् उत्पादक केन्द्र के बारे में निम्नलिखित कारणों से उपगत किया गया पूंजीगत व्यय या जिसे उपगत किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो को, पृथक्कृत तिथि के उपरान्त आयोग द्वारा युक्तियुक्त परीक्षण के अध्यधीन स्वीकार किया जा सकेगा :

(क) माध्यस्थम प्रकरण में पारित अधिनिर्णय के परिपालन में अथवा किसी आदेश के परिपालन में अथवा न्यायालय द्वारा आदेशित डिक्री के परिपालन में दायित्वों के निर्वहन हेतु;

(ख) कानून में परिवर्तन अथवा किसी प्रचलित कानून के परिपालन हेतु;

(ग) संयंत्र की उच्चतर सुरक्षा तथा बचाव की आवश्यकता हेतु किए जाने संबंधी व्यय जैसा कि राष्ट्रीय सुरक्षा/आन्तरिक सुरक्षा हेतु उत्तरदायी सांविधिक प्राधिकरणों के समुचित शासकीय अभिकरणों द्वारा इसकी आवश्यकता के बारे में परामर्श दिया गया हो या निर्देशित किया गया हो;

(घ) कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत राखड़ तालाब अथवा राखड़ हथालन प्रणाली से संबंधित विलंबित कार्य;

(ङ) किसी पृथक्कृत तिथि से पूर्व निष्पादित कार्यों के बारे में दायित्व ऐसे किसी अनिष्पादित दायित्वों के विवरण के युक्तियुक्त परीक्षण के उपरान्त संवेष्टन (पैकेज) की कुल अनुमानित लागत, किसी भुगतान को रोकने के बारे में कारण दर्शाना तथा ऐसे भुगतानों को मुक्त करना, आदि ।

(च) पृथक्कृत तिथि के उपरान्त, आयोग द्वारा कार्यों के बारे में कोई दायित्व जो वास्तविक भुगतान द्वारा ऐसे दायित्वों के निर्वहन की सीमा के अन्तर्गत होगा;

(छ) कोयला आधारित विद्युत् उत्पादन केन्द्र को छोड़कर, कोई अतिरिक्त पूंजीगत व्यय जो विद्युत् उत्पादक केन्द्र के दक्ष संचालन हेतु आवश्यक बन गया हो वहां इस बारे में दावे को तकनीकी औचित्य मय लिखित साक्ष्य के, जैसे कि किसी स्वतंत्र अभिकरण (एजेन्सी) द्वारा निष्पादित परीक्षण के परिणामों के साथ, ऐसे प्रकरण में जहां परिसम्पत्तियों का गुणह्रास सन्निहित हो, ऐसे प्रकरण में जहां क्षति प्राकृतिक आपदाओं के कारण घटित हुई हो, प्रौद्योगिकी के अप्रचलित होने, तकनीकी कारण हेतु क्षमता के उन्नयन हेतु, जैसे कि दोष स्तर में वृद्धि का पाया जाना, आदि के साथ संलग्न किया जाना चाहिए;

(ज) जल विद्युत् केन्द्रों की दशा में, ऐसा कोई व्यय जो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति के कारण अत्यावश्यक हो गया हो {जो विद्युत् उत्पादक कंपनी की असावधानी के कारण विद्युत् गृह (पॉवर हाऊस) में जल–भराव के कारण न हो} जिसमें भू–वैज्ञानिक कारण भी सम्मिलित होंगे, तथा किसी बीमा योजना से प्राप्त होने वाली कोई राशि तथा किसी अतिरिक्त कार्य के कारण किया गया कोई व्यय जो सफल तथा दक्ष संयंत्र प्रचालन हेतु अत्यावश्यक हो, समायोजित किया जाएगा ।

(झ) कोई भी पूंजीगत व्यय जिसे युक्तियुक्त परीक्षण के बाद न्यायोचित पाया गया हो व जो ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्र के संबंध में, पूर्ण कोयला संयोजन से तत्संबंधी कोयला प्रदाय के क्रियान्वयन न होने के कारण, ईंधन प्राप्ति प्रणाली में वांछित या किये गये सुधारों के कारण आवश्यक हो, तथा ऐसी परिस्थितियों से उद्भूत हो जो विद्युत् उत्पादक केन्द्र के नियंत्रण से परे हैं:

परन्तु लघु मदों अथवा परिसंपत्तियों जैसे कि औजार तथा उपकरण, फर्नीचर, वातानुकूलन संयंत्र, वोल्टेज संतुलन उपकरण, रेफ्रीजरेटर, कूलर, पंखे, धुलाई मशीनें, ऊष्मा परिवहन संयंत्र तथा दरियां, मेट्रेस आदि जो पृथक्कृत तिथि के उपरान्त उपलब्ध कराई गई हों, के अर्जन हेतु किये गये व्यय पर अतिरिक्त पूंजीकरण हेतु दिनांक 1.4.2016 से प्रभावशील विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि किसी कोयला आधारित केन्द्र के प्रकरण में कोई भी पूंजीगत व्यय जो उपरोक्त (क) से (घ) में निर्दिष्ट प्रकार से पृथक् हो, की पूर्ति क्षतिपूर्ति रियायत से की जाएगी:

परन्तु यह और कि किसी भी व्यय का, जिसका दावा नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण तथा प्रचालन एवं संधारण व्ययों तथा क्षतिपूर्ति रियायत के अन्तर्गत किया गया हो, दावा इस

विनियम के अन्तर्गत नहीं किया जा सकेगा ।

20.4 किसी विद्युत् उत्पादक कम्पनी की परिसम्पत्तियों के अपूंजीकरण के प्रकरण में, अपूंजीकरण की तिथि की स्थिति में, ऐसी परिसम्पत्ति की मूल लागत को सकल स्थाई परिसम्पत्ति तथा तत्संबंधी ऋण के साथ–साथ पूंजी को भी क्रमशः बकाया ऋण राशि तथा पूंजी की राशि में से उक्त वर्ष के दौरान जब ऐसा अपूंजीकरण घटित हो जिसके अन्तर्गत यथोचित तौर पर उक्त वर्ष को मानकर जब इसका पूंजीकरण किया गया हो, पर विचार करते हुए, घटाया जाएगा ।

21. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण

21.1 विद्युत् उत्पादक कम्पनी, विद्युत् उत्पादक केन्द्र अथवा उसके किसी भाग की विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण के प्रयोजन हेतु मूल रूप से मान्य उपयोगी जीवनकाल के विस्तार के प्रयोजन हेतु नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण पर होने वाले व्यय की आपूर्ति के प्रयोजन से, आयोग के समक्ष एक आवेदन प्रस्ताव के अनुमोदनार्थ, एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी जिसमें उसका सम्पूर्ण उद्देश्य, औचित्य, लागत–लाभ विश्लेषण, किसी संदर्भ तिथि से जीवनकाल की अनुमानित वृद्धि, वित्तीय समुच्चय, व्यय का प्रक्रम, कार्य पूर्ण करने संबंधी कार्यक्रम, संदर्भ मूल्य स्तर, कार्य पूर्ण करने संबंधी अनुमानित लागत मय विदेशी विनिमय घटक के, यदि कोई हो, तथा अन्य कोई जानकारी जिसे विद्युत् उत्पादक कम्पनी द्वारा प्रासंगिक माना जाए, संलग्न करेगी।

21.2 जहां विद्युत् उत्पादक कम्पनी नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के अनुमोदन हेतु कोई आवेदन (प्रस्ताव) प्रस्तुत करती हो, ऐसे प्रकरण में प्रस्ताव का अनुमोदन, लागत–प्राक्कलनों के युक्तियुक्त होने, वित्तीय प्रबंधन योजना, कार्यपूर्ण करने संबंधी कार्यक्रम, निर्माण कार्य के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग, लागत–लाभ विश्लेषण, तथा ऐसे अन्य कारकों पर, जो आयोग द्वारा प्रासंगिक समझे जाएं, यथोचित विचारोपरान्त किया जाएगा।

21.3 वास्तविक रूप से किया गया कोई व्यय अथवा किये जाने वाला कोई प्रक्षेपित व्यय जिसे आयोग द्वारा नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण संबंधी व्यय तथा जीवन–काल के विस्तार संबंधी प्राक्कलनों के युक्तियुक्त परीक्षण पश्चात् मूल परियोजना लागत से पूर्व में वसूल किए गए संचित अवमूल्यन को घटाकर स्वीकार किया गया हो, विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण का आधार बनेगा ।

22. कोयला–आधारित ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्र (स्टेशन) हेतु विशेष रियायत :

22.1 किसी ताप–ऊर्जा उत्पादक केन्द्र के प्रकरण में विद्युत् उत्पादक कम्पनी नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण संबंधी प्रावधान का लाभ उठाने के बजाय व्ययों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्षतिपूर्ति के रुप में, जिनमें विद्युत् उत्पादक केन्द्र अथवा उसकी इकाई के उसके उपयोगी जीवनकाल के उपरान्त उसके नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण हेतु प्रावधान भी शामिल है, इस विनियम में निर्दिष्ट किये गये अनुसार ''विशेष रियायत'' की सुविधा प्राप्त कर सकेगा तथा ऐसी परिस्थिति में, पूंजीगत लागत के पुनरीक्षण को शामिल नहीं किया जाएगा तथा प्रयोज्य परिचालन मानदण्डों को

शिथिल नहीं किया जाएगा परन्तु वार्षिक स्थाई लागत में विशेष रियायत प्रदान की जाएगी:

परन्तु इस प्रकार का विकल्प किसी विद्युत् उत्पादक केन्द्र या इसकी किसी इकाई (यूनिट) हेतु उपलब्ध न होगा जिस के लिये नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण संबंधी कार्य हाथ में लिया गया हो तथा आयोग द्वारा व्यय का अनुमोदन इन विनियमों को लागू किये जाने से पूर्व किया गया हो अथवा किसी विद्युत् उत्पादक केन्द्र अथवा इकाई हेतु जो अपेक्षाकृत कम क्षमता पर अथवा शिथिल परिचालन तथा अनुपालन मानदण्डों के अनुसार कार्य कर रहा हो ।

22.2 वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान विशेष रियायत की दर रू. 7.50 लाख/मेगावाट/वर्ष की होगी तथा तत्पश्चात् अवशेष अवधि के दौरान आगामी वित्तीय वर्ष से तथा इकाईवार विद्युत् उत्पादन के उपयोगी जीवनकाल के पूर्ण करने की तत्संबंधी तिथि से वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के संदर्भ में प्रतिवर्ष 6.35 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जाएगी :

परन्तु उक्त इकाई के संबंध में, जो टैरिफ अवधि वर्ष 2016–17 से वर्ष 2018–19 के दौरान विशेष रियायत हेतु विकल्प प्रस्तुत करेगी तथा दि. 1.4.2016 की स्थिति में 25 वर्षों से अधिक की वाणिज्यिक प्रचालन अवधि पूर्ण कर चुकी हो, उसे यह रियायत वित्तीय वर्ष 2016–17 से प्रदान की जाएगी ।

परन्तु यह और कि विद्युत् उत्पादक केन्द्रों हेतु विशेष रियायत, जिसके द्वारा उसकी स्वयं की स्वेच्छानुसार ''विशेष रियायत'' मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2012 के उपखण्ड (18.5) में निर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार विशेष रियायत विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि वर्ष 2016–17 से वर्ष 2018–19 हेतु प्रतिवर्ष 6.35 प्रतिशत की दर से वृद्धि द्वारा अनुज्ञेय की जाएगी ।

22.3 आयोग द्वारा विशेष रियायत स्वीकृत किए जाने पर विशेष रियायत से व्यय किए जाने या उसका उपयोग किए जाने पर इसका विवरण विद्युत् उत्पादक केन्द्र द्वारा पृथक् से संधारित किया जाएगा तथा इससे संबंधित विवरण आयोग को उसके द्वारा ऐसे व्यय के बारे में विवरण प्रदान किए जाने संबंधी निर्देश दिए जाने पर प्रस्तुत करना होगा ।

23. **क्षतिपूर्ति रियायत :**

23.1 किसी कोयला आधारित ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्र या उसकी इकाई के संबंध में पूंजी प्रकृति की नवीन परिसम्पत्तियों के व्ययों की पूर्ति हेतु जो इन विनियमों के विनियम 20 के अन्तर्गत अनुज्ञेय न हों, उन्हें पृथक् क्षतिपूर्ति रियायत स्वीकृत की जाएगी तथा ऐसा कार्यान्वित किए जाने की दशा में पूंजीगत लागत के पुनरीक्षण को क्षतिपूर्ति रियायत के कारण अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा परन्तु क्षतिपूर्ति रियायत की वसूली पृथक् से अनुज्ञेय की जाएगी ।

23.2 क्षतिपूर्ति रियायत को उपयोगी जीवनकाल के 10, 15 या 20 वर्ष पूर्ण किए जाने पर आगामी वर्ष से

निम्न विधि के अनुसार अनुज्ञेय किया जाएगा :

परिचालन काल (वर्षों में)	क्षतिपूर्ति रियायत (रूपये लागत/मेगावाट/वर्ष)
0–10	शून्य
11–15	0.20
16–20	0.50
21–25	1.00

24. **अस्थाई विद्युत् का विक्रयः**

अस्थाई विद्युत् प्रदाय को विचलन के रूप में लेखांकित किया जाएगा तथा इसका भुगतान क्षेत्रीय/राज्य विचलन व्यवस्थापन निधि लेखा से केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग द्वारा विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामलों के संबंध में अधिसूचित "Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulation 2014'' जैसा कि इसे समय–समय पर संशोधित किया जाए या किसी अनुवर्ती पुनर्अधिनियमन के अनुसार किया जाएगाः

परन्तु अस्थाई विद्युत् के प्रदाय द्वारा विद्युत् उत्पादक कम्पनी द्वारा अर्जित किसी राजस्व को ईंधन से संबंधित व्ययों के लेखांकन उपरांत इसका अनुप्रयोग तद्नुसार पूंजीगत लागत के समायोजन में किया जाएगा ।

25. **ऋण–पूंजी अनुपात :**

25.1 ऐसी किसी परियोजना के संबंध में, जिसे 1.4.2016 को या तत्पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया गया हो, वहां ऋण–पूंजी अनुपात वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की स्थिति में 70:30 माना जाएगा । यदि वास्तविक रूप से निवेश की पूंजी, पूंजीगत लागत के 30 प्रतिशत से अधिक हो, वहां 30 प्रतिशत से अधिक पूंजी को मानदण्डीय ऋण माना जाएगा :

परन्तु,

(क) जहां निवेश की गई पूंजी पूंजीगत लागत के 30 प्रतिशत से कम हो, वहां विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु वास्तविक पूंजी को ही मान्य किया जाएगा :

(ख) विदेशी मुद्रा में निवेश की गई पूंजी को प्रत्येक निवेश तिथि को भारतीय रूपयों में नामोदिष्ट किया जाएगा :

(ग) ऋण : पूंजी अनुपात के प्रयोजन हेतु परियोजना के निष्पादन हेतु प्राप्त किये गये किसी अनुदान को पूंजी संरचना का भाग माना जाएगा ।

व्याख्या : अधिमूल्य, यदि कोई हो, जिसकी उगाही विद्युत् उत्पादक कम्पनी द्वारा परियोजना के निधीयन

हेतु की गयी हो बाबत शेयर पूंजी जारी करते समय तथा आन्तरिक संसाधानों के निवेश हेतु जिसका सृजन मुक्त सुरक्षित निधि में से किया गया हो, को पूंजी पर प्रतिलाभ उसी दशा में की गई गणना हेतु प्राप्त की गई पूंजी के रूप माना जाएगा यदि ऐसी अधिमूल्य राशि तथा आन्तरिक संसाधनों को विद्युत् उत्पादक केन्द्र के पूंजीगत व्यय की पूर्ति हेतु वास्तविक रूप से उपयोग में लाया गया है ।

25.2 विद्युत् उत्पादक कम्पनी द्वारा कम्पनी मण्डल के संकल्प के अनुमोदन को आन्तरिक स्त्रोतों से निधि के निषेचन के संबंध में उपयोग किये गये या जिसे विद्युत् उत्पादक केन्द्र के पूंजीगत व्यय की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, प्रस्तुत किया जाएगा ।

25.3 ऐसे प्रकरण में जहां विद्युत् उत्पादक केन्द्र को दिनांक 1.4.2016 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया गया हो वहां आयोग द्वारा दिनांक 31.03.2016 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु अनुमोदित ऋण–पूंजी अनुपात को विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु माना जाएगा ।

25.4 ऐसे प्रकरण में जहां विद्युत् उत्पादक केन्द्र को दिनांक 1.4.2016 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया गया हो परन्तु जहां आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2016 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु ऋण : पूंजी के अनुपात का निर्धारण न किया गया हो, वहां आयोग द्वारा ऋण : पूंजी अनुपात का अनुमोदन विद्युत् उत्पादक कम्पनी द्वारा प्रदान की गई वास्तविक जानकारी के आधार पर किया जाएगा।

25.5 दिनांक 1.4.2016 को या उसके बाद किया गया व्यय या वह व्यय जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो जैसा कि आयोग द्वारा इसे विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाए, वहां जीवनकाल की वृद्धि हेतु नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण व्यय को इस विनियम के खण्ड 25.1 में निर्दिष्ट की गई विधि के अनुसार सेवाकृत किया जाएगा ।

:————:

अध्याय – 4

विद्युत–दर (टैरिफ) संरचना

26. **विद्युत–दर (टैरिफ) के घटकः**

26.1 किसी ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्र से विद्युत् प्रदाय के संबंध में विद्युत–दर (टैरिफ) में दो भाग सम्मिलित होंगे, अर्थात्, क्षमता प्रभार {वार्षिक स्थाई प्रभार की वसूली हेतु, जिसमें ऐसे घटक शामिल होंगे जिन्हें इन विनियमों के विनियम **27** में परिभाषित किया गया है} तथा ऊर्जा प्रभार {प्राथमिक तथा द्वितीयक ईंधन लागत की वसूली हेतु} ।

26.2 किसी जल विद्युत् उत्पादक केन्द्र से विद्युत् प्रदाय के संबंध में विद्युत–दर (टैरिफ) में क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार शामिल होंगे जिन्हें दो प्रभारों के माध्यम से वार्षिक स्थाई लागत की वसूली बाबत् (जिनमें वे घटक शामिल होंगे जैसा कि इनका उल्लेख विनियम **27** में किया गया है) इन विनियमों के विनियम **37** में विनिर्दिष्ट विधि द्वारा व्युत्पादित किया जाएगा ।

27. **क्षमता प्रभार**

क्षमता प्रभारों को वार्षिक स्थाई लागत के आधार पर व्युत्पादित किया जाएगा । किसी विद्युत् उत्पादक केन्द्र की वार्षिक स्थाई लागत में निम्न घटक शामिल होंगे :

(क) पूंजी पर प्रतिलाभ

(ख) ऋण पूंजी पर ब्याज

(ग) अवमूल्यन/अवक्षयण

(घ) कार्यकारी पूंजी पर ब्याज; तथा

(ङ) प्रचालन एवं संधारण व्यय :

परन्तु जहां विनियम **22** के अनुसार नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के बदले में विशेष रियायत या फिर विनियम **23** के अनुसार पृथक् क्षतिपूर्ति के लिए विकल्प प्रदान किया गया हो, जहां ऐसा किया जाना लागू हो, के प्रकरण में इसकी वसूली पृथक् से की जाएगी तथा कार्यकारी पूंजी की गणना के बारे में इस पर विचार नहीं किया जाएगा ।

28. ऊर्जा प्रभार :

ऊर्जा प्रभारों को किसी विद्युत् उत्पादक केन्द्र (जल विद्युत् को छोड़कर) आगमित ईंधन लागत के आधार पर व्युत्पादित किया जाएगा तथा इसमें निम्न लागतें शामिल होंगी :

(क) प्राथमिक ईंधन की आगमित ईंधन लागत; और

(ख) द्वितीयक ईंधन तेल खपत की लागतः

परन्तु करों तथा शुल्कों के बारे में किसी प्रत्यर्पण राशि को, मय ईंधन प्रदायकों से शास्ति के रूप में प्राप्त की गई किसी राशि को ईंधन लागत में समायोजित करना होगा ।

29. **विद्युत–दर अवधारण हेतु आगमित ईंधन लागत :**

विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु प्राथमिक ईंधन तथा द्वितीयक ईंधन की आगमित ईंधन लागत का निर्धारण प्राथमिक ईंधन तथा द्वितीयक ईंधन की पिछले तीन माह की वास्तविक भारित औसत लागत के आधार पर किया जाएगा तथा पिछले तीन माह की आगमित लागतों के अभाव में विद्यमान विद्युत् उत्पादक केन्द्रों हेतु प्राथमिक ईंधन तथा द्वितीयक ईंधन के अन्तिम अधिप्राप्ति मूल्य पर विचार किया जाएगा जबकि नवीन विद्युत् उत्पादक केन्द्रों के प्रकरण में ठीक पिछले तीन माह की लागतों को मान्य किया जाएगा ।

अध्याय – 5

वार्षिक स्थाई लागत का संगणन :

30. **पूंजी पर प्रतिलाभ :**

30.1 पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना रूपयों में, विनियम **25** के अनुसार अवधारित पूंजी आधार पर की जाएगी ।

30.2 पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्रों हेतु 15.50 प्रतिशत की आधार दर पर की जाएगी ।

परन्तु :

(क) प्रथम अप्रैल, 2016 को तथा तत्पश्चात् क्रियाशील की गई परियोजनाओं के प्रकरण में 0.50 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रतिलाभ अनुज्ञेय किया जाएगा, यदि ये परियोजनाएं **परिशिष्ट – 1** में दर्शाई गई समय–सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कर ली जाएं :

(ख) 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त लाभ अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा यदि परियोजना उपरोक्त दर्शाई गई समय–सीमा के अन्तर्गत पूर्ण नहीं की जाती है, भले ही इसके कारण जो भी हों;

(ग) किसी नवीन परियोजना हेतु प्रतिलाभ की दर को एक प्रतिशत की दर से ऐसी अवधि हेतु जैसा कि इसके बारे में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाए कम कर दिया जाएगा, यदि विद्युत् उत्पादक केन्द्र को वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत प्रचालन की नियंत्रित नियामक पद्धति/प्रचालन की मुक्त नियामक पद्धति को क्रियाशील किए बगैर घोषित किया जाना पाया गया हो :

(घ) जब कभी भी तत्संबंधी राज्य भार प्रेषण केन्द्र/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रस्तुत किए प्रतिवेदन के आधार पर किसी विद्युत् उत्पादक स्टेशन में उपरोक्त अर्हताओं का कम होना पाया जाए, वहां पूंजी पर प्रतिलाभ को एक प्रतिशत की दर से कम कर दिया जाएगा, जिस अवधि हेतु कमी जारी रहे ।

31. **पूंजी पर प्रतिलाभ पर कर**

31.1 पूंजी पर प्रतिलाभ की आधार दर को, जैसा कि आयोग द्वारा इसे विनियम **30** के अन्तर्गत अनुज्ञेय किया जाए, तत्संबंधी वित्तीय वर्ष की प्रभावी कर दर के साथ सकलीकृत किया जाएगा । इस प्रयोजन हेतु संबंधित विद्युत् उत्पादक कम्पनी द्वारा सुसंबद्ध वित्त अधिनियमों के प्रावधानों से संरेखित प्रभावी कर दर पर तत्संबंधी वित्तीय वर्ष में वास्तविक रूप से किए गए कर भुगतान के आधार पर माना जाएगा । अन्य आय प्रवाह पर वास्तविक आयकर, विलम्बित कर (अर्थात, गैर–विद्युत् उत्पादन व्यापार से प्राप्त आय) को शामिल करते हुए, को ''प्रभावी कर दर'' की गणना हेतु विचार नहीं किया जाएगा ।

31.2 पूंजी पर प्रतिलाभ की दर की गणना को तीन दशमलव बिन्दुओं तक पूर्णांकित किया जाएगा तथा इसकी गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

पूंजी पर पूर्व–कर प्रतिलाभ की दर $= \frac{\text{आधार दर (Base rate)}}{1-t}$

जहां 't' इस विनियम के उपखण्ड (31.1) के अनुसार प्रभावी कर दर है तथा इसकी गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अनुमानित लाभ तथा भुगतान की जाने वाली कर राशि के आधार पर कम्पनी को उक्त वित्तीय वर्ष हेतु लागू सुसंबद्ध वित्तीय अधिनियम के प्रावधानों से संरेखित आनुपातिक आधार पर, गैर–उत्पादन व्यापार से आय को अपवर्जित करते हुए तथा उस पर तत्संबंधी कर के आधार पर की जाएगी । ऐसी दशा में, जहां विद्युत् उत्पादक कम्पनी न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान कर रही हो, वहां "t" को न्यूनतम वैकल्पिक कर, को अधिभार तथा उपकर को शामिल करते हुए माना जाएगा ।

उदाहरण:

(एक) ऐसी विद्युत् उत्पादक कम्पनी की दशा में जो न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान 20.96 प्रतिशत की दर से, अधिभार तथा उपकर को शामिल करते हुए कर रही हो, वहां पूंजी पर प्रतिलाभ की दर = 15.50 / (1 – 0.2096) =19.61 प्रतिशत होगी।

(दों) ऐसी विद्युत् उत्पादन कम्पनी की दशा में जो सामान्य निकाय कर का भुगतान, अधिभार तथा उपकर को शामिल करते हुए कर रही हो वहां :

(क) यदि वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु विद्युत् उत्पादन व्यापार से अनुमानित सकल आय रू. 1000 करोड़ हो,

(ख) तथा उपरोक्त राशि पर अनुमानित अग्रिम कर की राशि रू. 240 करोड़ हो,

(ग) वहां, वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु प्रभावी कर दर = रू. 240 करोड़ / रू0 1000 करोड़ = 24 प्रतिशत होगी ।

(घ) अतएव, पूंजी पर प्रतिलाभ की दर $= \frac{15.50}{(1-0.24)} = 20.395$ प्रतिशत होगी।

31.3 वास्तविक भुगतान किए गए कर के आधार पर, मय अतिरिक्त कर मांग के, उस पर ब्याज की राशि को जोड़कर पूंजी पर प्रतिलाभ की दर को यथोचित तौर पर कर के किसी प्रत्यर्पण हेतु, किसी वित्तीय वर्ष हेतु वास्तविक सकल आय पर, विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2018–19 से संबंधित, आयकर विभाग से प्राप्त किए गए किसी ब्याज राशि को सम्मिलित करते हुए, समायोजित करते हुए प्रतिवर्ष सत्यापित किया जाएगा । तथापि, किसी शास्ति की राशि, यदि कोई हो, जो किसी जमा की गई राशि के विलंबित भुगतान या निर्धारित कर राशि से कम जमा की गई राशि से उद्भूत हो, का विद्युत् उत्पादक कम्पनी द्वारा दावा नहीं किया जाएगा । पूंजी पर प्रतिलाभ पर सकलबद्ध दर की कम वसूल की गई या अधिक वसूली को, सत्यापित किए जाने के उपरान्त वर्ष–दर–वर्ष आधार पर हितग्राहियों से राशि की वसूली या प्रत्यर्पण हेतु अनुज्ञेय किया जाएगा ।

32. **ऋण पूंजी पर ब्याज :**

32.1 विनियम **25** में दर्शाई गई विधि अनुसार, गणना किये गये ऋण, ऋण पर ब्याज की सकल मानदण्डीय ऋण की गणना किये गये माने जाएंगे।

32.2 दिनांक 1.4.2016 की स्थिति में बकाया मानदण्डीय ऋणों की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक सकल मानदण्डीय ऋण में से संचयी अदायगी को घटाकर की जायेगी ।

32.3 विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि 2016–19 के प्रत्येक वर्ष हेतु अदायगी को तत्संबंधी वर्ष/अवधि हेतु अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन के बराबर माना जाएगा । परिसम्पत्तियों के अपूंजीकरण से संबंधित प्रकरण में, अदायगी का समायोजन संचयी अदायगी द्वारा आनुपातिक आधार पर किया जाएगा तथा यह समायोजित राशि ऐसी परिसम्पत्ति के बारे में अपूंजीकरण तिथि तक वसूल की गई संचयी अवमूल्यन राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

32.4 विद्युत् उत्पादक कंपनी द्वारा भले ही कोई भी विलम्बकाल अवधि का लाभ लिया गया हो, ऋण की अदायगी को परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से ही माना जाएगा तथा यह वर्ष अथवा उसके किसी भाग हेतु अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन के समतुल्य होगा।

32.5 ब्याज की दर, ब्याज की भारित औसत दर के बराबर होगी, जिसकी गणना वास्तविक ऋण श्रेणी के आधार पर पूंजीकृत किए गए ब्याज हेतु समुचित लेखांकन समायोजन प्रदान करते हुए की जाएगी:

परन्तु यदि किसी विशिष्ट वर्ष हेतु कोई वास्तविक ऋण लंबित न हो परन्तु मानदण्डीय ऋण अभी भी बकाया हो तो ऐसी दशा में अन्तिम उपलब्ध भारित औसत ब्याज दर मानी जाएगी:

परन्तु यह और कि यदि विद्युत् उत्पादक केन्द्र के विरुद्ध वास्तविक ऋण लंबित न हो तो ऐसी दशा में विद्युत् उत्पादक कंपनी की समग्र रुप से भारित औसत ब्याज दर मानी जाएगी।

32.6 ऋण पर ब्याज की गणना वर्ष के मानकीकृत औसत पर भारित औसत ब्याज दर की प्रयुक्ति द्वारा की जाएगी।

32.7 विद्युत् उत्पादक कंपनी ऋण की पुनर्वित्त व्यवस्था हेतु समस्त संभव प्रयास करेगी जब तक कि इसका परिणाम ब्याज पर सकल बचत में परिणत हो तथा ऐसी दशा में ऐसी पुनर्वित्त व्यवस्था हेतु संबद्ध लागतों को हितग्राहियों द्वारा वहन किया जाएगा तथा इस प्रकार की सकल बचत को हितग्राहियों द्वारा वहन किया जाएगा जिसे हितग्राहियों तथा विद्युत् उत्पादक कंपनी के मध्य 2:1 के अनुपात में बांटा जाएगा।

32.8 ऋणों के निबंधन तथा शर्तों में किये गये परिवर्तनों को इस प्रकार की गई पुनर्वित्त व्यवस्था की तिथि से दर्शाया जाएगा।

32.9 किसी विवाद की दशा में, कोई भी पक्षकार मप्रविनिआ (कार्य संचालन) विनियम, 2004, समय–समय पर यथासंशोधित के अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकेगाः

परन्तु हितग्राहियों द्वारा विद्युत् उत्पादक कंपनी द्वारा दावा किये गये ब्याज के कारण किसी प्रकार के भुगतान को ऋण की पुनर्वित्त व्यवस्था से उदभूत किसी विवाद के प्रतितोषण की प्रत्याशा में रोका न जाएगा।

33. अवमूल्यन या अवक्षयण

33.1 अवमूल्यन या अवक्षयण की गणना किसी विद्युत् उत्पादक केन्द्र या उसकी किसी इकाई के संबंध में उसकी वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से की जाएगी । किसी विद्युत् उत्पादक केन्द्र की समस्त इकाईयों की विद्युत–दर (टैरिफ) के प्रकरण में जिनके लिए एकल विद्युत–दर अवधारण किया जाना आवश्यक हो, वहां अवमूल्यन/अवक्षयण की गणना विद्युत् उत्पादक केन्द्र की प्रभावी प्रचालन तिथि से, वैयक्तिक इकाईयों के अवमूल्यन पर विचार करते हुए की जाएगी :

परन्तु वाणिज्यिक प्रचालन की प्रभावी तिथि की गणना विद्युत् उत्पादक केन्द्र की समस्त इकाईयां जिनकी एकल विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारित किया जाना अपेक्षित हो, के बारे में यह कार्यवाही वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तथा स्थापित क्षमता पर विचार करते हुए की जाएगी।

33.2 अवमूल्यन की गणना के प्रयोजन हेतु मूल्य आधार आयोग द्वारा स्वीकृत परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत होगी । किसी विद्युत् उत्पादक केन्द्र की बहुविध इकाईयों के प्रकरण में, विद्युत् उत्पादक केन्द्र के भारित औसत जीवनकाल का अनुप्रयोग किया जाएगा । अवमूल्यन वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से ही प्रभारणीय होगा ।

33.3 परिसम्पत्ति का उपादेय मूल्य 10 प्रतिशत माना जाएगा तथा अवमूल्यन को परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुज्ञेय किया जाएगाः

परन्तु किसी जल विद्युत् उत्पादक केन्द्र के प्रकरण में उपादेय मूल्य, विकासकों द्वारा राज्य सरकार के साथ संयंत्र के विकास हेतु निष्पादित लिखित अनुबन्ध में किये गये प्रावधान अनुसार होगाः

परन्तु यह और कि जल विद्युत् उत्पादक केन्द्र की परिसंपत्तियों की पूंजीगत लागत ह्सित मूल्य की गणना के प्रयोजन से विनियमित विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसार दीर्घ–अवधि विद्युत् क्रय समझौते के अंतर्गत विद्युत् विक्रय के प्रतिशत से तत्संबंधी होगी।

परन्तु यह और कि विद्युत् उत्पादक केन्द्र या विद्युत् उत्पादक इकाई की न्यून उपलब्धता के कारण अस्वीकार किए गए अवमूल्यन को इसके उपयोगी जीवनकाल या विस्तारित

जीवनकाल के दौरान बाद में किसी प्रक्रम पर अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा ।

परन्तु यह भी कि सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण तथा साफ्टवेयरों के उपादेय मूल्य को शून्य माना जाएगा तथा परिसम्पत्तियों के शत प्रतिशत मूल्य को अवमूल्यनयोग्य माना जाएगा ।

33.4 पट्टे पर ली गई भूमि के अतिरिक्त किसी भी भूमि को तथा जल–विद्युत् उत्पादक केन्द्र के प्रकरण में जलाशय से संबंधित भूमि को अवमूल्यनयोग्य परिसम्पत्ति नहीं माना जाएगा तथा परिसम्पत्ति के अवमूल्यनयोग्य मूल्य की गणना करते समय इसकी लागत को पूंजीगत लागत में शामिल नहीं किया जाएगा ।

33.5 विद्युत् उत्पादक केन्द्र की परिसम्पत्तियों हेतु अवमूल्यन की गणना प्रतिवर्ष 'सरल रेखा विधि' के आधार पर **परिशिष्ट–2** में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार की जाएगीः

परन्तु वर्ष की 31 मार्च की स्थिति में, अवशेष अवमूल्यनयोग्य मूल्य को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के 12 वर्षों की अवधि के उपरान्त परिसम्पत्तियों के अवशेष उपयोगी जीवनकाल के अन्तर्गत प्रसारित कर दिया जाएगा।

33.6 विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरण में, दिनांक 1.4.2016 की स्थिति में अवशेष अवमूल्यनयोग्य मूल्य की गणना सम्पत्तियों के सकल अवमूल्यनयोग्य मूल्य जैसा कि आयोग द्वारा इसे दिनांक 31.3.2016 तक स्वीकार किया गया हो, में संचयी अवमूल्यन को घटाकर की जाएगी ।

33.7 अवमूल्यन की दर को **परिशिष्ट–2** में विनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित किया जाना जारी रखा जाएगा जब तक संचयी अवमूल्यन 70 प्रतिशत तक नहीं पहुंच जाता। तत्पश्चात् अवशेष अवमूल्यन योग्य मूल्य को परिसम्पत्ति के अवशेष जीवनकाल के अन्तर्गत प्रसारित कर दिया जाएगा ताकि अधिकतम अवमूल्यन की 90 प्रतिशत से अधिक बढ़ोत्तरी न हो ।

33.8 अवमूल्यन वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से ही प्रभारणीय होगा । वर्ष के किसी भाग हेतु परिसम्पत्ति के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रकरण में, अवमूल्यन को *आनुपातिक दर* पर प्रभारित किया जाएगा ।

33.9 विद्युत् उत्पादक कम्पनी परियोजना के अन्तिम चरण के दौरान (उपयोगी जीवनकाल की समाप्ति से पांच वर्ष पूर्व) प्रस्तावित पूंजीगत व्यय के विवरण, इसके औचित्य तथा प्रस्तावित जीवनकाल की वृद्धि के संबंध में प्रस्तुत करेगी । आयोग, इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों के युक्तियुक्त परीक्षण के आधार पर परियोजना के अन्तिम चरण के दौरान पूंजीगत व्यय पर अवमूल्यन का अनुमोदन करेगा।

33.10 किसी विद्युत् उत्पादक केन्द्र अथवा इसकी किसी इकाई से संबंधित परिसम्पत्तियों के अपूंजीकरण के प्रकरण में, संचयी अवमूल्यन को उपयोगी सेवाओं के दौरान अपूंजीकृत परिसम्पत्ति द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) में वसूल किए गए अवमूल्यन को ध्यान में रखकर समायोजित किया जाएगा ।

34. कार्यकारी पूंजी पर ब्याज :

34.1 कार्यकारी पूंजी में शामिल होंगे :

(1) कोयला आधारित ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्र :

(क) भण्डार हेतु कोयले की लागत, यदि लागू हो, खदान मुख विद्युत् उत्पादक केन्द्रों हेतु 15 दिवस तथा गैर–खदान मुख विद्युत् उत्पादक केन्द्रों हेतु 30 दिवस जो मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक अथवा उच्चतम कोयला भण्डारण क्षमता से तत्संबंधी इनमें से जो भी कम हो, होगी;

(ख) विद्युत् उत्पादन के लिए तीस दिवस हेतु पर्याप्त कोयले की लागत जो मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक से तत्संबंधी होगी;

(ग) विद्युत् उत्पादन के लिए तीस दिवस हेतु पर्याप्त द्वितीयक ईंधन खनिज तेल की लागत जो मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक के तत्संबंधी होगी तथा ऐसे प्रकरण में जहां एक से अधिक प्रकार के द्वितीयक ईंधन तेल को उपयोग में लाया जा रहा हो, वहां ईंधन तेल भण्डार की लागत मुख्य द्वितीयक ईंधन तेल की लागत मानी जाएगी;

(घ) संधारण कलपुर्जे, प्रचालन एवं संधारण व्यय के 20 प्रतिशत की दर से, जैसा कि विनियम **35** में निर्दिष्ट किया गया है **;**

(ड़) दो माह की विद्युत् के विक्रय हेतु क्षमता प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों के बराबर प्राप्तियोग्य सामग्रियां, जिनकी गणना मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक के आधार पर की जाएगी **;** तथा

(च) एक माह हेतु, प्रचालन एवं संधारण व्यय ।

(2) जल विद्युत् उत्पादक केन्द्र हेतु कार्यकारी पूंजी में शामिल होंगी :

(क) दो माह की स्थाई लागत के बराबर प्राप्ति योग्य सामग्रियों की लागतें;

(ख) संधारण कलपुर्जे, प्रचालन एवं संधारण व्ययों के 15 प्रतिशत की दर से जैसा कि इसे विनियम **35** में निर्दिष्ट किया गया है; तथा

(ग) एक माह हेतु प्रचालन एवं संधारण व्यय ।

34.2 ईंधन की लागत विद्युत् उत्पादक कम्पनियों द्वारा गणनानुसार व्यय की गई आगमित लागत {मानदण्डीय आवागमन तथा हथालन हानियों पर विचार करते हुए} तीन माह हेतु पूर्वगामी एक माह अनुसार, जिस हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण किया जाना अपेक्षित हो, वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, ईंधन के सकल उष्मित मान पर आधारित होगी तथा विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि के दौरान ईंधन की लागत में किसी प्रकार की वृद्धि प्रदान नहीं की जाएगी ।

34.3 कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की दर मानदण्डीय आधार पर होगी तथा इसे 1.4.2016 की स्थिति में बैंक दर अथवा विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि वर्ष 2016–17 से वर्ष 2018–19 के दौरान उक्त वर्ष की प्रथम अप्रैल की तिथि जिसके दौरान विद्युत् उत्पादक केन्द्र या उसकी किसी इकाई को वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया जाए, इनमें से जो भी बाद में घटित हो, माना

जाएगा ।

34.4 कार्यकारी पूंजी पर ब्याज मानदण्डीय आधार पर ही भुगतानयोग्य होगा, भले ही विद्युत् उत्पादक कम्पनी द्वारा किसी बाह्य अभिकरण (एजेन्सी) से कार्यकारी पूंजी हेतु ऋण प्राप्त न भी किया गया हो ।

35. प्रचालन एवं संधारण व्यय :

35.1 ताप तथा जल विद्युत् उत्पादक केन्द्रों हेतु किसी प्रदत्त विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि के लिए प्रचालन एवं संधारण व्ययों का अवधारण आयोग द्वारा इन विनियमों में निर्दिष्टानुसार मानदण्डीय संचालन एवं संधारण व्ययों के आधार पर किया जाएगा। ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्रों हेतु मानदण्डीय प्रचालन तथा संधारण व्ययों को ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्रों के लिए (जिन्हें दिनांक 31.03.2012 को या इसके पूर्व क्रियाशील किया गया हो) तथा विद्युत् उत्पादक केन्द्रों (जिन्हें दिनांक 01.04.2012 को या तत्पश्चात् क्रियाशील किया गया हो) पृथक् से निर्दिष्ट किया गया है । विद्यमान तथा नवीन परियोजनाओं के लिये मानदण्डीय प्रचालन तथा संधारण व्यय भी पृथक् से निर्दिष्ट किये गये हैं।

35.2 कर्मचारी व्यय, मरम्मत तथा अनुरक्षण लागत और प्रशासनिक तथा सामान्य से संबंधित लागत घटकों पर उपरोक्त विनियमों के विनियम 35.7 से 35.8 तथा 35.10 से 35.11 के अनुसार विचार किया गया है । दिनांक 1.4.2012 के उपरान्त क्रियाशील किये गये विद्युत् केन्द्रों हेतु प्रचालन तथा संधारण व्यय, कर्मचारी व्ययों, मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों तथा प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों को शामिल करते हुए पूर्व के चार वर्षों (अर्थात्, वित्तीय वर्ष 2010–11 से वित्तीय वर्ष 2013–14 तक) वार्षिक अंकेक्षित लेखों पर विचार करते हुए, प्राप्त किए गए हैं । उपरोक्त उल्लेखित चार वर्षों के औसत व्यय को वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु आधार प्रारंभिक आंकड़ा माना गया है । तत्पश्चात, प्रचालन एवं संधारण के आंकड़ों की प्राप्ति वित्तीय वर्ष 2015–16 तक प्रयोज्य विनियमों में सुसंबद्ध वर्ष हेतु निर्दिष्ट वार्षिक वृद्धि दर के अनुप्रयोग द्वारा की गई है ।

35.3 अनुवर्ती वर्षों के लिए प्रचालन एवं संधारण व्ययों का अवधारण आधार वर्ष, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु व्ययों में वृद्धि द्वारा, जैसा कि वे उपरोक्तानुसार अवधारित किए गए हों, वृद्धिकारक 6.30% तथा 6.64% की दर से क्रमशः ताप विद्युत् स्टेशनों तथा जल विद्युत् स्टेशनों हेतु, जैसा कि इसे केन्द्रीय आयोग द्वारा अपने टैरिफ विनियम, वर्ष 2014 हेतु, तत्संबंधी वित्तीय वर्षों हेतु माना गया है, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु प्रचालन तथा संधारण व्ययों की गणना हेतु अनुज्ञेय किया जाएगा :

परन्तु ऐसी दशा में जहां विद्युत् उत्पादक केन्द्र दिनांक 1.4.2012 को अथवा

तत्पश्चात् परिचालन में आये हों, वहां नवीन विद्युत् उत्पादक केन्द्रों हेतु प्रचालन एवं संधारण व्यय विनियम 35.8 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे ।

35.4 मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के संबंध में कर्मचारी व्यय, जिन पर संचालन एवं संधारण व्ययों के अन्तर्गत विचार किया गया है, पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं को छोड़कर हैं। कार्मिकों के बारे में, तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल के विद्यमान पेंशनभोगियों तथा मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी के पेंशनभोगियों को सम्मिलित करते हुए, की पेंशन तथा अन्य प्रसुविधाओं के बारे में निधीयन मप्र विद्युत् नियामक आयोग (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के कार्मिकों के तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2012 (जी–38, वर्ष 2012) के अनुसार किया जाएगा।

35.5 युद्ध, विद्रोह अथवा कानून में कतिपय परिवर्तनों अथवा ऐसी समतुल्य परिस्थितियों के कारण संचालन तथा संधारण में अभिवृद्धि के संबंध में, जहां आयोग का यह अभिमत हो कि उक्त वृद्धि न्यायोचित है, आयोग इसे विनिर्दिष्ट अवधि हेतु लागू करने पर विचार कर सकेगा ।

35.6 किसी विद्युत् उत्पादक कंपनी द्वारा किसी वर्ष में अर्जित किसी बचत को उसे स्वयं के पास धारित रखे जाने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। किसी वर्ष में लक्ष्य संचालन व संधारण व्ययों के आधिक्य के कारण होने वाली हानि को उत्पादक कंपनी को ही वहन करना होगा।

(क) ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्रों हेतु मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्यय निम्नानुसार होंगे :

दिनांक 31.03.2012 को या इससे पूर्व क्रियाशील किए गए ताप विद्युत् केन्द्रों हेतु प्रचालन एवं संधारण व्यय

35.7 दिनांक 31.03.2012 को या उससे पूर्व क्रियाशील किये गये विद्यमान ताप विद्युत् केन्द्रों को अनुज्ञेय प्रचालन एवं संधारण व्ययों में सम्मिलित होंगे कर्मचारी लागत, मरम्मत तथा अनुरक्षण लागत तथा प्रशासनिक तथा सामान्य लागत। इन मानदण्डों में पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाएं, कर्मचारियों को देय अर्जित अवकाश नगदीकरण, प्रोत्साहन, बकाया राशि, शासन को भुगतान योग्य कर, मप्रविनिआ को देय शुल्क सम्मिलित नहीं हैं। विद्युत् उत्पादक कम्पनी शासन को देय दर, भाड़ा, शासन को देय कर, रसायनों तथा उपभोज्य सामग्रियों, मप्रविनिआ को देय शुल्क, की लागत तथा कर्मचारियों को भुगतान की गई अर्जित अवकाश नगदीकरण तथा किन्हीं बकाया राशियों का दावा पृथक से वास्तविक आंकड़ों के आधार पर करेगी। पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं के दावों को विनियम 35.4 के अनुसार संव्यवहारित किया जाएगा।

ताप विद्युत् उत्पादक इकाईयों हेतु प्रचालन एवं संधारण मानदण्ड : रू. लाख प्रति मेगावाट में

यूनिट (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 2016–17	वित्तीय वर्ष 2017–18	वित्तीय वर्ष 2018–19
120	27.90	29.65	31.52

200/210/250	24.20	25.72	27.34
500	19.43	20.65	21.95

परन्तु अतिरिक्त इकाईयों हेतु उपरोक्त दर्शाये गये मानदण्डों को निम्न कारकों से गुणा किया जाएगा जिनमें उक्त केन्द्र (स्टेशन) हेतु वाणिज्यिक प्रचालन तिथि उन इकाईयों की तत्संबंधी इकाई आकारों हेतु दिनांक 1.4.2016 को अथवा तत्पश्चात् घटित होः

200/210/250 मेगावाट	अतिरिक्त पांचवी तथा छठी इकाईयों हेतु अतिरिक्त सातवी तथा अधिक इकाईयों हेतु	0.90 0.85
300/330/350 मेगावाट	अतिरिक्त चौथी तथा पांचवी इकाईयों हेतु अतिरिक्त छठी तथा अधिक इकाईयों हेतु	0.90 0.85
500 मेगावाट तथा उससे अधिक	अतिरिक्त तीसरी तथा चौथी इकाईयों हेतु अतिरिक्त पांचवी तथा अधिक इकाईयों हेतु	0.90 0.85

35.8 **दिनांक 01.04.2012 या तत्पश्चात क्रियाशील की गई ताप विद्युत् उत्पादन इकाईयों हेतु प्रचालन एवं संधारण मानदण्ड :**

रूपये लाख प्रति मेगावाट में			
यूनिट (मेगावाट में)	**वित्तीय वर्ष 2016–17**	**वित्तीय वर्ष 2017–18**	**वित्तीय वर्ष 2018–19**
45 मेगावाट	32.07	34.09	36.24
200/210/250 मेगावाट	27.00	28.70	30.51
300/330/350 मेगावाट	22.54	23.96	25.47
500 मेगावाट	18.08	19.22	20.43
600 मेगावाट तथा इससे अधिक	16.27	17.30	18.38

परन्तु यह और कि जल प्रभारों को जल की खपत के आधार पर संयंत्र के प्रकार, जलशीतलन प्रणाली, आदि के आधार पर, युक्तियुक्त परीक्षण के अध्यधीन कराया जाएगा । इससे संबंधित विवरण याचिका के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे :

परन्तु यह और कि विद्युत् उत्पादक केन्द्र वास्तविक खपत किए गए पूंजीगत कलपुर्जों की सूची सत्यापन के समय मय उपयुक्त औचित्य के इसकी खपत के बारे में प्रस्तुत करेगा तथा इस बारे में यह भी प्रमाणित करेगा कि इसका निधीयन क्षतिपूर्ति रियायत अथवा विशेष रियायत के माध्यम से नहीं किया गया है तथा न ही इसका दावा अतिरिक्त पूंजीकरण या फिर भण्डार तथा कुलपुर्जों की खपत और नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के किसी भाग के रूप में भी नहीं किया गया है ।

(ख) जल विद्युत् उत्पादक केन्द्रों हेतु मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्यय निम्नानुसार होंगे :

35.9 विद्यमान जल विद्युत् केन्द्रों को अनुज्ञेय प्रचालन एवं संधारण व्ययों में सम्मिलित होंगे कर्मचारी

लागत, मरम्मत तथा अनुरक्षण लागत तथा प्रशासनिक तथा सामान्य लागत। इन मानदण्डों में पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाएं, कर्मचारियों को देय अर्जित अवकाश नगदीकरण, प्रोत्साहन, बकाया राशि, शासन को भुगतान योग्य कर, मप्रविनिआ को देय शुल्क सम्मिलित नहीं हैं । विद्युत् उत्पादक कम्पनी शासन को देय दर, भाड़ा, शासन को देय कर, रसायनों तथा उपभोज्य सामग्रियों, मप्रविनिआ को देय शुल्क की लागत तथा कर्मचारियों को भुगतान की गई अर्जित अवकाश नगदीकरण तथा किन्हीं बकाया राशियों का दावा पृथक् से वास्तविक आंकड़ों के आधार पर करेगी। पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं के दावों को विनियम 35.4 के अनुसार संव्यवहारित किया जाएगा।

35.10 उन विद्यमान जल विद्युत् उत्पादक केन्द्रों के बारे में जो दिनांक 31.3.2016 की स्थिति में क्रियाशील होंगे, निम्न प्रचालन एवं संधारण व्यय मानदण्ड लागू होंगेः

जल विद्युत् केन्द्रों हेतु प्रचालन एवं संधारण मानदण्ड :

वर्ष	प्रचालन एवं संधारण व्यय रू0 लाख प्रति मेगावाट में
वित्तीय वर्ष 2016–17	9.64
वित्तीय वर्ष 2017–18	10.28
वित्तीय वर्ष 2018–19	10.96

35.11 दिनांक 1.4.2016 से अथवा तत्पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन हेतु घोषित किये जाने वाले नवीन जल विद्युत् उत्पादक स्टेशनों के प्रकरण में प्रचालन तथा संधारण व्यय मूल परियोजना लागत (पुनर्वास तथा पुनर्व्यस्थापन की लागत को छोड़कर) की 4 प्रतिशत तथा 2.5 प्रतिशत की दर से क्रमशः 200 मेगावाट क्षमता से कम की परियोजनाओं तथा 200 मेगावाट से अधिक के केन्द्रों (स्टेशनों) हेतु वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित किये जाएंगे तथा ये अनुवर्ती वर्षों हेतु 6.64 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वार्षिक वृद्धि के अध्यधीन होंगे।

अध्याय – 6

क्षमता प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों का संगणन

36. **ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्रों हेतु क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार की गणना तथा भुगतान**

36.1 किसी ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्र हेतु स्थाई लागत की गणना इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार वार्षिक आधार पर की जाएगी, तथा इनकी वसूली मासिक आधार पर क्षमता प्रभार के अन्तर्गत की जाएगी । किसी विद्युत् उत्पादक केन्द्र हेतु भुगतान योग्य कुल क्षमता प्रभारों को उसके हितग्राहियों के मध्य उनका प्रतिशत अंशदान/विद्युत् उत्पादक केन्द्र की क्षमता के आवंटन के आधार पर परस्पर विभाजित किया जाएगा ।

36.2 किसी ताप विद्युत् उत्पादक स्टेशन को एक कलेण्डर माह हेतु भुगतानयोग्य क्षमता प्रभार की गणना निम्न सूत्रों के अनुसार की जाएगी :

CC1 = (AFC/12) (PAF1/NAPAF) जो (AFC/12) की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगी ।

CC2 = (AFC/6) (PAF2/NAPAF) जो {(AFC/6) - CC1)} की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगी।

CC3 = (AFC/4) (PAF3/NAPAF) जो {AFC/4 - (CC1 + CC2)} के उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगी।

CC4 = (AFC/3) (PAF4/NAPAF) जो {AFC/3 - (CC1 + CC2 + CC3)} की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगी।

CC5 = (AFC x 5/12) (PAF5/NAPAF) जो {AFC x 5/12) - (CC1 + CC2 + CC3+ CC4)} की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगी।

CC6 = (AFC/2) (PAF6/NAPAF) जो {(AFC/2) - (CC1 + CC2 + CC3+ CC4 + CC5)} की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगी।

CC7 = (AFC x 7/12) (PAF7/NAPAF) जो {(AFCx7/12) - (CC1 + CC2 + CC3+ CC4 + CC5 + CC6)} की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगी।

CC8 = (AFCx2/3) (PAF8/NAPAF) जो {(AFC x 2/3) - (CC1 + CC2 + CC3+ CC4 + CC5 + CC6 + CC7)} की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगी।

CC9 = {(AFC x 3/4) (PAF9/NAPAF) जो {(AFC x 3/4) - (CC1 + CC2 + CC3+ CC4 + CC5 + CC6 + CC7 + CC8)} की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगी।

CC10= (AFC x 5/6) (PAF10/NAPAF) जो {(AFC x 5/6) - (CC1 + CC2 + CC3+ CC4 + CC5 + CC6+ CC7 + CC8 + CC9)} की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगी।

CC11 = (AFC x 11/12) (PAF11/NAPAF) जो {(AFC x 11/12)) - (CC1 + CC2 + CC3+ CC4 +

CC5 + CC6 + CC7 + CC8 + CC9 + CC10)} की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगी।

CC12 = (AFC) (PAFY/NAPAF) जो {(AFC) - (CC1 + CC2 + CC3+ CC4 + CC5 + CC6 + CC7 + CC8 + CC9 + CC10 + CC11)} की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगी।

परन्तु ऐसी दशा में जहां विद्युत् उत्पादक केन्द्र या उसकी इकाई, जो नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के कारण बंद हो, वहां विद्युत् उत्पादक कंपनी को वार्षिक स्थाई लागत के भाग की वसूली अनुज्ञेय की जायेगी जिसमें केवल प्रचालन एवं संधारण व्यय तथा ऋण पर ब्याज ही सम्मिलित होगें, जहां

AFC = वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक स्थाई लागत, रूपयों में

NAPAF = मानदण्डीय वार्षिक संयत्र उपलब्धता कारक, प्रतिशत में

PAFN = प्रतिशत संयत्र उपलब्धता कारक, जिसकी प्राप्ति nवें माह के अंत तक प्राप्त की गयी हो

PAFY = वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया प्रतिशत संयत्र उपलब्धता कारक

CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, CC9, CC10, CC11, CC12 क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्ठम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, माह में क्षमता प्रभार हैं ।

36.3 किसी विशिष्ट माह के अन्त में निष्पादित किये गये संयंत्र उपलब्धता कारक तथा वर्ष के अन्त में निष्पादित किये गये संयंत्र उपलब्धता कारक की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगीः

$$\text{PAFM अथवा } \text{PAFY} = 10000 \times \sum_{i=1}^{N} DCi / \{ N \times IC \times (100 - AUX) \} \%$$

जहां,

AUX = मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत, प्रतिशत में

DCi = औसत घोषित क्षमता (एक्स–बस मेगावॉट में), अवधि के दौरान i वें दिन हेतु, अर्थात् माह अथवा वर्ष, जैसा कि प्रकरण में लागू हो, जैसा कि इसे संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिवस की समाप्ति उपरांत प्रमाणित किया गया हो

IC = उत्पादक स्टेशन की स्थापित क्षमता (मेगावाट में)

N = अवधि के दौरान दिवसों की संख्या,

टीप : DCi तथा IC में उन उत्पादक इकाईयों की, जिन्हें वाणिज्यिक प्रचालन हेतु घोषित न किया गया हो, की क्षमता को शामिल नहीं किया जाएगा । संबंधित अवधि के दौरान स्थापित क्षमता में परिवर्तन होने की दशा में, उसके औसत मान का अनुप्रयोग किया जाएगा ।

36.4 किसी विद्युत् उत्पादक केन्द्र अथवा उसकी किसी इकाई हेतु प्रोत्साहन राशि का भुगतान 50 पैसे प्रति किलोवाट की दर से देय होगा । अनुसूचित विद्युत् उत्पादन के तत्संबंधी अनुसूचित ऊर्जाएक्स बस ऊर्जा से अधिक मानदण्डीय वार्षिक संयत्र भार कारक हेतु जैसा कि इसे विनियम **39** में निर्दिष्ट किया गया है, होगा ।

36.5 ऊर्जा प्रभार में प्राथमिक तथा द्वितीयक ईंधन लागत तथा चूना पत्थर की लागत (जहां यह लागू हो) शामिल होगी तथा इसका भुगतान प्रत्येक हितग्राही को प्रदाय की जाने वाली निर्धारित कुल ऊर्जा हेतु कलेण्डर माह के दौरान, एक्स विद्युत् संयत्र आधार पर माह की ऊर्जा दर पर (मय ईंधन तथा चूना पत्थर मूल्य समायोजन के) देय होगा। विद्युत् उत्पादक कम्पनी को माह हेतु भुगतान योग्य कुल प्रभार निम्नानुसार होगा :

(ऊर्जा प्रभार दर, रूपये प्रति किलोवाट ऑवर में) X {माह हेतु अनुसूचित ऊर्जा (एक्स–बस), किलोवाट आवर में}

36.6 ऊर्जा प्रभार दर का अवधारण रूपये प्रति किलोवाट ऑवर में एक्स–विद्युत् संयंत्र आधार पर, तीन दशमलव स्थानों तक, निम्न सूत्र के अनुसार किया जाएगा :

(i) कोयला आधारित केन्द्रों हेतु :

ECR = {(GHR - SFC x CVSF) x LPPF/CVPF+SFCxLPSFi} x (100/(100-AUX)}

जहां,

AUX = मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत, प्रतिशत में

CVPF = (क) कोयला आधारित स्टेशनों हेतु प्राप्त किए गए कोयले के संबंध में भारित औसत सकल उष्मित मान, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम में

(ख) ऐसे प्रकरण में जहां ईंधन का सम्मिश्रण विभिन्न स्त्रोतों से किया जाता हो, वहां प्राथमिक ईंधन के भारित औसत सकल उष्मित मान की प्राप्ति सम्मिश्रण अनुपात के समानुपात में की जाएगी

CVSF = द्वितीयक ईंधन का उष्मित मान किलो लीटर/मि. लीटर में

ECR - संप्रेषित की गई ऊर्जा प्रभार दर, रूपये प्रति किलोवाट ऑवर

GHR = सकल स्टेशन ऊष्मा दर, किलो कैलोरी प्रति किलोवाट ऑवर में

LPPF = माह के दौरान प्राथमिक ईंधन का भारित औसत आगमित मूल्य, रूपये प्रति किलोग्राम में (ऐसी दशा में, जहां ईंधन का सम्मिश्रण विभिन्न स्त्रोतों से किया गया हो, वहां प्राथमिक ईंधन के भारित औसत सकल उष्मित मान की प्राप्ति सम्मिश्रण अनुपात के समानुपात में की जाएगी) :

परन्तु देयकों की प्रतियां तथा वास्तविक सकल उष्मित मान तथा ईंधन अर्थात घरेलू कोयला, आयातित कोयला, ई–नीलामी कोयला, आदि की कीमत, घरेलू

कोयले के आयातित कोयले के साथ मिश्रण का अनुपात, ई–नीलामी कोयले का अनुपात, विद्युत् उत्पादक कम्पनी की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किये जाएंगे। उपरोक्त विवरण कम्पनी के वेबसाईट पर तीन माह की अवधि हेतु मासिक आधार पर उपलब्ध कराये जाएंगे।

SFC = मानदण्डीय आपेक्षिक ईंधन खनिज–तेल खपत, मि. लीटर/किलोवॉट ऑवर में

LPSFi = द्वितीय ईंधन का भारित औसत आगमित मूल्य, रूपये प्रति मि. लीटर में

36.7 विद्युत् उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत् उत्पादक केन्द्र के हितग्राहियों को इन विनियमों में निर्दिष्ट प्ररूपों के अनुसार सकल उष्मित मान के मानदण्डों के विवरण तथा ईधन का मूल्य, अर्थात् स्वदेशी कोयला, आयातित कोयला, ई–नीलामी कोयला, आदि प्रदान किये जायेंगे ।

परन्तु आयातित कोयले के घरेलू कोयले के साथ सम्मिश्रण अनुपात के विवरण ई–नीलामी कोयले का अनुपात तथा ईधनों के भारित औसत सकल उष्मित मान जैसा कि वे प्राप्त किये गये हों, पृथक् से तत्संबंधी माह के देयकों के साथ प्रदान किये जायेंगे ।

परन्तु यह और कि देयकों की प्रतियां तथा सकल उष्मित मान तथा ईंधन अर्थात घरेलू कोयला, आयातित कोयला, ई–नीलामी कोयला, आदि की कीमत, घरेलू कोयले के आयातित कोयले के साथ मिश्रण का अनुपात, ई–नीलामी कोयले का अनुपात, विद्युत् उत्पादक कम्पनी की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किये जाएंगे। उपरोक्त विवरण कम्पनी की वैबसाईट पर तीन माह की अवधि हेतु मासिक आधार पर उपलब्ध कराये जाएंगे।

36.8 माह की ईंधन की आगमित लागत में ईंधन का मूल्य, जो ईंधन की श्रेणी तथा गुणवत्ता से तत्संबंधी हो जिसके अन्तर्गत प्रयोज्य स्वत्व शुल्क, कर तथा अभिकर, रेल/सड़क अथवा अन्य किसी साधन से परिवहन लागत, तथा ऊर्जा प्रभारों की गणना के प्रयोजन से तथा कोयले के प्रकरण में, मानदण्डीय परिवहन तथा हथालन हानियां, कोयला प्रदाय कम्पनी द्वारा माह के दौरान प्रेषित की गई कोयले की मात्रा के प्रतिशत के रूप में सम्मिलित होगी, की गणना निम्नानुसार की जाएगीः

खदान मुख विद्युत् उत्पादक केन्द्रों हेतु : 0.2 प्रतिशत की दर से

गैर–खदान मुख विद्युत् उत्पादक केन्द्रों हेतु : 0.8 प्रतिशत की दर से

परन्तु खदान मुख केन्द्रों के प्रकरण में यदि कोयले की अधिप्राप्ति अन्य स्त्रोतों से की जाए, जो खदान मुख खदानों से अन्य हो, जिसका परिवहन केन्द्र को रेल के माध्यम से किया जाए, वहां 0.8 प्रतिशत की परिवहन हानि लागू होगीः

परन्तु यह और कि आयातित कोयला के प्रकरण में, परिवहन तथा हथालन हानियां 0.2 प्रतिशत होंगी ।

36.9 कोयला आधारित ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्रों द्वारा ईंधन प्रदाय के आंशिक अथवा पूर्ण उपयोग संबंधी प्रकरण में अन्यथा जैसा कि विद्युत् उत्पादक कंपनी तथा हितग्राहियों द्वारा उनके विद्युत् क्रय अनुबंध में सहमति व्यक्त की गयी हो, जैसा कि यह अनुबंधित विद्युत् प्रदाय के संबंध में ईंधन की कमी या फिर सम्मिश्रण के माध्यम से मितव्ययी परिचालन की अनुकूलतम परिस्थितियों बावत हो, वहां ईंधन प्रदाय के वैकल्पिक स्त्रोत के उपयोग के बारे में विद्युत् उत्पादक केन्द्र को अनुमति प्रदान की जाएगीः

परन्तु ऐसी दशा में हितग्राहियों को पूर्व अनुमति एक पूर्व शर्त नहीं होगी, जब तक इस संबंध में विशिष्ट तौर पर विद्युत् क्रय अनुबंध में सहमति व्यक्त न कर दी गयी होः

परन्तु यह और कि ईंधन के वैकल्पिक स्त्रोत के उपयोग हेतु इस विनियम के उपखण्ड (36.10) के अनुसार की गई गणना के अनुसार भारित औसत मूल्य ईंधन के आधार मूल्य के 30 प्रतिशत से अधिक न होगाः

परन्तु यह और भी कि जहां ईंधन के उपयोग हेतु भारित औसत मूल्य पर आधारित ऊर्जा प्रभार, ईंधन के वैकल्पिक स्त्रोत को शामिल करते हुये, 30 प्रतिशत से अधिक हो, जैसा कि आयोग द्वारा उक्त वर्ष के लिये अनुमोदित किया गया हो अथवा ईंधन के उपयोग हेतु भारित औसत मूल्य पर आधारित ऊर्जा प्रभार दर, ईंधन के वैकल्पिक स्त्रोत को शामिल करते हुये पूर्व माह के भारित औसम मूल्य पर आधारित ऊर्जा प्रभार दर के 20 प्रतिशत से अधिक हो, इनमें से जो भी कम हो, को मान्य किया जाएगा तथा ऐसी दशा में, हितग्राही से पूर्व परामर्श न्यूनतम तीन दिवस पूर्व किया जाएगा ।

36.10 आयोग द्वारा विशिष्ट विद्युत्–दर (टैरिफ) आदेशों के माध्यम से प्रत्येक विद्युत् उत्पादक केन्द्र हेतु जारी की जाने वाली उक्त ऊर्जा प्रभार दर अवधि के प्रारंभ में अनुमोदित की जायेगी। इस प्रकार अनुमोदित किया गया ऊर्जा प्रभार, विद्युत्–दर अवधि के प्रांरभ में आधार ऊर्जा प्रभार दर होगा । अनुवर्ती वर्षो के लिये आधार ऊर्जा प्रभार–दर, ऐसा ऊर्जा प्रभार होगा जिसकी गणना आधार ऊर्जा प्रभार दर पर विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि के प्रारंभ में भुगतान के प्रयोजन हेतु दरों की वृद्धि द्वारा जैसा कि केन्द्रीय आयोग द्वारा समय–समय पर इसे प्रतिस्पर्धा बोली दिशा निर्देशों के अंतर्गत अधिसूचित किया जाये, होगी ।

37. जल विद्युत् उत्पादक केन्द्रों हेतु क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार का संगणन तथा भुगतानः

37.1 किसी जल–विद्युत् उत्पादक केन्द्र की स्थाई लागत की गणना इन विनियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मानदण्डों के आधार पर की जाएगी तथा इसकी वसूली मासिक आधार पर क्षमता प्रभार (प्रोत्साहन को सम्मिलित करते हुए) तथा ऊर्जा प्रभार के अन्तर्गत की जाएगी जिसका भुगतान हितग्राहियों द्वारा विद्युत् उत्पादक केन्द्र की विक्रय योग्य क्षमता में उनके तत्संबंधी आवंटन के अनुपात

में, अर्थात्, क्षमता अनुसार गृह राज्य को निःशुल्क विद्युत् प्रदाय को छोड़कर किया जाएगा :

परन्तु विद्युत् उत्पादक केन्द्र की प्रथम इकाई की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तथा विद्युत् उत्पादक केन्द्र की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के मध्य की अवधि के दौरान क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार भुगतान के अवधारण हेतु वार्षिक लागत की गणना विद्युत् उत्पादक केन्द्र के अद्यतन कार्य पूर्ण किये जाने संबंधी लागत के आधार पर अनंतिम तौर पर की जाएगी ।

37.2 किसी कलेण्डर माह हेतु किसी जल विद्युत् उत्पादक केन्द्र को भुगतान योग्य क्षमता प्रभार (प्रोत्साहन को सम्मिलित करते हुए) निम्नानुसार होंगे :

AFC x 0.5 x NDM/NDY x (PAFM/NAPAF) (रूपयों में)

जहां,

AFC = वर्ष हेतु निर्दिष्ट वार्षिक स्थाई लागत, रूपयों में

NAPAF = मानदण्डीय संयंत्र उपलब्धता कारक, प्रतिशत में

NDM = माह के दौरान दिवस संख्या

NDY = वर्ष के दौरान दिवस संख्या

PAFM = माह के दौरान प्राप्त किया गया संयंत्र उपलब्धता कारक, प्रतिशत में

37.3 मासिक संयंत्र उपलब्धता कारक की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$PAFM = 1000 \sum_{i=1}^{i=N} DCi/\{N \times IC \times (100-AUX)\}\%$$

जहां,

AUX = मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत, प्रतिशत में

DCi = माह के i वें दिवस हेतु घोषित क्षमता (एक्स–बस मेगावाट में) जो केन्द्र (स्टेशन) को न्यूनतम 3 (तीन) घंटे की अवधि में प्रदान करने में सक्षम हो, जैसा कि इसे समन्वयन भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिवस की समाप्ति पर सत्यापित किया जाए

IC = सम्पूर्ण विद्युत् उत्पादक केन्द्र (स्टेशन) की स्थापित क्षमता (मेगावाट में)

N = माह के दौरान दिवस संख्या

37.4 ऊर्जा प्रभार का भुगतान प्रत्येक हितग्राही द्वारा, माह के दौरान कुल अनुसूचित प्रदाय योग्य ऊर्जा हेतु, निःशुल्क ऊर्जा को घटाकर, यदि कोई हो, एक्स पावर संयंत्र आधार पर, गणना की गई ऊर्जा दर पर किया जाएगा। उत्पादक कम्पनी को माह के दौरान भुगतान योग्य ऊर्जा प्रभार निम्नानुसार होंगे :

(ऊर्जा प्रभार दर रू. प्रति किलोवाट ऑवर में) X {माह हेतु अनुसूचित ऊर्जा (एक्स–बस) किलोवॉट ऑवर में) x (100-FEHS)/100}

37.5 किसी जल–विद्युत् उत्पादक केन्द्र हेतु ऊर्जा प्रभार दर का अवधारण रू. प्रति किलोवाट ऑवर में, एक्स पॉवर प्लांट आधार पर, तीन दशमलव बिन्दुओं तक निम्न सूत्र के आधार पर विनियम **(37.7)** के उपबंधों के अध्यधीन, किया जाएगाः

ECR = AFC x 0.5 x 10/ {DE x (100-AUX) x (100-FEHS)}

जहां,

DE = जल विद्युत् उत्पादक स्टेशन हेतु वार्षिक रूपांकित ऊर्जा, मेगावाट ऑवर में, निम्न दर्शाये विनियम (37.6) के उपबंधों के अध्यधीन होगी

FEHS = गृह राज्य हेतु निशुल्क ऊर्जा, प्रतिशत में, जैसा कि इसे विनियम 44 में परिभाषित किया गया है

37.6 यदि किसी जल विद्युत् उत्पादक केन्द्र द्वारा वर्ष के दौरान वास्तविक उत्पादित ऊर्जा कुल रूपांकित ऊर्जा से कम हो जो विद्युत् उत्पादक केन्द्र के नियंत्रण से परे कतिपय कारणों से हो तो ऐसी दशा में विद्युत् उत्पादक कम्पनी द्वारा दायर किये गये आवेदन द्वारा प्रक्रम आधार पर निम्नानुसार उपचार किया जाएगा :

(क) यदि ऊर्जा में कमी, उत्पादक स्टेशन की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के दस वर्षों की अवधि के भीतर घटित हो, तो ऐसी दशा में ऊर्जा में कमी वाले वर्ष के बाद के वर्ष हेतु ऊर्जा प्रभार दर की गणना उपखण्ड (36.5) में विनिर्दिष्ट सूत्र के आधार पर, इस संशोधन के साथ की जाएगी कि ऊर्जा में कमी वाले वर्ष के बाद के वर्ष हेतु रूपांकित ऊर्जा को वास्तविक उत्पादित ऊर्जा के बराबर माना जाएगा, जब तक ऊर्जा प्रभार में पूर्व वर्ष की कमी की क्षतिपूर्ति नहीं कर दी जाती, जिसके उपरान्त सामान्य ऊर्जा प्रभार दर हेतु प्रयोज्य होगीः

परन्तु ऐसी दशा में, जहां जल विद्युत् उत्पादक केन्द्र से वास्तविक विद्युत् उत्पादन रूपांकित ऊर्जा से निरन्तर चार वर्षों की अवधि हेतु द्रवचालित कारक के कारण कम रही हो, वहां विद्युत् उत्पादक केन्द्र द्वारा केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण से सुसंबद्ध द्रवचालित आंकड़े के साथ केन्द्र (स्टेशन) की रूपांकित ऊर्जा के पुनरीक्षण हेतु सम्पर्क किया जाएगा ।

(ख) यदि किसी विद्युत् उत्पादक केन्द्र की ऊर्जा में कमी वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से दस वर्ष के बाद घटित हो, तो निम्न विधि अपनाई जाएगी :

व्याख्या : माना कि केन्द्र (स्टेशन) हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक रूपांकित ऊर्जा DE मेगावाट ऑवर है तथा संबंधित (प्रथम) तथा उत्तरवर्ती (द्वितीय) वित्तीय वर्षों हेतु क्रमशः A1 तथा A2 मेगावाट ऑवर हो, जिसमें A1 की मात्रा डिजाईन एनर्जी से कम है। ऐसे में रूपांकित ऊर्जा, जिस पर इस विनियम की कण्डिका (5) में दर्शाये गये सूत्र के अनुसार तृतीय वित्तीय वर्ष हेतु ऊर्जा प्रभार दर की

गणना हेतु विचार किया जाएगा, इसे (A1 + A2 - DE) मेगावाट ऑवर के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा, जो अधिकतम DE मेगावाट ऑवर तथा न्यूनतम A1 मेगावाट ऑवर के अध्यधीन होगा ।

(ग) वास्तविक उत्पादित ऊर्जा (उदाहरण के तौर पर, A1, A2) की गणना स्टेशन से शुद्ध पारेषित ऊर्जा को 100/(100–AUX) के गुणनफल द्वारा की जाएगी।

37.7 यदि किसी जल–विद्युत् केन्द्र हेतु ऊर्जा प्रभार दर जैसा कि इसकी गणना उपरोक्त कण्डिका 37.5 में की गई है, **90 पैसे प्रति किलोवाट ऑवर** से अधिक हो तथा वर्ष के दौरान वास्तविक विक्रययोग्य ऊर्जा {DE x (100-AUX) x (100-FEHS)/1000} मेगावाट ऑवर से अधिक हो तो ऊर्जा हेतु ऊर्जा प्रभार की बिलिंग उपरोक्त से अधिक हेतु, केवल **90 पैसे प्रति किलोवाट ऑवर** की दर से की जाएगी :

परन्तु किसी वर्ष के दौरान ऐसे वर्ष के बाद जब कुल उत्पादित ऊर्जा रूपांकित ऊर्जा से कम हो, जो विद्युत् उत्पादक कम्पनी के नियंत्रण से परे कतिपय कारणों से हो, तो ऐसी दशा में ऊर्जा प्रभार दर को 90 पैसे प्रति किलोवाट ऑवर की दर तक कम कर दिया जाएगा, जब पूर्व वर्ष के ऊर्जा प्रभार में कमी की क्षतिपूर्ति कर ली गई हो ।

37.8 संबंधित भार प्रेषण केन्द्र हितग्राहियों से विचार–विमर्श कर जल–विद्युत् उत्पादक केन्द्रों हेतु घोषित की गई उपलब्ध समस्त ऊर्जा की अनुकूलतम उपयोगिता हेतु अनुसूचियों को अन्तिम रूप देगा जिसे समस्त हितग्राहियों को विद्युत् उत्पादक केन्द्र के तत्संबंधी आवंटन हेतु अनुसूचीबद्ध किया जाएगा ।

38. विचलन प्रभार

38.1 विद्युत् उत्पादक केन्द्र हेतु वास्तविक शुद्ध अन्तःक्षेपण तथा अनुसूचित शुद्ध अन्तःक्षेपण अंतरों तथा हितग्राहियों हेतु वास्तविक शुद्ध आहरण और अनुसूचित शुद्ध आहरण अंतरों को उनका तत्संबंधी विचलन माना जाएगा तथा ऐसे विचलनों को केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित ''Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settelment Mechanism and Related matters) Regulation, 2014, समय–समय पर यथासंशोधित या इसके किसी अनुवर्ती अधिनियमन द्वारा अधिशासित किया जायगा ।

38.2 प्रत्येक विद्युत् उत्पादक केन्द्र तथा हितग्राही के वास्तविक शुद्ध विचलन को उसकी परिधि पर राज्य पारेषण इकाई द्वारा स्थापित विशेष ऊर्जा मापयन्त्रों के माध्यम से मीटरीकृत किया जाएगा तथा संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा इसकी गणना प्रत्येक **15**–मिनट के समय–खण्ड हेतु मेगावाट ऑवर में की जाएगी ।

अध्याय–7

प्रचालन के मानदण्ड

39. ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्रों हेतु प्रचालन के मानदण्ड

39.1 विद्युत् उत्पादक कंपनी द्वारा क्षमता प्रभार, ऊर्जा प्रभार की वसूली तथा प्रोत्साहन इन विनियमों में निर्दिष्ट किये गये मानदण्डों की उपलब्धि पर आधारित होंगे ।

39.2 ताप विद्युत् केन्द्रों हेतु निम्न दर्शाये गये प्रचालन मानदण्ड दिनांक 31 मार्च, 2012 को अथवा उससे पूर्व क्रियाशील किए गये ताप विद्युत् केन्द्रों को लागू होंगे :

(क) मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक

विद्युत् उत्पादक केन्द्र का नाम	यूनिट (मेगावाट में)	क्षमता (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 तक
सतपुड़ा ताप विद्युत् केन्द्र (स्टेशन) सारनी पीएच 2	200+210	410.0	75.00%
सतपुड़ा ताप विद्युत् केन्द्र (स्टेशन) सारनी पीएच 3	2 x 210	420.0	75.00%
सतपुड़ा ताप विद्युत् केन्द्र (स्टेशन) संकुल		**830.0**	**75.00%**
अमरकंटक ताप विद्युत् केन्द्र (स्टेशन) पीएच 2	**2 x 120**	**240.0**	**65.00%**
अमरकंटक ताप विद्युत् केन्द्र (स्टेशन) पीएच 3	**1 x 210**	**210.0**	**85.00%**
संजय गांधी ताप विद्युत् केन्द्र (स्टेशन) पीएच 1	2 x 210	420.0	80.00%
संजय गांधी ताप विद्युत् केन्द्र (स्टेशन) पीएच 2	2 x 210	420.0	80.00%
संजय गांधी ताप विद्युत् केन्द्र (स्टेशन) संकुल (पीएच 1 तथा पीएच 2)		**840.0**	**80.00%**
संजय गांधी ताप विद्युत् केन्द्र (स्टेशन) रू. (500 मेगावाट)	**1 x 500**	**500.0**	**85.00%**

(ख) सकल स्टेशन ऊष्मा (किलो कैलोरी/किलोवॉट ऑवर)

विद्युत् उत्पादक केन्द्र का नाम	यूनिट (मेगावाट में)	क्षमता (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 तक
सतपुड़ा ताप विद्युत् केन्द्र (स्टेशन) सारनी पीएच 2	200+210	410.0	2700
सतपुड़ा ताप विद्युत् केन्द्र (स्टेशन) सारनी पीएच 3	2 x 210	420.0	2700
सतपुड़ा ताप विद्युत् केन्द्र (स्टेशन) संकुल		**830.00**	**2700**
अमरकंटक ताप विद्युत् केन्द्र (स्टेशन) पीएच 2	**2 x 120**	**240.0**	**3200**
अमरकंटक ताप विद्युत् केन्द्र (स्टेशन) पीएच 3	**1 x 210**	**210.0**	**2450**
संजय गांधी ताप विद्युत् केन्द्र (स्टेशन) पीएच 1	2 x 210	420.0	2600

संजय गांधी ताप विद्युत् केन्द्र (स्टेशन) पीएच 2	2 x 210	420.0	2600
संजय गांधी ताप विद्युत् केन्द्र (स्टेशन) संकुल (पीएच 1 तथा पीएच 2)		**840.0**	**2600**
संजय गांधी ताप विद्युत् स्टेशन (500 मेगावाट)	**1 x 500**	**500.0**	**2425**

(ग) आपेक्षिक ईंधन खनिज तेल खपत
(मि लीटर/किलोवाट ऑवर)

विद्युत् उत्पादक केन्द्र का नाम	यूनिट (मेगावाट में)	क्षमता (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 तक
सतपुड़ा ताप विद्युत् केन्द्र (स्टेशन) स्टेशन सारनी पीएच 2	200+210	410.0	1.75
सतपुड़ा ताप विद्युत् केन्द्र (स्टेशन) सारनी पीएच 3	2 x 210	420.0	1.75
सतपुड़ा ताप विद्युत् केन्द्र (स्टेशन) संकुल		**830.00**	**1.75**
अमरकंटक ताप विद्युत् केन्द्र (स्टेशन) पीएच 2	**2 x 120**	**240.0**	**2.00**
अमरकंटक ताप विद्युत् केन्द्र (स्टेशन) पीएच 3	**1 x 210**	**210.0**	**1.00**
संजय गांधी ताप विद्युत् केन्द्र (स्टेशन) पीएच 1	2 x 210	420.0	1.30
संजय गांधी ताप विद्युत् केन्द्र (स्टेशन) पीएच 2	2 x 210	420.0	1.00
संजय गांधी ताप विद्युत् केन्द्र (स्टेशन) संकुल (पीएच 1 तथा पीएच 2)		**840.0**	**1.15**
संजय गांधी ताप विद्युत् केन्द्र (स्टेशन) (500 मेगावाट)	**1 x 500**	**500.0**	**1.00**

(घ) सहायक ऊर्जा खपत (%)

विद्युत् उत्पादक केन्द्र का नाम	यूनिट (मेगावाट में)	क्षमता (मेगावाट में	वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 तक
सतपुड़ा ताप विद्युत् स्टेशन सारनी पीएच 2	200+210	410.0	10.00%
सतपुड़ा ताप विद्युत् स्टेशन सारनी पीएच 3	2 x 210	420.0	10.00%
सतपुड़ा ताप विद्युत् स्टेशन संकुल		**830.00**	**10.00%**
अमरकंटक ताप विद्युत् स्टेशन पीएच 2	**2 x 120**	**240.0**	**10.00%**
अमरकंटक ताप विद्युत् स्टेशन पीएच 3	**1 x 210**	**210.0**	**9.00%**
संजय गांधी ताप विद्युत् स्टेशन पीएच 1	2 x 210	420.0	9.00%
संजय गांधी ताप विद्युत् स्टेशन पीएच 2	2 x 210	420.0	9.00%
संजय गांधी ताप विद्युत् स्टेशन संकुल (पीएच 1 तथा पीएच 2)		**840.0**	**9.00%**
संजय गांधी ताप विद्युत् स्टेशन नवीन इकाई (500 मेगावाट)	**1 x 500**	**500.0**	**6.00%**

(ड.) प्रोत्साहन हेतु मानदण्डीय वार्षिक संयत्र भार कारक (%)

विद्युत् उत्पादक केन्द्र का नाम	यूनिट (मेगावाट में)	क्षमता (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 तक
सतपुड़ा ताप विद्युत् स्टेशन सारनी पीएच 2	200+210	410.0	75.00
सतपुड़ा ताप विद्युत् स्टेशन सारनी पीएच 3	2 x 210	420.0	75.00
सतपुड़ा ताप विद्युत् स्टेशन संकुल		**830.00**	**75.00**
अमरकंटक ताप विद्युत् स्टेशन पीएच 2	**2 x 120**	**240.0**	**65.00**
अमरकंटक ताप विद्युत् स्टेशन पीएच 3	**1 x 210**	**210.0**	**85.00**
संजय गांधी ताप विद्युत् स्टेशन पीएच 1	2 x 210	420.0	80.00

संजय गांधी ताप विद्युत् स्टेशन पीएच 2	2 x 210	420.0	80.00
संजय गांधी ताप विद्युत् स्टेशन संकुल (पीएच 1 तथा पीएच 2)		**840.0**	**80.00**
संजय गांधी ताप विद्युत् स्टेशन नवीन इकाई (500 मेगावाट)	**1 x 500**	**500.0**	**85.00**

39.3 दिनांक 1.4.2012 को अथवा तत्पश्चात् समस्त क्षमताओं के संबंध में क्रियाशील की गई ताप विद्युत् उत्पादक इकाईयों/केन्द्रों (स्टेशनों) हेतु निम्न मानदण्ड लागू होंगे–

(क) मानदण्डीय वार्षिक संयत्र उपलब्धता कारक : 85%

परन्तु कोयले की कमी को दृष्टिगत रखते हुये तथा निरंतर आधार पर कोयले की सुनिश्चित आपूर्ति की अनिश्चितता के कारण भी जैसा कि इसके बारे में विद्युत् उत्पादक केन्द्रों द्वारा अनुभव किया जा रहा है, स्थायी प्रभारों की वसूली के बारे में NAPAF का मान 83 प्रतिशत होगा जब तक कि इसका पुनरीक्षण न कर दिया जाये ।

(ख) मानदण्डीय वार्षिक संयत्र भार कारक : 85%

(ग) सकल स्टेशन ऊष्मा दर

(क) विद्यमान कोयला आधारित ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्र जिनकी वाणिज्यिक प्रचालन तिथि 1.4.2012 को या तत्पश्चात् हो, 31.3.2016 तक (उन्हें छोडकर जिन्हें उपखण्ड 39.2 के अंतर्गत शामिल किया गया है) वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान ऊष्मा दर मानदण्ड होंगे ।

नवीन ताप विद्युत् उत्पादक स्टेशन जो दिनांक 1.4.2016 को या तत्पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की प्राप्ति करते हों :

(ख) कोयला आधारित ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्र = 1.045 x रूपांकित ऊष्मा दर (किलो केलोरी/प्रति किलोवाट ऑवर में)

जहां किसी इकाई की रूपांकित ऊष्मा दर से तात्पर्य है इकाई ऊष्मा दर जिसे सामग्री प्रदायकर्ता द्वारा शत प्रतिशत निरंतर गुणवत्ता श्रेणी शून्य प्रतिशत प्रतिपूर्ति, रूपांकित कोयला तथा रूपांकित शीतल जल तापमान/पृष्ठ दबाव जैसी परिस्थितियों हेतु प्रतिभूत किया गया हैः

परन्तु रूपांकित ऊष्मा दर निम्न दर्शाई गई अधिकतम रूपांकित इकाई ऊष्मा दरों से इकाईयों की दबाव तथा तापमान गुणवत्ताओं पर निर्भर करेंगी, अधिक नहीं होंगी :

दबाव गुणवत्ता श्रेणी (किलोग्राम/वर्ग सेमी)	**150**	**170**	**170**	**247**
सुपर हीटर टेम्परेचर/रीहीटर टेम्परेचर (°C)	**535/535**	**537/537**	**537/565**	**537/565**
वाष्पयंत्र पोषित पंप का प्रकार	विद्युत चालित	टरबाईन चालित	टरबाईन चालित	टरबाईन चालित
अधिकतम टरबाईन चक्र ऊष्मा दर (किलो कैलोरी/किलोवॉट ऑवर)	**1955**	**1950**	**1935**	**1850**
न्यूनतम वाष्पयंत्र दक्षता				
सब–बिटूमिनस भारतीय कोयला	**0.86**	**0.86**	**0.86**	**0.85**
बिटूमिनस आयातित कोयला	**0.89**	**0.89**	**0.89**	**0.89**
अधिकतम रूपांकित इकाई ऊष्मा दर (किलो कैलोरी/किलोवाट ऑवर)				
सब–बिटूमिनस भारतीय कोयला	**2273**	**2267**	**2250**	**2151**
बिटूमिनस आयातित कोयला	**2197**	**2191**	**2174**	**2178**

परन्तु यह और कि यदि किसी इकाई के दबाव तथा तापमान मानदण्ड उपरोक्त दर्शाई गई गुणवत्ता श्रेणी से भिन्न हों तो ऐसी दशा में निकटतम श्रेणी की अधिकतम रूपांकित इकाई की ऊष्मा दर ली जाएगी;

परन्तु यह और कि जहां इकाई ऊष्मा दर प्रत्याभूत नहीं की गई हो परन्तु टरबाईन चक्र ऊष्मा दर तथा वाष्पयंत्र दक्षता उसी सामग्री प्रदायकर्ता अथवा भिन्न–भिन्न सामग्री प्रदायकर्ताओं द्वारा पृथक्–पृथक् प्रत्याभूत की गई हो तो ऐसी दशा में इकाई रूपांकित ऊष्मा दर की गणना प्रत्याभूत टरबाईन चक्र ऊष्मा दर तथा वाष्पयंत्र दक्षता के प्रयोग द्वारा की जाएगी;

परन्तु यह भी कि यदि एक या इससे अधिक इकाईयां दिनांक 1.4.2016 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित की गई हों तो ऐसी दशा में उन इकाईयों हेतु तथा इनके साथ–साथ दिनांक 1.4.2016 को तथा इसके पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित ऊष्मा दर मानदण्ड जिनकी गणना उपरोक्त विधि द्वारा की जाएगी व इनमें से जो भी कम हो, मानी जाएगी।

टीप : ऐसी इकाईयों के संबंध में जहां वाष्पयंत्र पोषित पम्प विद्युत् चालित हों, उनमें अधिकतम रूपांकित इकाई ऊष्मा दर टरबाईन–चालित वाष्पयंत्र पोषित पम्प हेतु विनिर्दिष्ट की गई अधिकतम रूपांकित इकाई ऊष्मा दर से 40 किलो कैलोरी/किलोवाट ऑवर कम होगी ।

(घ) **आपेक्षिक ईंधन तेल खपत**

कोयला आधारित विद्युत् उत्पादक स्टेशन : 0.50 मि.लीटर/किलोवाट ऑवर

(ङ) **सहायक ऊर्जा खपत**

स.क्र.	पावर स्टेशन	मय नैसर्गिक ड्राफ्ट शीतलीकरण के या शीतलीकरण टॉवर के बगैर भी
(1)	200/300 मेगावाट श्रृंखला	8.5%
(2)	500 मेगावाट तथा इससे अधिक	
	वाष्प चालित वाष्पयंत्र पोषित पम्प	5.25%
	विद्युत् चालित वाष्पयंत्र पोषित पम्प	7.75%
(3)	45 मेगावाट श्रृंखला	10%

परन्तु ड्राफ्ट उत्सर्जित शीतलीकरण टावरों वाले ताप विद्युत् उत्पादक हेतु मानदण्डों में आगे 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि की जाएगीः

परन्तु यह और कि निम्नानुसार दर्शाई गयी अतिरिक्त सहायक ऊर्जा खपत शुष्क शीतलन प्रणालियों से युक्त संयंत्रों हेतु अनुज्ञेय की जा सकेगीः

शुष्क शीतलन प्रणाली का प्रकार	सकल विद्युत् उत्पादन प्रतिशत के रूप में
प्रत्यक्ष शीतलन वायु शीतित संघनित्र, मय यांत्रिक कर्षण पंखे	1%
अप्रत्यक्ष शीतलन प्रणाली जिनमें जेट संघनित्र नियोजित किये जाते हों, मय दबाब प्रतिप्राप्ति टरबाईन तथा नैसर्गिक कर्षण टावर के	0.5%

40. ताप विद्युत् उत्पादक केन्द्रों हेतु प्रचालन के मानदण्ड

40.1 जल–विद्युत् ऊर्जा केन्द्रों हेतु प्रचालन के मापदण्ड निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :

(1) **मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक**

आयोग द्वारा जल विद्युत् उत्पादक केन्द्रों हेतु मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक का अवधारण निम्न मापदण्डों के अनुसार किया जाएगा :

(एक) जल संग्रहण तथा जलाशय प्रकार के संयंत्र जिनका शीर्ष अन्तर पूर्ण जलाशय स्तर तथा जलाशय में न्यूनतम गिरावट के स्तर में अन्तर 8 प्रतिशत तक का हो, तथा जहां संयंत्र उपलब्धता गाद से प्रभावित न हो : 90 प्रतिशत

(दो) जल संग्रहण तथा जलाशय प्रकार के संयंत्र जिनका शीर्ष अन्तर पूर्ण जलाशय स्तर तथा जलाशय में न्यूनतम गिरावट के स्तर में अन्तर 8 प्रतिशत से अधिक का हो व

जहां संयंत्र उपलब्धता गाद से प्रभावित न होः माहवार शीर्ष क्षमता जैसा कि परियोजना प्राधिकारियों द्वारा इसे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में प्रदान किया गया हो, {केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित} 'NAPAF' के निर्धारण का आधार बनेगा ।

(तीन) जलाशय प्रकार के संयन्त्र, जहां संयन्त्र की उपलब्धता उल्लेखनीय रूप से गाद द्वारा प्रभावित होती है : 85%

(चार) नदी–बहाव प्रकार के संयंत्र : मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक का अवधारण दस–दिवस रूपांकन ऊर्जा आंकड़े पर आधारित संयंत्रवार किया जाएगा जिसे पूर्व के अनुभव के आधार पर, उसकी उपलब्धता/युक्तियुक्त होने की दशा में, संयत किया जाएगा।

40.2 आयोग द्वारा मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक के अवधारण में अतिरिक्त रियायत प्रदान की जा सकेगी, उदाहरण के तौर पर, असामान्य गाद की समस्या अथवा अन्य प्रचालन शर्तें तथा संयंत्र की विदित परिसीमाएं।

40.3 उपरोक्त कण्डिकाओं के आधार पर, क्षमता प्रभारों की वसूली हेतु वर्तमान में प्रचालित किये जा रहे जल–विद्युत् उत्पादक केन्द्रों के मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक निम्नानुसार होंगे :–

स्टेशन	संयंत्र का प्रकार	संयंत्र क्षमता (मेगावाट में)	मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक
गांधी सागर	संग्रहण	57.5	85%
पेंच	संग्रहण	106.7	85%
राजघाट	संग्रहण	22.5	85%
बरगी	संग्रहण	90.0	85%
बाणसागर संकुल (सिलपारा को छोड़कर)	संग्रहण	395.0	85%
सिलपारा	नदी बहाव आधारित मय जलाशय	30.0	90%
बिरसिंहपुर	संग्रहण	20.0	85%
मढ़ीखेड़ा	संग्रहण	60.0	85%

(2) सहायक ऊर्जा खपत :

(क) सतह पर स्थापित जल–विद्युत् उत्पादक केन्द्र स्टेशन जिनमें उत्पादक शाफ्ट पर रोटेटिंग एक्साईटर स्थापित हैः – उत्पादित ऊर्जा का 0.7 प्रतिशत

(ख) सतह पर स्थापित जल–विद्युत् उत्पादक केन्द्र जिसमें स्थिर एक्साईटेशन प्रणाली स्थापित हैः – उत्पादित ऊर्जा का 1 प्रतिशत

(ग) भूमिगत स्थापित जल–विद्युत् उत्पादक केन्द्र जिनमें उत्पादक शाफ्ट पर

रोटेटिंग एक्साईटर स्थापित हैः – उत्पादित ऊर्जा का 0.9 प्रतिशत

(घ) भूमिगत स्थापित जल–विद्युत् उत्पादक केन्द्र जिनमें स्थैतिक एक्साइटेशन प्रणाली स्थापित हैः – उत्पादित ऊर्जा का 1.2 प्रतिशत

अध्याय – 8

अनुसूचीकरण लेखांकन तथा बिलिंग

41. प्रोत्साहन :

41.1 ताप विद्युत् उत्पादक की दशा में प्रोत्साहन 50 पैसे प्रति किलोवाट ऑवर की एक मुश्तदर पर एक्स बस अनुसूचित ऊर्जा हेतु, अनुसूचित विद्युत् उत्पादन से तत्संबंधी, एक्स बस ऊर्जा से अधिक मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र भार कारक से तत्संबंधी देय होगा ।

41.2 जल विद्युत् उत्पादक केन्द्रों की दशा में प्रोत्साहन वसूल की गयी क्षमता (स्थाई) प्रभारों का भाग होगा । इस हेतु जल विद्युत् उत्पादक केन्द्रों को कोई प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जायेगा ।

42. अनुसूचीकरण :

किसी विद्युत् उत्पादक केन्द्र हेतु अनुसूचीकरण बावत कार्यविधि आयोग द्वारा अनुमोदित ग्रिड संहिता (या फिर अन्य कोई संहिता या विनियम) में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी जैसा कि इसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए ।

43. मापयन्त्रण पद्धति और लेखांकन :

मापयन्त्रण व्यवस्थाएं, मय इनकी स्थापना, परीक्षण एवं प्रचालन व संधारण तथा ऊर्जा विनिमयन व 15 मिनट समयखण्ड संबंधी औसत आवृत्ति के लेखे–जोखे की आवश्यकता बाबत आंकडों के संग्रहण, परिवहन एवं उपचार की व्यवस्था राज्य पारेषण इकाई तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा की जाएगी। समस्त संबंधित इकाईयां (जिनके परिसरों में विशेष ऊर्जा मापयन्त्र स्थापित हैं) राज्य पारेषण इकाई/राज्य भार प्रेषण केन्द्र से पूर्णरूपेण सहयोग करेंगी तथा साप्ताहिक मापयन्त्र वाचन हेतु राज्यभार प्रेषण केन्द्र को संप्रेषण में आवश्यक सहायता उपलब्ध करायेंगी। राज्य भार प्रेषण केन्द्र ऊर्जा संबंधी लेखे मासिक आधार पर तथा विचलन प्रभार संबंधी लेखे

साप्ताहिक आधार पर जारी करेगा । विचलन प्रभार लेखांकन प्रक्रिया का नियंत्रण आयोग द्वारा जारी आदेशों के अन्तर्गत होगा।

44. प्रभारों की बिलिंग तथा भुगतान :

44.1 विद्युत् उत्पादक कम्पनी द्वारा इन विनियमों के अनुसार क्षमता प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों हेतु देयक (बिल) मासिक आधार पर प्रस्तुत किये जाएंगे तथा हितग्राहियों द्वारा प्रयोज्य भुगतान सीधे विद्युत् उत्पादक कम्पनी को किये जाएंगे ।

44.2 किसी ताप–विद्युत् उत्पादक केन्द्र की दशा में, क्षमता प्रभारों का भुगतान विद्युत् उत्पादक केन्द्र के हितग्राहियों द्वारा किसी माह हेतु विद्युत् उत्पादक केन्द्र की स्थापित क्षमता में उनके प्रतिशत अंशदान के अनुसार (अनावंटित क्षमता में से किये गये किसी आवंटन को सम्मिलित करते हुए) परस्पर वितरित किया जाएगा। किसी जल–विद्युत् उत्पादक केन्द्र के प्रकरण में विक्रय–योग्य क्षमता (जिसका अवधारण उनके गृह राज्य को निःशुल्क ऊर्जा के तत्संबंधी क्षमता को घटाने के पश्चात् किया जाएगा) विद्युत् उत्पादक केन्द्र के अंशदान के अनुपात में (अनावंटित क्षमता में किये गये किसी आवंटन को सम्मिलित कर) हितग्राहियों द्वारा निम्न दर्शाई गई टीप 3 के अनुसार किया जाएगा।

टीप 1 : राज्य क्षेत्र के विद्युत् उत्पादक केन्द्रों की कुल क्षमता में प्रत्येक हितग्राही के अंशदान/आवंटन का अवधारण राज्य शासन द्वारा अनावंटित क्षमता में से किये गये किसी आवंटन को सम्मिलित कर किया जाएगा। ये अंशदान स्टेशन क्षमता के प्रतिशत के रूप में प्रयोज्य होंगे तथा किसी माह के दौरान स्थिर रहेंगे । किसी हितग्राही का कुल क्षमता अंशदान, उसका क्षमता अंशदान तथा अनावंटित भाग में से किये गये किसी आवंटन का योग होगा । राज्य शासन द्वारा अनावंटित ऊर्जा में से की गई किसी विशिष्ट आवंटन की अनुपस्थिति में, अनावंटित ऊर्जा को आवंटित क्षमता में आवंटित अंशदान के अनुपात के अनुरूप जोड़ दिया जाएगा ।

टीप 2 : हितग्राही उनके आवंटित स्थाई अंशदान के एक अंश को अन्य हितग्राहियों को समर्पित किया जाना प्रस्तावित कर सकेंगे । ऐसे प्रकरणों में, ऊर्जा के अन्तरण की तकनीकी व्यवहार्यता पर निर्भर तथा विद्युत् उत्पादक कम्पनी द्वारा अन्य राज्यों के साथ निष्पादित किए गए विशिष्ट अनुबंधों के आधार पर जो इस प्रकार के अन्तरण हेतु क्षेत्र के आन्तरिक/ बाह्य रूप से किए जाएंगे, हितग्राहियों के अंशदान प्रत्याशित रूप से राज्य शासन द्वारा किसी कलेण्डर माह के प्रारम्भ से पुनर्आवंटित किये जा सकेंगे । जब भी इस प्रकार के पुनर्आवंटन किये जाते हैं, तो हितग्राही जो अपने अंशदान को समर्पित करते हों, उन्हें समर्पित किये गये अंशदान हेतु क्षमता प्रभारों के भुगतान की बाध्यता नहीं होगी । उपरोक्तानुसार समर्पित की गई तथा पुनर्आवंटित की गई क्षमता की अवधि हेतु, क्षमता प्रभारों का भुगतान ऐसे राज्यों द्वारा किया जाएगा, जिसे/जिन्हें समर्पित क्षमता आवंटित की जाती है । उपरोक्तानुसार क्षमता के पुनर्आवंटन की अवधि को

छोड़कर, विद्युत् उत्पादक केन्द्र के हितग्राहियों द्वारा पूर्ण क्षमता प्रभारों का भुगतान अंशदान की आवंटित क्षमता के अनुसार जारी रखा जाएगा । समुचित प्राधिकारी द्वारा अग्रिम तौर पर इस प्रकार के पुनः आवंटन अथवा प्रत्यावर्तन के प्रभावशील होने के न्यूनतम तीन दिवस पूर्व ऐसे पुनः आवंटन तथा प्रत्यावर्तन को समस्त संबंधितों को सम्प्रेषित किया जाएगा ।

टीप 3 : FEHS = गृह राज्य हेतु निःशुल्क ऊर्जा, को प्रतिशत के रूप में 13 प्रतिशत अथवा वास्तविक, इनमें से जो भी कम हो, माना जाएगा (यह एमपीपीजीसीएल के विद्युत् उत्पादक स्टेशनों हेतु लागू नहीं होगा) :

परन्तु ऐसी दशा में जहां किसी जल विद्युत् परियोजना का कार्यस्थल किसी विकासक (जो राज्य द्वारा नियंत्रित अथवा स्वामित्व वाली कम्पनी नहीं होगी) को बोली की द्विस्तरीय पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा प्रदान किया जाता है वहां निःशुल्क ऊर्जा 13 प्रतिशत मानी जाएगी जिसमें विद्युत् की 100 यूनिटों से तत्संबंधी ऊर्जा भी सम्मिलित होगी जो परियोजना से प्रभावित प्रत्येक परिवार को 10 वर्ष की अवधि हेतु विद्युत् उत्पादक केन्द्र की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से प्रदान की जाएगीः

परन्तु यह और कि विद्युत् उत्पादक कंपनी द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से 10 वर्षो की अवधि हेतु परियोजना से प्रभावित प्रत्येक परिवार को प्रति माह 100 यूनिट निःशुल्क विद्युत् से तत्संबंधी मात्रा के प्रावधान का विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा ।

45. छूटः

45.1 विद्युत् उत्पादक कंपनी द्वारा प्रस्तुत देयकों का भुगतान साखपत्र (लैटर ऑफ क्रेडिट) या राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अन्तरण/क्षेत्रीय लेन–देन सकल व्यवस्थापन के माध्यम से बिल प्रस्तुति के दो दिवस के भीतर किए जाने पर कम्पनी द्वारा 2 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी ।

45.2 विद्युत् उत्पादक कंपनी द्वारा देयकों की प्रस्तुति के दो दिवस पश्चात् तथा 30 दिवस के भीतर, किये जाने पर कम्पनी द्वारा एक प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी ।

46. विलंब भुगतान अधिभारः

ऐसी दशा में जहां इन विनियमों के अंतर्गत देय प्रभारों के किसी देयक के भुगतान देयक तिथि से 60 दिवस से अधिक अवधि का बिलंब किया जाता हो, वहां विद्युत् उत्पादक कंपनी द्वारा 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से बिलंब भुगतान अधिभार अधिरोपित किया जाएगा ।

अध्याय–9

विविध प्रावधान

47. स्वच्छ विकास क्रियाविधि के लाभों का बंटवारा :

अनुमोदित स्वच्छ विकास क्रियाविधि को कार्बन आकलन से प्राप्तियों का परस्पर बंटवारा निम्न विधि द्वारा किया जाएगा, अर्थात्–

(क) स्वच्छ विकास क्रियाविधि के कारण सकल प्राप्तियों की 100 प्रतिशत राशि परियोजना के विकासक द्वारा विद्युत् उत्पादक केन्द्र की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के प्रथम वर्ष में स्वयं के पास धारित की जाएगी ।

(ख) द्वितीय वर्ष में, हितग्राहियों का अंशदान 10 प्रतिशत होगा, जिसमें उत्तरोत्तर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जाएगी, जिसे 50 प्रतिशत तक पहुंचाने के उपरान्त, प्राप्तियों को विद्युत् उत्पादक कम्पनी तथा हितग्राहियों के मध्य समान अनुपात में वितरित किया जाएगा ।

48. मानदण्डों से विचलन :

उत्पादक कम्पनी द्वारा विद्युत् के विक्रय हेतु विद्युत् दर (टैरिफ) का अवधारण इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों से विचलन किये जाने पर निम्न शर्तों के अध्यधीन अवधारित किया जा सकेगाः

(क) परियोजना के उपयोगी जीवनकाल के अंतर्गत आवेदन की प्रस्तुति के समय समस्त कार्यप्रणाली के प्रस्तुतिकरण पर मय विद्युत् उत्पादक द्वारा अवधारणाएं प्रस्तुत करते समय विचलन के अंतर्गत मानदण्डों के आधार पर समतुल्य विद्युत–दर इन विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट मानदण्डों के आधार पर गणना की गई समतुल्य विद्युत् दर से अधिक न होगी; और

(ख) कोई भी विचलन आयोग के अनुमोदन पश्चात् ही प्रभावशील होगा जिस हेतु विद्युत् उत्पादक कम्पनी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

व्याख्या – उपरोक्त संदर्भित समतुल्य विद्युत–दर की गणना के प्रयोजन हेतु, छूट संबंधी कारक केन्द्रीय आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये गये अनुसार लागू होगी ।

49. आय पर कर :

विद्युत् उत्पादक कम्पनी के आय स्त्रोतों पर अधिरोपित कर की वसूली पृथक् रूप से हितग्राहियों से नहीं की जाएगी ।

50. विदेशी विनिमय दर परिवर्तन :

50.1 विद्युत् उत्पादक कंपनी निवेश विनिमय की अनावृत्ति को विद्युत् उत्पादक केन्द्र हेतु विदेशी मुद्रा में प्राप्त किये गये ऋण पर ब्याज तथा विदेशी ऋण के पुनर्भुगतान के संबंध में समायोजन आंशिक अथवा पूर्ण रुप से जो विद्युत् उत्पादक कंपनी की स्वेच्छानुसार होगा, कर सकेगी।

50.2 जब कभी भी याचिकाकर्ता उसके द्वारा अनुमोदित समायोजन नीति के अंतर्गत किसी समायोजन संबंधी क्रिया को निष्पादित करता हो तो याचिकाकर्ता द्वारा संबद्ध हितग्राहियों को तीस दिवस के भीतर ऐसे समायोजन क्रिया संबंधी लेन–देन संबंधी निर्णय बावत अपनी विदेशी मुद्रा समायोजन क्रिया के बारे में अवगत कराया जाना चाहिये ।

50.3 प्रत्येक विद्युत् उत्पादक कंपनी, मानदण्डीय विदेशी ऋण से तत्संबंधी विदेशी विनिमय दर परिवर्तन से संरक्षण की लागत की वसूली, सुसंगत वर्ष में, वर्ष–दर–वर्ष आधार पर, उक्त अवधि के दौरान जब कि यह व्यय के रुप में, उद्भूत होता हो, करेगी तथा इस प्रकार के विदेशी विनिमय दर परिवर्तन से तत्संबंधी अतिरिक्त रुपयों के भुगतान के दायित्व को, समायोजन किये गये विदेशी ऋण के विरुद्ध अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।

50.4 उक्त सीमा, जहां तक विद्युत् उत्पादक कंपनी विदेशी विनिमय अनावृत्ति का समायोजन करने में असमर्थ हो, अतिरिक्त रुपयों में भुगतान के दायित्व हेतु ब्याज का भुगतान तथा ऋण की अदायगी जो मानदण्डीय विदेशी मुद्रा ऋण के सुसंगत वर्ष से तत्संबंधी हो, को अनुज्ञेय किया जाएगा बशर्ते यह विद्युत् उत्पादक कंपनी अथवा उसके सामग्री प्रदायकर्ता अथवा ठेकेदारों के कारण उद्भूत न हों।

50.5 प्रत्येक विद्युत् उत्पादक कंपनी समायोजन संबंधी लागत तथा विदेशी विनिमय दर परिवर्तन को आय या व्यय के रुप में उक्त अवधि के दौरान, जब वह उद्भूत हो, वर्ष–दर–वर्ष आधार पर वसूल करेगी।

51. लागत समायोजन अथवा विदेशी विनिमय दर परिवर्तन की वसूली :

विद्युत् उत्पादक कंपनी द्वारा लागत के समायोजन या विदेशी विनिमय दर परिवर्तन की वसूली हितग्राहियों से प्रत्यक्ष रूप से आयोग को आवेदन प्रस्तुत किये बगैर की जा सकेगी;

परन्तु हितग्राहियों द्वारा विद्युत् उत्पादक कंपनी द्वारा दावा की गयी राशियों के बारे में ली गयी आपत्तियों के बारे में, विद्युत् उत्पादक कंपनी आयोग के समक्ष अपना आवेदन आयोग के निर्णयार्थ प्रस्तुत कर सकेगी ।

52. आवेदन शुल्क, प्रकाशन व्यय तथा अन्य सांविधिक प्रभार :

हितग्राही द्वारा निम्न शुल्कों, प्रभारों तथा व्ययों का प्रत्यर्पण प्रत्यक्ष रूप से नीचे निर्दिष्ट की गयी विधि अनुसार किया जाएगा :

1. आवेदन दायर किये जाने संबंधी शुल्क तथा विद्युत्–दर (टैरिफ) के अनुमोदन हेतु आवेदन संबंधी सूचना के प्रकाशन बावत व्ययों की वसूली आयोग के विवेकानुसार, विद्युत् उत्पादक कंपनी द्वारा हितधारकों से प्रत्यक्ष रूप से की जा सकेगी ।

2 आयोग, किसी शुल्क अथवा व्ययों के प्रत्यर्पण बाबत अनुमति जैसा कि उसके द्वारा उचित समझा जाए, प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई पश्चात् तथा लिखित कारणों के अभिलेखन पश्चात् प्रदान कर सकेगा ।

3 आयोग द्वारा अवधारित किये गये राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों तथा पारेषण प्रभारों को व्यय माना जाएगा यदि वे उत्पादक स्टेशन द्वारा भुगतान योग्य हों ।

4 क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र/राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र प्रभार, जैसा कि वे केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग द्वारा अवधारित किये गये हों, को भी व्यय माना जाएगा, यदि वे विद्युत् उत्पादक स्टेशन द्वारा भुगतान योग्य हों ।

5 विद्युत् उत्पादक कम्पनी द्वारा विद्युत् केन्द्रों से राज्य सरकार को विद्युत् उत्पादन के प्रयोजन हेतु विद्युत् शुल्क, उपकर एवं जल प्रभार, यदि भुगतान योग्य हों, तो इन्हें आयोग द्वारा पृथक् से अनुज्ञेय किया जा सकेगा तथा इसका सत्यापन वास्तविक भुगतान के आधार पर किया जाएगा।

53. गैर–टैरिफ/अन्य आय :

53.1 ऐसी कोई आय, जो विद्युत् उत्पादक कंपनी के व्यवसाय के बारे में आनुषंगिक हो, जिसे विभिन्न स्त्रोतों से व्युत्पादित किया गया हो परन्तु जो परिसम्पत्तियों के निपटान, पूंजी निवेश, भाड़े से प्राप्त आय, रद्दीमाल जो अपूंजीकृत/बट्टे खाते में डाली गई परिसम्पत्तियों को छोड़कर हो, से प्राप्त आय, विज्ञापनों से प्राप्त आय, सामग्री प्रदायकों /ठेकेदारों को प्रदत्त अग्रिमों से प्राप्त आय, राखड़/ अस्वीकृत किये गये कोयले की बिक्री से प्राप्त आय तथा अन्य आय कोई आय जो विविध प्राप्तियों से संबद्ध हो परन्तु ऊर्जा के विक्रय से प्राप्त की गई आय को छोड़कर हो, तक ही सीमित न होंगी, गैर–टैरिफ/अन्य आय का घटक होगी।

53.2 विद्युत् उत्पादन के व्यापार से संबद्ध गैर–टैरिफ/अन्य आय की राशि को, जैसा कि इसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए, विद्युत् उत्पादक कम्पनी के वार्षिक स्थाई प्रभार के अवधारण हेतु वार्षिक स्थाई लागत में से घटाया जाएगाः

परन्तु विद्युत् उत्पादक कंपनी गैर–टैरिफ आय के पूर्वानुमान के बारे में पूर्ण विवरण आयोग को ऐसे स्वरुप में प्रस्तुत करेगी जैसा कि आयोग द्वारा इसके संबंध में समय–समय पर मांग की जाए। गैर–टैरिफ का भी सत्यापन अंकेक्षित लेखों के आधार पर किया जाएगा।

54. **शिथिल करने संबंधी शक्ति :**

आयोग लिखित कारणों के अभिलेखन पश्चात् इन विनियमों से संबंधित कतिपय प्रावधानों को स्व प्रेरणा से या हित रखने वाले किसी पक्षकार द्वारा उसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर शिथिल कर सकेगा ।

55. **कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति :**

यदि इन विनियमों के किसी उपबंध को कार्यान्वित करने में कोई कठनाई उद्भूत हो तो आयोग आदेश द्वारा, अधिनियम अथवा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य विनियमों के उपबंधें से अन्असंगत ऐसे उपबंध कर सकेगा जो कि इन विनियमों के उद्देश्यों का कार्यान्वित करने में आने वाी कठिनाई को दूर करने के लिएआवश्यक प्रतीत हों।

56. **निरसन तथा व्यावृत्ति :**

56.1 विनियम अर्थात् ''मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2012 {आरजी–26 (II), वर्ष 2012}'' जो राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 12.12..2012 द्वारा संशोधनों के साथ सहपठित है, जैसा कि वह इस विनियम की विषयवस्तु के साथ प्रयोज्य है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

56.2 इस विनियमों की कोई भी बात आयोग को ऐसे किसी आदेश को पारित करने हेतु अर्न्तनिहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हों ।

56.3 इन विनियमों में की कोई भी बात आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूपता में मामलों में व्यवहार करने के लिये एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा, जो यद्यपि इन विनियमों के प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में और इसके कारणों को अभिलिखित करते हुए, आवश्यक या समीचीन समझता हो ।

56.4 इन विनियमों में की कोई भी बात स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को अधिनियम के अधीन किसी

ऐसे मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिये कोई संहिता निर्मित नहीं की गई हो और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी कार्यवाही कर सकता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग या ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा जिन्हें कि आयोग उचित समझे ।

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग के आदेशानुसार

शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव

परिशिष्ट–1

परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने संबंधी कालावधि

(देखें विनियम 24)

1. परियोजना को पूर्ण किये जाने संबंधी कालावधि विद्युत् उत्पादक कंपनी के संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित निवेश तिथि से इकाईयों अथवा इकाईयों के खण्ड की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के अनुसार मानी जाएगी।

2. समय–सीमा की अवधि माह में निम्न पैरा तथा तालिकाओं में दर्शाई गई है;

(अ) ताप विद्युत् परियोजनाएँ– कोयला/लिग्नाईट पावर संयंत्र

इकाई का आकार 200/210/250/300/330 मेगावाट तथा 45 मेगावाट/125 मेगावाट सी.एफ.बी.सी. प्रौद्योगिकी

(क) ग्रीन–फील्ड परियोजनाओं हेतु 33 माह। अनुवर्ती इकाईओं हेतु प्रति इकाई 4 माह के अंतराल से।

(ख) विस्तार परियोजनाओं हेतु 31 माह। अनुवर्ती इकाईओं हेतु प्रति इकाई 4 माह के अंतराल से।

इकाई का आकार 250 मेगावाट सीएफबीसी प्रौद्योगिकी

(क) ग्रीन–फील्ड परियोजनाओं हेतु 36 माह। अनुवर्ती इकाईओं हेतु प्रति इकाई 4 माह के अंतराल से।

(ख) विस्तार परियोजनाओं हेतु 34 माह। अनुवर्ती इकाईओं हेतु प्रति इकाई 4 माह के अंतराल से।

इकाई का आकार 500/600 मेगावाट

(क) ग्रीन–फील्ड परियोजनाओं हेतु 44 माह। अनुवर्ती इकाईओं हेतु प्रति इकाई 6 माह के अंतराल से।

(ख) विस्तार परियोजनाओं हेतु 42 माह। अनुवर्ती इकाईओं हेतु प्रति इकाई 6 माह के अंतराल से।

इकाई का आकार 660/800 मेगावाट

(क) ग्रीन–फील्ड परियोजनाओं हेतु 52 माह। अनुवर्ती इकाईओं हेतु प्रति इकाई 6 माह के अंतराल से।

(ख) विस्तार परियोजनाओं हेतु 50 माह। अनुवर्ती इकाईओं हेतु प्रति इकाई 6 माह के अंतराल से।

संयुक्त चक्र ऊर्जा संयंत्र

गैस टरबाईन आकार 100 मेगावाट तक (आईएसओ रेटिंग)

(क) ग्रीन–फील्ड परियोजनाओं के प्रथम खण्ड हेतु 26 माह। अनुवर्ती खण्डों हेतु 2 माह के अंतराल से।

(ख) विस्तार परियोजनाओं हेतु 24 माह। अनुवर्ती खण्ड हेतु 2 माह के अंतराल से ।

गैस टरबाईन आकार 100 मेगावाट से अधिक (आईएसओ रेटिंग)

(क) ग्रीन–फील्ड परियोजनाओं के प्रथम खण्ड हेतु 30 माह। अनुवर्ती खण्डों हेतु 4 माह के अंतराल से।

(ख) विस्तार परियोजनाओं हेतु 28 माह। अनुवर्ती खण्ड हेतु 4 माह के अंतराल से ।

(ब) **जल–विद्युत् परियोजनाएं:**

3. जल विद्युत् परियोजनाओं हेतु अर्हताकारी समय–सीमा केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत जारी की गई मूल सम्मति के अनुरूप होगी।

परिशिष्ट–2

अवमूल्यन अनुसूची

सरल क्रमांक	परिसंपत्ति का विवरण	अवमूल्यन दर (उपादेय मूल्य = 10%) सरल रेखा विधि द्वारा
ए	संपूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत भूमि	0.00%
बी	पट्टे के अंतर्गत भूमि	
(क)	भूमि में निवेश हेतु	3.34%
(ख)	स्थल की सफाई हेतु	3.34%
(ग)	जल–विद्युत् परियोजना के प्रकरण में जलाशय हेतु भूमि	3.34%
सी	नवीन क्रय की गई परिसंपत्तियां	
(क)	उत्पादक स्टेशनों पर संयंत्र तथा मशीनरी	
(i)	जल–विद्युत	5.28%
(ii)	वाष्प विद्युत् एनएचआरबी तथा वेस्ट हीट रिकवरी वाष्पयंत्र	5.28%
(iii)	डीजल, विद्युत् तथा गैस संयंत्र	5.28%
(ख)	कूलिंग टावर तथा परिचालित जल प्रणालियां	5.28%
(ग)	द्रव चालित कार्य जो निम्न द्रवप्रणालियों के भाग हैं	
(i)	बांध, स्पिलबे,वीयर, नहरें, लौहयुक्त, कांक्रीट फ्यूल तथा सायफन	5.28%
(ii)	लोहयुक्त कांक्रीट पाईपलाईनें तथा सर्ज टैंक, लौह पाईपलाईन, स्लूसगेट, इस्पातयुक्त सर्ज टैंक, द्रवचालित नियंत्रण वाल्व तथा द्रवचालित कार्य	5.28%
(घ)	भवन तथा सिविल अभियांत्रिकी कार्य	
(i)	कार्यालय तथा शोरूम	3.34%
(ii)	ताप–ऊर्जा–विद्युत् उत्पादक संयंत्र युक्त	3.34%
(iii)	जल–विद्युत् उत्पादक संयंत्र से युक्त	3.34%
(iv)	अस्थाई निर्माण कार्य जैसे काष्ठ संरचनाएं	100%
(v)	कच्ची सड़कों के अतिरिक्त, अन्य सड़कें	3.34%
(vi)	अन्य	3.34%
(ड.)	ट्रांसफार्मर गुमटियां, उपकेन्द्र उपकरण तथा अन्य स्थाई यंत्र	
(i)	ट्रांसफार्मर, नींव सम्मिलित कर जिनकी क्षमता 100 केवीए से अधिक हो	5.28%
(ii)	अन्य	5.28%
(च)	स्विचगियर, केबल कनेक्शन सम्मिलित करते हुए	5.28%
(छ)	तड़ित चालक	
(i)	स्टेशन प्रकार	5.28%
(ii)	पोल प्रकार	5.28%
(iii)	सिन्क्रोनस कन्डेन्सर	5.28%
(ज)	बैटरियां	5.28%
(i)	भूमिगत केबल, संयुक्त बाक्स तथा विच्छेदित बाक्स सम्मिलित कर	5.28%
(ii)	केबल डक्ट प्रणाली	5.28%
(झ)	शिरोपरि तन्तुगथ, केबल टेका को सम्मिलित कर	
(i)	फेब्रिकेटेड स्टील पर तन्तुपथ, जो 66 केवी से अधिक की टर्मिनल वोल्टेज पर प्रचालित है	5.28%

(ii)	इस्पात टेका पर तन्तुपथ जो 13.2 केवी से अधिक तथा 66 केवी से कम वोल्टेज पर प्रचलित है	5.28%
(iii)	लौहयुक्त कांक्रीट टेका अथवा इस्पात युक्त टेका पर तन्तुपथ	5.28%
(iv)	उपचारित काष्ठ टेका पर तन्तुपथ	5.28%
	लाइनें	
(ञ)	मापयंत्र (मीटर)	5.28%
(त)	स्वचालित वाहन	9.50%
(थ)	वातानुकूलित संयंत्र	
(i)	स्थिर	5.28%
(ii)	वहनीय	9.50%
द (i)	कार्यालयीन फर्नीचर तथा फर्निशिंग	6.33%
(ii)	कार्यालयीन उपकरण	6.33%
(iii)	आंतरिक वायरिंग तथा फर्निशिंग	6.33%
(iv)	पथ–प्रकाश की फिटिंग्स	5.28%
(घ)	किराये पर प्रदाय किये गये यंत्र	
(i)	मोटरों को छोड़कर	9.50%
(ii)	मोटरें	6.33%
(न)	संचार उपकरण	
(i)	रेडियो तथा उच्च आवृत्ति संवाहक प्रणाली	6.33%
(ii)	दूरभाष लाइनें तथा दूरभाष	6.33%
(प)	संसूचना प्रौद्योगिकी उपकरण	15.00%
(फ)	ऐसी समस्त परिसंपत्तियां जो उपरोक्त के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की गई हैं	5.28%

परिशिष्ट–3

कोयला आधारित विद्युत् उत्पादक केन्द्रों हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि .....

[विद्युत् उत्पादक केन्द्र का नाम) द्वारा मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) विनियम 2015 के मुख्य प्रावधानों का अनुपालन किया जा चुका हैं ।

1. केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित विनियम यथा CEA Technical Standards for Construction of Electric Plants and Electric Lines Regulations 2010 के विनियम 3 (8) में निर्दिष्ट समस्त अभिलेख कार्यस्थल पर रखे गये है तथा वहां पर उपलब्ध हैं ।

2. केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित विनियम यथा CEA Technical Standards for Construction of Electric Plants and Electric Lines Regulation, 2010 के विनियम 5 के अनुसार समस्त अर्हताओं का परिपालन किया जा चुका है ।

3. इकाई परिचालन क्षमता केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित विनियम यथा CEA Technical Standards for Construction of Electric Plants and Electric Lines Regulation, 2010 के विनियमों 7(1), 7(2), 7(3) तथा 7(4) के अनुरुप होगी ।

4. वाष्प विद्युत् उत्पादक हेतु समस्त अर्हताओं का अनुपालन केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित विनियम यथा CEA Technical Standards for Construction of Electric Plants and Electric Lines Regulation, 2010 के विनियम 8 के अनुसार किया जा चुका है ।

5. वाष्प टरबाईन विद्युत् उत्पादक के बारे में समस्त अर्हताओं का अनुपालन केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित विनियम यथा CEA Technical Standards for Construction of Electric Plants and Electric Lines Regulation, 2010 के विनियमों 9(2), 9(4), 9(9), 9(15), 9(16), 9(18), के अनुसार किया जा चुका है ।

जल विद्युत् आधारित विद्युत् उत्पादक केन्द्रों हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि .....
[विद्युत् उत्पादक केन्द्र का नाम] द्वारा मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) विनियम 2015 के मुख्य प्रावधानों का अनुपालन किया जा चुका हैं ।

1. केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित विनियम यथा CEA Technical Standards for Construction of Electric Plants and Electric Lines Regulation, 2010 के विनियम 3 (8) में निर्दिष्ट समस्त अभिलेख कार्यस्थल पर रखे गये है तथा वहॉ पर उपलब्ध हैं ।

2. केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित विनियम यथा CEA Technical Standards for Construction of Electric Plants and Electric Lines Regulation 2010 के विनियमों 30(1), 30(2) तथा 30(3) के अनुसार समस्त अर्हताओं का परिपालन किया जा चुका है ।

3. इकाई परिचालन क्षमता केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित विनियम यथा CEA Technical Standards for Construction of Electric Plants and Electric Lines Regulation, 2010 के विनियमों 32(1), 32(3), 32(4), 32(6), तथा 32(8) के अनुसार होगी ।

4. द्रवचालित टरबाईन के बारे में केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित विनियम यथा CEA Technical Standars for Construction of Electric Plants and Electric Lines Regulation 2010 की अर्हताओं का अनुपालन विनियमों 33 (6), 33 (7) तथा 33(8) के अनुसार किया जा चुका है ।